खण्ड-386, अंक-7
सोमवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1910
(4 अप्रैल, 1988 ई0)

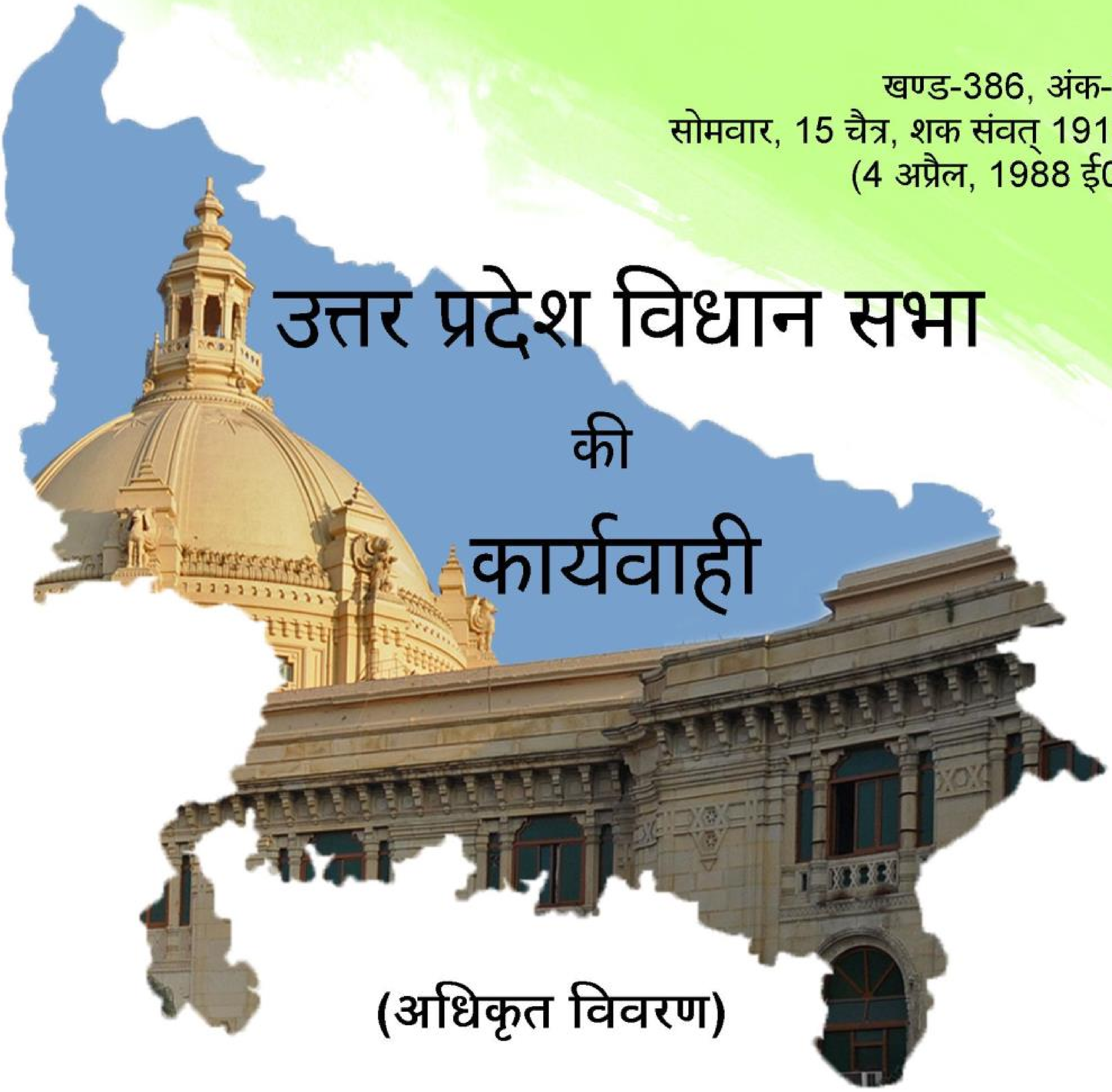

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–64
सरयू नहर खण्ड तृतीय कल्पीपारा, बहराइच में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
जिला फतेहपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों के बकाये वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
बाराबंकी जिलान्तर्गत मसौली ब्लाक के ट्रांसफार्मर की खराबी से उत्पन्न विद्युत संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
ग्राम सलूनी, जिला सहारनपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
झांसी जिलान्तर्गत ग़रौठा क्षेत्र में अग्निकाण्ड एवं ओलावृष्टि से कृषि को हुई क्षति एवं भुखमरी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67
जनपद बदायूं के शीतगृहों में आलू न रखे जाने से किसानों में घोर असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	68
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	69
मोला गोकरणनाथ को मुख्यालय बनाकर एक पृथक तहसील बनाये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	70
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	70–72
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	72–85
शासन द्वारा प्रदेश में उपचुनाव स्थगित कराये जाने के प्रयास के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	86–90
सूत के मूल्य में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्य में वृद्धि न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)	91–104
सूत के मूल्यों में वृद्धि से सम्बन्धित प्रस्तुत चर्चा में समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	105
सूत के मूल्य में वृद्धि तथा कथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्य में वृद्धि न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	105–114
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन का संकल्प (अस्वीकृत) ..	115–121
प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता के अधार पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) ..	122–126
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	127

पृष्ठ संख्या

श्री दिनेश सिंह द्वारा सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय 127

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत "मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्याविधि नियम 1 के खण्ड (क) में संशोधन का संकल्प (स्वीकृत) .. 128

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 129–130

जनपद आगरा में थाना डौकी के ग्राम नूरपुर में श्री प्यारे लाल के मकान पर सशस्त्र डकैतों द्वारा की गयी लूट के सम्बध में वक्तव्य 131–136

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के संचालक मण्डल के सभापति/संचालक के पद पर सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किए जाने तथा फैजाबाद के केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के संचालक मण्डल में अनर्ह सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किए जाने एवं प्रदेश की सहकारी समितियों में 300 करोड़ रुपए से अधिक के गबन और घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य 137–142

रनगवां बांध का फाटक बन्द कर देने से बांदा जनपद की केन नहर की सिंचाई व्यवस्था ठप्प हो जाने एवं अराजक तत्वों द्वारा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों की पिटाई किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 143–145

नत्थियां 146–150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	राजकिशोर सिंह, श्री	वाराणसी
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
अफसर यू0 अहमद, श्री	बस्ती	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री	मेरठ	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
अहिवरन, श्री	शाहजहांपुर	राम लखन, श्री	गोरखपुर
औसान सिंह, श्री	इटावा	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	वीरेन्द्र सेन, श्री	आगरा
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
धनराज यादव, श्री	बस्ती	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सखावत हुसन, श्री	गाजियाबाद
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
बहादुर सिंह, श्री	आगरा	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बालेश्वर, श्री	देवरिया	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
बैजनाथ, श्री	देवरिया	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	हरदेव, श्री	बलिया
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद		

अद्वैत सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शासन द्वारा राजस्व वसूली में सख्ती करने का औचित्य

**1श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कृषि से जुड़े कर्जों व राजस्व वसूली में सख्ती के निर्देश शासन ने माह फरवरी-मार्च, 88 में जारी किये हैं? यदि हां, तो सूखे के समय आम जनता की परेशानी को देखते हुए इस समय वसूली का औचित्य क्या है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी नहीं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मैंने प्रश्न किया था कि क्या कृषि से जुड़े कर्जों व राजस्व वसूली में सख्ती के निर्देश शासन ने जारी किये हैं? और क्या सूखे के समय आप जनता की परेशानी को देखते हुए इस समय वसूली का औचित्य क्या है? माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे खण्ड का जवाब नहीं दिया है कि वसूली का औचित्य क्या है? इसी सदन में दूसरे शुक्रवार को माननीय राजस्व राज्य मंत्री ने मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि वसूली रोक लेने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में बनी जेलें ठसाठस भरी हुई हैं, तो क्या इसको देखते हुए वसूली के तत्काल स्थगन के आदेश वह जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य दीक्षित जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह शासन की भी चिन्ता है। शासन कितना इसमें सजग है, उसका एक उदाहरण मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर दूं कि हम कितनी सहानुभूति रखते हैं–उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल की दी गई छूट का प्रकरण जब आपके सामने आ जाएगा तो स्वतः आप मेजें थपथापाकर हमें धन्यवाद देंगे । 20 जनपद हैं यह अलग-अलग मथुरा, आगरा, अलीगढ़, कानपुर कानपुर देहात, मैनपुरी, रामपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर इत्यादि जहां फसल की क्षति के कारण जो खरीफ में हुई छूट प्रदान की गई है और इस प्रकार 3 करोड़ 22 लाख 32 हजार की छूट दी गई। उसकी वसूली का सवाल ही नहीं है। इसको छोड़ने का सवाल नहीं, इसको बकायदा छोड़ दिया गया है। इसके अलावा 20 जिले और हैं, जिनका विचाराधीन है । तो 22 को छूट दी जा चुकी है और 20 का मामला विचाराधीन है और आप केवल वसूली रोकने की बात कर रहे हैं, हमने छूट दे दी है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय मंत्री जी हर प्रश्न का उत्तर बाखूबी उलझा देते हैं। इसमें प्रश्न यह था कि क्या कृषि से जुड़े कर्जों व राजस्व वसूली में सख्ती के निर्देश शासन ने माह फरवरी-मार्च, 88 में जारी किये गये हैं? इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है कि जी नहीं । तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात मंत्री जी से साफ पूछना चाहता हूं, वह कहते हैं कि कड़े निर्देश नहीं दिये गये हैं, यह मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत यह कि खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल अभी तक नहीं आई और उसका आलू भी नष्ट हो गया, और क्या यह सही है कि सख्ती से वसूली जिलों में जारी है दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी विशेष परिस्थितियों को देखते हुये किसान पर रहम करेंगे और कर्जों तथा राजस्व की वसूली को स्थगित करने का आश्वासन सदन में देंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, दि0 11-2-88 को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है कि खरीफ की फसल के भू राजस्व की वसूली के संबंध में उत्पीड़न की कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा रहेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि भू राजस्व की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी । लेकिन भू राजस्व के अलावा बैंक, कोआपरेटिव के कर्जे तथा अन्य वसूलियों को स्थगित करने के आदेश जारी नहीं हुये हैं। अभी कल मेरे पास एक किसान आया था उसने अपने ट्रैक्टर की किश्त का 43 हजार रुपया जमा कर दिया है लेकिन तहसील के अमीन ने केवल 18 हजार जमा दिखाये हैं। उसने जिलाधिकारी का प्रार्थना-पत्र दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, आप प्रश्न करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं उदाहरण देते हुये प्रश्न कर रहा हूं। तो अब उस किसान की जमीन नीलाम हो रही है । गलती तहसील की है लेकिन सजा किसान भुगत रहा है । तो इसी तरह से मैं अन्य मामलों में कैसे मान लूं कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया है कि भू राजस्व की वसूली में कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न हो इस बात के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिस केस का हवाला आपने दिया है उसका विवरण दे दीजियेगा। उसे दिखवा लूंगा यदि रुपया जमा है और जमा करने के बावजूद भी उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है तो उसको दिखवा कर हर तरह का सहयोग करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, सरकार की ओर से पहले आदेश दिया गया था कि 31 जनवरी तक कृषि देयों की वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं की जायेगी। उसके बाद स्वतः उत्पीड़न की कार्यवाही के आदेश लागू हो गये हैं। सदन में संकल्प उठा था तो राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की थी। शासन के आदेश जो गये हैं वह 1395 फसली में जो सूखा से प्रभावित हैं उसके भू राजस्व की वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही पर आपने रोक लगायी है ? सिर्फ एक फसल के लिये यह है। लेकिन अगर दो फसल का भू राजस्व बकाया है तो प्रताड़ना की कार्यवाही के आदेश स्वतः जारी हो गये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह, माननीय राणा जी, और माननीय हृदय नरायण जी की भी वही भावना थी कि फसल अभी कटी नहीं, आलू पैदा हुआ, वह मिट्टी के भाव बिक रहा है, काश्तकार आंसुओं के साथ रो रहा है, जैसा कि उस दिन माननीय राजस्व मंत्री ने भी कहा था, जब तक कि यह फसल काश्तकारों के घर में न पहुंच जाय, आगे आने वाले समय तक सभी प्रकार की वसूली चाहे वह सरकारी बैंको की हो, चाहे भू राजस्व की हो, चाहे अन्य प्रकार की हो, सब तरह के जो बकाया हैं उनकी वसूली के बारे में प्रताड़ना की कार्यवाही न की जाय ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी हां या न में देने की कृपा करें ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, इतना लम्बा प्रश्न पूछने के बाद वह हां या न में उत्तर चाहते हैं। मान्यवर, जो 31-1-88 का हवाला दिया गया, वह सही है कि 31-1-88 तक वह रुका रहा। उसके बाद 11-2-88 से यह प्रकरण फिर से चालू कर दिया गया। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि खाशतौर से सूखे के कारण 1395 फसलों की वसूली के बारे में उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जायगी, और जो अन्य वसूली है, उनमें सामान्य प्रक्रिया चालू रहेगी। जो आपने अन्य देयों की वसूली के बारे में बात कही, वर्तमान में इस तरह की कोई व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, आप स्वयं देखें कि इनका उत्तर कितना संवेदनशील है, 22 जिलों के भू-राजस्व इन्होंने माफ कर दिया और 20 जिलों के संबंध में मामला विचाराधीन है। किसान के घर में जब अभी कुछ है नहीं, तो उसे जेल में बन्द करने के अलावा और क्या करेंगे । इस तरह से मान्यवर, माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी पुनः विचार करेंगे, कि जब तक किसानों के घर में रबी की फसल न आ जाय, तब तक उनसे वसूली न की जाय। मान्यवर, किसानों के साथ सरकार दुश्मनी का व्यवहार कर रही है। मान्यवर, हम सब यहां पर किसानों के प्रतिनिधि हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब तक रबी की फसल किसानों के घर में न आ जाय, तब तक वसूली की कार्यवाही रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय वर्मा जी ने जो संवेदनशीलता की बात कही है, इससे मैं सहमत हूं ।

आपने जो यह बात कही कि गरीब आदमी बन्द किया जा रहा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 3.125 एकड़ भूमि वाले किसान पर कोई भी लगान नहीं लगता है । 3 करोड़ 22 लाख से अधिक का भू-राजस्व माफ कर दिया गया है । दूसरे देयों के संबंध में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है जो हम उसे माफ कर दें । जो बात आपने संवेदनशीलता की कही, उसकी गम्भीरता की पृष्ठभूमि पर उस समय विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सारी बातों को सिर्फ भूराजस्व पर ले जाकर रोक दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस फरवरी के जिस आदेश का जिक्र माननीय माननीय मंत्री जी ने किया है, उस आदेश में भू-राजस्व के अलावा दूसरे तरह की कर्जे की वसूली जो तहसील के माध्यम से की जाती है, उनमें उत्पीड़क कार्यवाहियां न रोके जाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया कि भू-राजस्व की वसूली जो हमारा विषय है, उसकी व्यवस्था कर दिया है, अब आगे क्यों कहलवाना चाहते हैं, उसका उच्चस्तर पर निर्णय होना आपेक्षित है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मंत्री जी ने कहा कि परिस्थिति की विषमता को देखते हुए भूराजस्व की वसूली को स्थगित करने के इन्होंने आदेश दे दिये हैं । मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी या सरकार यह समझती है कि सूखे से, उपल वृष्टि से किसान की दशा इतनी दयनीय हो गयी है कि वह भूराजस्व नहीं दे सकता है इसलिए उसके आदेश जारी कर दिये गये हैं तो दूसरे कर्जे की, दूसरे देयों की वसूली वह कहां से देगा जो भूराजस्व से कहीं ज्यादा है ? इस स्थिति को देखते हुए उन देयों की वसूली को न रोके जाने का क्या औचित्य है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस पर उच्चस्तर पर विचार कर रहे हैं तो यह विचार कि इसको भी स्थगित कर दिया जाय, यह कब तक शीघ्र पूरा कर लेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य तिवारी जी ने कहा है और मैंने भी यही निवेदन किया, आपने बड़ी गम्भीरता से उसको रखा है । यहां पर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट है, मैंने एक इशारा किया कि यह मामला उच्चस्तर पर कैबिनेट के समक्ष है । कैबिनेट का जो निर्णय था वह आपके कृपापूर्वक संज्ञान में आपके माध्यम से ला चुका हूं । आपमें जितनी गम्भीरता हो सकती थी, उस पर बल दिया है । इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, कैबिनेट स्तर पर विचार अपेक्षित है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री हृदय नरायन दीक्षित जी, आप प्रश्न कीजिए, वर्ना मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर 20 मिनट का समय दे चुका हूं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी ने अभी बताया ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे मौका दें दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी यह बताया कि इनके विभाग से केवल भूराजस्व की वसूली होती है, शेष जो वसूलियां हैं वह दूसरे विभागों की हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनके विभाग द्वारा जो वसूलियां हो रही हैं, चाहे पम्पिंगसेट की हो, चाहे ट्रैक्टर की हो या अन्य किसी चीज की हो उसके उत्पीड़न की कार्यवाई तहसील के कर्मचारी कर रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी तहसील के कर्मचारियों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि जब तक फसल घर पर न आ जाय तब तक वसूली की कोई कार्यवाही न हो ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी कदाचित किसी भ्रांति में हैं। भ्रांति यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट सभी विभागों की वसूली करता है उसको मानकर यह नहीं चलना चाहते हैं । मैं इस भ्रांति को निकाल देना चाहता हूं । कोआपरेटिव से जब वसूली के आदेश होते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट वसूली करता है । मान्यवर, इसके माने यह नहीं है कि राजस्व विभाग उन सबको रोक देगा । यह उच्च स्तर का मामला है । उच्च स्तर पर जब कोई निर्णय होगा, तभी कोई कार्यवाही की जायेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई, लेकिन मा0 राजस्व राज्य मंत्री किसी भी प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं । यह एक नीतिगत प्रश्न है और कैबिनेट से इसमें निर्णय अपेक्षित है। मैं जानना चाहता हूं कि सभी विभागों के कर्जों की जो वसूली तहसील से कराई जा रही है, उस पर जो 10 परसेंट रिकवरी चार्ज लिया जाता है, जब तहसील से रिकवरी कराते हैं, तो क्या उस 10 परसेंट रिकवरी चार्ज को माफ करेंगे ? दूसरे जो यह उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही है और भू राजस्व के अन्य बकायों की वसूली सामान्य रूप से कर रहे हैं और उसमें उत्पीड़क कार्यवाही भी है, यह नीतिगत प्रश्न कैबिनेट में विचाराधीन है । मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि जो उत्पीड़क कार्यवाही बकायों की वसूली में हो रही है और जबकि किसान की फसल कटकर घर पर नहीं आयी है तो क्या किसानों पर सूखे के प्रभाव को देखते हुए अगले एक-डेढ़ महीने तक किसी भी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल ने 10 परसेंट की वसूली पर रोक की मांग खास तौर पर की है, मान्यवर, यह भी एक नीति विषयक मामला है और उच्च स्तर पर ही इसका निर्णय हो सकता है। मान्यवर, यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्व विभाग जो 10 परसेंट लेता है, वह विषय भी नीति विषयक है अतः इसके सम्बन्ध में भी निर्णय उच्च स्तर पर ही लिया जा सकता है।

[(नत्थी-ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चूंकि मा0 मंत्री जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देना चाहते हैं और वसूली की कार्यवाही रोकने के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिये विरोध स्वरूप मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है और मा0 मंत्री जी ने इसमें अपनी असमर्थता स्पष्ट कर दी है और कह दिया है कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को इस प्रश्न पर कोई जवाब देने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूं।

(नेता विरोधी दल भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी नीतियों का बहाना लेकर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सरकार के इस किसान विरोधी रवैये के विरोध में हम भी सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री जयदीप सिंह बरार एवं डा0 संजय सिंह भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं सरकार की इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुल बारी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस अहम प्रश्न पर सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है और भू-राजस्व और अन्य तरह के देयों की वसूली की जा रही है । इसके विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम आसरे वर्मा कुछ निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में डिग्री कालेजों को खोले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये डिग्री कालेजों को खोले जाने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ? क्या सरकार छात्रों की संख्या की अधिकता और स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की कठिनाई को देखते हुए उक्त प्रतिबन्ध को हटाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में . . .

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, किसान की स्थिति जर्जर है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम शरण जी अब तो अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इतनी भयंकर स्थिति है, किसान कहां से लगान दे, कहां से यह उसकी वसूलयाबी करवायेंगे । इसको रोका जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी को बुला लिया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि डिग्री कालेजेज में विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या है । साइंस के लिये, एग्रीकल्चर के लिये, उसमें प्रवेश के लिये, विद्यार्थियों को भारी मात्रा में रुपये देने पड़ते हैं । उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा

ठीक ढंग से मिल सके, शिक्षण व्यवस्था ठीक ढंग से सम्पन्न हो सके, इसलिये नये डिग्री कालेजों के आवश्यकता की बात कही गयी है । मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या प्रदेश में नये डिग्री कालेजों को खोले जाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है ? उत्तर दिया गया जी नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं तो फिर 3 वर्षों में 1985 से लेकर आज की तारीख तक कितने डिग्री कलेजों को मान्यता निजी क्षेत्र में दी गयी ? दूसरे, मेरे क्षेत्र के एक सज्जन ने 5 लाख रु0 से अधिक की धनराशि विगत 2 वर्षों में अर्जित की, डिग्री कालेज खोले जाने के नाम पर और वह रुपया लेकर बैठ गये ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा यह जो आरोप है, इसको दिखवायें, पतरेवा विकास खण्ड जनपद देवरिया की बात है, क्या वहां नया डिग्री कालेज राजकीय क्षेत्र में खोले जाने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, माननीय शाही जी ने प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में नये डिग्री कालजों को खोले जाने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है, उत्तर दिया गया "जी नहीं" । प्रतिबन्ध नहीं है, संसाधन उपलब्धि एवं मानक पूर्ति पर, आवश्यकता पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाते हैं । और, जो प्राइवेट-अशासकीय हैं, उनके लिये अनुमति दी जाती है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है, यह समय व्यतीत कर रहे हैं ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, आप संरक्षण दें । माननीय शाही जी पूरा जवाब तो सुनें । आपने दो बातें उठायी हैं कि क्या नये महाविद्यालय खोले जा रहे हैं या खोले गये हैं ? दूसरे, आपने अपने यहां के बघौचघाट देवरिया की बात उठवायी थी। मान्यवर, महाविद्यालय खोले गये हैं । इस साल भी खोले जा रहे हैं । मैदानी क्षेत्र में तीन खुल रहे हैं-सैदपुर (गाजीपुर) में, कर्वी (बांदा) में और बांगरमऊ (उन्नाव) में। दो पहाड़ी क्षेत्र में खुल रहे हैं, खटीमा (नैनीताल) में, मानीला (अल्मोड़ा) में । अशासकीय में इस वर्ष दो पर विचार किया जा रहा है बघौचघाट (देवरिया) और रानीपुर (हरिद्वार) । वहां के मामले, सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बोर्ड की संस्तुति के, बाद कुलाधिपति के अनुमोदन के लिये गये हुए हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि पिछले तीन वर्ष में कितने खोले गये हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, माननीय शाही जी पूरा जवाब सुन नहीं रहे हैं । मैं पहले अपनी पूरी बात रख लूं, फिर आप कह लीजियेगा । मान्यवर, माननीय शाही जी ने अपने क्षेत्र की जो शिकायत अभी उठायी थी, उसकी जांच जरूर करवायी जायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट अनुपूरक प्रश्न यह था कि 1985 से आज की तारीख तक तीन वर्षों में कितने महाविद्यालय खोले गये हैं । माननीय मंत्री जी उसे बता नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि 1985 से लेकर आज की तारीख तक कितने महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में और कितने प्राइवेट क्षेत्र में खोले गये हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है । वर्ष 1988-89 में तीन मैदानी क्षेत्रों में. . .

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं 1985 से लेकर आज तक की स्थिति पूछ रहा हूं, मंत्री जी 1988-89 की बात कर रहे हैं । आप 1985 से आज की तारीख की सूचना दें ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

यह सूचना आपको उपलब्ध करा दूंगा । मान्यवर, आपके माध्यम से, मैं आपका यह सूचना अवश्य दे दूंगा । आपने जो प्रतिबन्ध लगाने की बात उठायी, उसके बारे में मैंने स्पष्ट उत्तर दिया कि प्रतिबन्ध नहीं है । आपने जो अपने जनपद की बात उठायी है, उसकी भी जांच करा दूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का तो उत्तर मिला नहीं ।

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, क्या सुल्तानपुर जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया में कोई राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, यह इससे संबंधित तो प्रश्न नहीं है, पार्टिकुलर प्रश्न है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय क्षेत्र में रानीखेत तहसील में कोई महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वर्ष 1985 से लेकर आज 1988 के मार्च तक कितने महाविद्यालयों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में, और सरकारी क्षेत्रों में खोला है और वह कौन कौन से स्थान हैं और क्या देवा विकास खण्ड देवरिया के भीतर राजकीय विद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी, मैं शाही जी को दे दूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिग्री कालेज खोलने पर जहां प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उसके संबंध में आपने यह कहा है कि संसाधन के अभाव में यह नहीं खोले जा रहे हैं । तो जहां वित्त विहीन चाहते हैं, क्या वहां के लिये मान्यता प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही यह उत्तर दिया था कि संसाधनों की उपलब्धता और मानकों की पूर्ति, यह बड़ी आवश्यक चीज है, और इनके बिना कुछ नहीं हो सकता।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वर्ष 1985 से वर्ष 1988 के बीच में क्या सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सरकार नीतिगत विषयों को छिपा रही है, इसलिये मैं सदन से बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही सदन त्याग कर चले गये ।)

बिसौली जनपद बदायूं में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

*2–श्री योगेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि तहसील बिसौली जनपद बदायूं में उच्च शिक्षा के लिये छात्र व छात्राओं का कोई डिग्री कालेज नहीं है तथा बदायूं जनपद के इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है और प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर शासन ने इस क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने हेतु सर्वेक्षण भी कराया है ? क्या शिक्षा मंत्री जी बिसौली जनपद बदायूं में डिग्री कालेज खुलवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

जी हां ।

उच्च शिक्षा के लिये इस जनपद में तीन डिग्री कालेज हैं ।

माननीय सदस्य के पत्र पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं से आख्या मांगी गई थी ।

सम्प्रति नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1985 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कुमारी मालती शर्मा, सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका आगरा की न्यायायिक डिग्री की धनराशि का भुगतान

*1–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी मालती शर्मा, सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका आगरा ने जिला जज आगरा के न्यायालय में दिनांक 3-7-1987 को ट्रिब्युनल के निर्णय एवं आदेश दिनांक 28-2-87 के अनुपालन हेतु डिग्री दाखिल की थी? यदि हां, तो क्या शिक्षा सचिव को नोटिस जारी की गई थी यदि हां, तो क्या यह सही है कि शिक्षा सचिव की तरफ से सरकारी वकील ने डिग्री की धनराशि हेतु दिनांक 31-7-88 से दो माह का समय मांगा था और उक्त धनराशि दो माह में जमा करने का प्रार्थना पत्र दिया था? जिला जज ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अपने आदेश दिनांक 31-7-87 को केवल एक माह का समय दिया था किन्तु डिग्री की धनराशि 25-2-88 तक भुगतान एवं जमा नहीं की गयी? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं? उन दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा डिग्री की धनराशि को भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी हां ।

जी हां, शिक्षा सचिव द्वारा उ0 प्र0 शासन को नोटिस प्राप्त हुई थी ।

जी हां ।

जी हां, अपर जिला जज, आगरा के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-8-87 को दाखिल किया गया है जिसमें कु0 मालती शर्मा को 30-4-84 से पूर्व का वेतन अनुमन्य न होने के निवेदन के साथ यह भी अनुरोध किया गया था कि कु0 मालती शर्मा को अनुपस्थिति की अवधि में किसी अन्य श्रोत से आय न करने का प्रमाण-पत्र देने तथा नये वेतनमान के सम्बन्ध में अपना विकल्प देने के लिये निर्देशित किया जाय । न्यायालय का निर्णय प्राप्त न होने तथा कु0 शर्मा से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सचिव के निदेश प्राप्त होने के बाद, उनके सरकारी वकील ने न्यायालय में जाकर यह प्रार्थना-पत्र दिया कि मुझे दो मास का भुगतान करने का मौका दिया जाय और न्यायालय ने केवल एक माह का मौका दिया । इसके बाद जब जुलाई, 1987 तक भुगतान करने का आदेश दिया गया था । तो कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट है । उनसे अनुपस्थिति की अवधि में किसी अन्य श्रोत से आय न करने का प्रमाण-पत्र देने तथा नये वेतनमान के सम्बन्ध में अपना विकल्प देने के लिए कहा गया था, किन्तु कुमारी शर्मा ने ये सूचनायें उपलब्ध नहीं कराईं । इसके बाद उन्होंने अपर जिला जज आगरा के यहां एक प्रार्थना-पत्र दाखिल कर दिया । अभी यह मामला वहां विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—

मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आमतौर पर यह देखा गया है कि शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं । क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनायेगी कि बिना मुख्य कारण के किसी की तनख्वाह न रोकी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो व्यापक प्रश्न है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मंत्री जी ने जिस प्रमाण पत्र को देने को कहा है, वह कुमारी मालती शर्मा को कब दिया गया और दूसरा अदालत द्वारा फैसला कर दिये जाने के बाद भी उसे वेतन के भुगतान में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है और इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, 28-2-1987 को कुमारी मालती शर्मा के पक्ष में यह निर्णय हुआ और वह लागू कर दिया गया । उन्हें ज्वाइन करा दिया गया । ज्वाइन कराने के बाद वेतन भुगतान का जहां तक सवाल है, उनसे पूछा गया कि वह जब सेवा काल में नहीं थीं तो किसी अन्य स्रोत से उन्होंने आय तो नहीं की, यह सूचना उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई । चूंकि अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कार्यवाही करना इस समय असम्भव है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले का निर्णय ट्रिब्यूनल में होता है । वहां से निर्णय होने के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया का जामा पहनाने के लिए उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया था, क्या यह मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन था, उस समय इस मामले को वहां पर सरकार ने उठाया था, यदि नहीं तो फिर फैसला होने के बाद उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, ट्रिब्यूनल के समक्ष स्थानान्तरण से संबंधित मामला था । स्थानान्तरण के संबंध में ट्रिब्यूनल ने जो निर्देश दिये , उसका अनुपालन किया गया । जिस बीच में वह सेवा काल में नहीं थी, उनसे वांछित प्रमाण-पत्र मांगा गया । हमारे वकील ने एक मास का समय भी मांगा है । इसलिए जब तक इस पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता है । अगर न्यायालय बिना प्रमाण- पत्र दिये , निर्णय कुमारी मालती शर्मा के पक्ष में कर देता है तो स्वाभाविक है, सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ।

[सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के पी0 एफ0 और जीवन बीमा फंडों में गबन

***1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–**

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के पी0 एफ0 और जीवन बीमा फण्डों में भारी पैमाने पर गबन और अनियमितता की शिकायतें हैं और इसी कारण से उनके अलग-अलग खाते कायम करके पास बुकें संबंधित लोगों को अभी तक नहीं दी जा सकी हैं ? क्या यह भी सही है कि इसी कारण से उक्त जनपद का पी0 एल0 ए0 अभी तक जाम है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं, पास बुक न दिये जाने का कारण, लेखों का अपूर्ण होना है ।

जी नहीं । शासकीय नीति के अनुसार 31-3-86 के वैयक्तिक लेजर खाते के इतिशेष कीलित कर दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में दो जानकारी जानना चाहूंगा । एक तो यह कि ये अभिलेख कितने वर्षों से अपूर्ण हैं और अध्यापक अध्यापिकाओं का कितना पी0 एफ0 का धन और कितना एल0 आई0 सी0 का धन अलग-अलग जमा है ? दूसरा यह कि शासन को 31-3-86 को वैयक्तिक लेजर खाते के इतिशेष कीलित करा देने की नीति किन परिस्थितियों में अपनानी पड़ी और इनके खाते कब से खोल दिये जायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

ये हिसाब-किताब, बेसिक शिक्षा परिषद् 1972 में जब गठित हुई, उससे पहले ये विद्यालय चाहे बेसिक हों या प्राइमरी हों या जूनियर हाईस्कूल हों, नगर-महापालिका के अधीन चल रहे थे । बेसिक शिक्षा परिषद गठित होने के बाद इन अध्यापकों के खाते का सही विवरण नहीं आ सका, इसलिये नये खाते खोले । धन से संबंधित कार्यवाही कर रहे थे, इसके बाद ऐसी समस्या पैदा हुई कि हिसाब-किताब में चूंकि संख्या बढ़ती चली जा रही थी अध्यापकों की और बेसिक शिक्षा परिषद् पर भार बढ़ता चला जा रहा था, इसलिये उसके अधीन लेखा विभाग का गठन किया गया, लेखा विभाग ने नये खाते खोले । जहां तक गबन की बात कही गयी है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में उनका हिसाब-किताब दुरुस्त किया जा रहा है । ज्यों ही ठीक कर लिया जायगा, भुगतान करने की कार्यवाही यथासम्भव की जायगी । पी0 एल0 ए0 25-2-88 को रिलीज कर दिया गया है, मार्च, 88 से वेतन रिलीज कर दिया गया है, जी0 पी0 एफ0 का अभी है, हिसाब किताब ठीक हो जाने के बाद दे दिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री ने स्वीकार किया कि 72 से ही हिसाब अपूर्ण है । एक तो यह जानना चाहूंगा कि 72 से लेकर अभी तक का लेखा-जोखा ही पूरा नहीं है तो कैसे कह रहे हैं कि कोई गबन नहीं है ? दूसरा, जनपद में कुल कितने अध्यापक और अध्यापिकायें सेवारत हैं और कितनों के खाते खोल पाये हैं, कितनों का खोलना शेष है ? उनके खाते खोलकर सारे अध्यापक अध्यापिकाओं की पास बुकें कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

ये प्राइमरी स्कूल कुल 1375 हैं, प्रधान अध्यापक 1281 हैं, सहायक अध्यापक 4092 हैं, जूनियर हाईस्कूल 104 हैं, प्रधानाध्यापक 104 हैं, सहायक अध्यापक 690 हैं । ये सभी इतने अध्यापक हैं, जिनके खाते दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जल्द ही इनको ठीक करके हिसाब किताब जो होगा, दे दिया जायगा ।

*2–श्री पूरन सिंह माहरा–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

कानपुर के बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज में शिक्षक, छात्र वर्ग एवं प्रबंधक मंडल में गुट बन्दी के कारण अध्यापन कार्य में हानि

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज कानपुर के शिक्षक छात्र वर्ग एवं प्रबन्धक मण्डल में भयंकर गुटबन्दी के कारण अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में भारी हानि हो रही है तथा इलाके में अशान्ति व्याप्त है ? यदि हां, तो लोकहित में शासन अविलम्ब प्रबन्धक मण्डल को भंयकर साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, इस संस्था के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, वह गुमराह करने वाला है । या तो मंत्री जी को सूचनायें असत्य प्राप्त हुई हैं । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिदत्त दुबे, उप नगर मैजिस्ट्रेट (पंचम) के यहां इस विद्यालय के अध्यापकों और प्रोफेसरों तथा छात्रों एवं प्रबन्धक मण्डल के बीच धारा 107(1) की कार्यवाही चल रही है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न था वह इस तरह से था कि बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज कानपुर के शिक्षक, छात्र वर्ग एवं प्रबन्धक मण्डल में भयंकर गुटबन्दी के कारण अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में भारी हानि हो रही है तथा इलाके में अशान्ति व्याप्त है । तो क्या लोकहित में शासन अविलम्ब प्रबन्धक मण्डल को भंग कर साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की कृपा करेगा । तो मान्यवर, इस प्रश्न में चार बिन्दु उठाये गये हैं । मैंने तीन जगह से इस बारे में सूचना मंगवा ली है, मैंने विश्वविद्यालय से भी सूचना मंगायी है । इन चारों बिन्दुओं के बारे में मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि शिक्षकों और छात्र वर्ग तथा प्रबन्धक मण्डल के बीच कोई गुटबन्दी नहीं है, कालेज में अध्यापन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। कालेज के इलाके में भी कोई अशान्ति नहीं है । अतः कालेज में प्रबन्धक मण्डल को भंग करके साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरे हाथ में न्यायालय अपर मैजिस्ट्रेट (पंचम) कानपुर का सम्मन है और दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और माननीय मंत्री जी इसको मना कर रहे हैं कि वहां पर कुछ है ही नहीं जबकि नोटिस की धारा 107 (1) में अपर मैजिस्ट्रेट के यहां कार्यवाही चल रही है छात्रों और अध्यापकों एवं प्रबन्धक मण्डल के विरुद्ध ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मैं भी अभी जो उत्तर दे रहा था, मैंने भी जिला मैजिस्ट्रेट से सूचना मंगवायी थी और उन्होंने ही लिखा है कि प्रबन्धक मण्डल तथा छात्रों व अध्यापकों के बीच गुटबन्दी की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है । आप जो सूचना हमें बतला रहे हैं वह हमारे पास नहीं है । आप इसको हमें बतला दीजियेगा, हम इसे दिखवा लेंगे ।

श्री सरदार सिंह–

तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए दोनों पक्षों के बीच जो गुटबन्दी चल रही है और जिससे अध्ययन और अध्यापन कार्य को भारी हानि हो रही है, कोई उच्चस्तरीय जांच इस संबंध में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जो रिपोर्ट के बारे में आप बतला रहे हैं इसकी एक कापी आप हमें भिजवा दीजियेगा, मैं इसे दिखवा लूंगा ।

श्री रघुवर दयाल शर्मा–

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने इसके संबंध में सूचना मंगवायी है और जो सूचना मा0 सदस्य के पास है कि अपर मैजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा चल रहा है, तो मा0 मंत्री जी के पास जो सूचना आयी है वह अपूर्ण है तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को विस्तृत सूचना मंगवाने के लिये इस प्रश्न को तब तक के लिये स्थगित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह तो दिया कि रिपोर्ट भिजवा दीजिये, दिखवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, जहां निर्वाचित कमेटी बनती है, प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत गुटबन्दी तो होगी ही, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अध्यापन के कार्य में हानि न हो जाय तो किसी प्रबन्धतंत्र को सरकार अपने हाथ में ले, ऐसी दिक्कत सरकार को न होगी अब तक जो आपकी रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या यह सही है कि यह कालेज हमारे प्रदेश का प्रमुख कालेज है और इस कालेज में क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई पार्टी बन्दी है, वैसे हमारी जानकारी के अनुसार इस कालेज में कोई पार्टी बन्दी नहीं है । तो क्या शासन की नीति के अनुसार यदि किसी कालेज में किसी प्रकार की कोई पार्टी बन्दी हो तो क्या उसे छीनने के अधिकार शासन के पास हैं, यदि हैं तो इस मामले में उत्पन्न विवाद को ज्यादा दिन बढ़ाने के क्या औचित्य हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने प्रश्न तो उचित ही किया होगा, लेकिन मैं समझ नहीं सका ।

कृषकों की सहायतार्थ प्रोग्राम फार असिस्टेंस फार स्माल एण्ड मार्जीनल फारमर्स योजना लागू करने की मांग

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायतार्थ प्रोग्राम फार असिस्टेंस फार स्माल एण्ड मार्जिनल फारमर्स योजना आन्ध्र प्रदेश सहित कई प्रदेशों में चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के निर्बल कृषकों हेतु उक्त योजना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी हां । यह केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1983-84 से 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश के अनुपात में चलाई जा रही है और चूंकि वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में भी इस योजना हेतु कुल 25.48 करोड़ रु0 का प्राविधान कराया जा रहा है । अतः भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा कि यह पुरोनिर्धारित केन्द्र की योजना प्रदेश में 78-79 से चल रही है, परन्तु यह बता रहे हैं कि वर्ष 1983-84 से चल रही है तो जो योजना 78-79 से चल रही है और जो योजना माननीय मंत्री जी 83-84 से बता रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है और दूसरी बात जो मैंने जाननी चाही है कि प्रोग्राम फार असिस्टेंस फार स्माल एण्ड मार्जिनल फारमर्स योजना जो आंध्र प्रदेश के साथ कई प्रदेशों में चल रही है, तो इसका प्रारूप क्या है और इसके द्वारा लघु व सीमान्त कृषकों को क्या सहायताएं दी जाती हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं, बल्कि यह योजना सभी प्रदेशों में चल रही है और इसके अंतर्गत मान्यवर केन्द्र सरकार का आधा हिस्सा होता है और आधा हिस्सा राज्य सरकार का। इस ढंग से लघु और सीमान्त कृषकों को अल्प सिंचाई की सुविधा, बीज वितरण एवं जिन छोटे-छोटे किसानों के पास भूमि है, उन पर भूमि विकास कार्यक्रम करके उनको लाभान्वित किया जाता है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि यह योजना वर्ष 1978-79 से चल रही है और आप कह रहे हैं कि 83-84 से । इसी के साथ मान्यवर मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो वर्ष 1988-89 में इस योजना के अन्तर्गत पैसा दिया गया है । उस पैसे का उपयोग कौन-कौन से विभाग द्वारा कौन-कौन से जिलों में किया जायेगा, क्या बुन्देलखण्ड के लिए भी कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर माननीय सदस्य को यह गलत सूचना पहुंची है कि यह योजना वर्ष 1978-79 से चलाई जा रही है, बल्कि यह योजना वर्ष 1983-84 से ही चल रही है और इस पैसे का उपयोग पूरे प्रदेश में होगा ।

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

अवकाश प्राप्त शिक्षकों को समय से पेंशन भुगतान की मांग

***6–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)–**

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों को बलिया जनपद में समय से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या जनहित में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समय के साथ अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन का भुगतान हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मिन्ते रजी–

जी नहीं । समायान्तर्गत पेंशन का भुगतान हो रहा है । केवल जनवरी व फरवरी , 1988 की पेंशन भुगतान धनाभाव के कारण शेष है ।

अपेक्षित व्यवस्था है परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में कभी-कभी ऐसी स्थित उत्पन्न हो जाती है ।

उ0 प्र0 में ग्रामीण इलाकों में बने सामुदायिक विकास भवनों के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश

*7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 में ग्रामीण इलाकों में करोड़ों रुपए सामुदायिक विकास भवन में व्यय किए जा रहे हैं और इनमें से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत के भवन बन भी चुके हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि बन चुके भवनों का उपयोग अभी तक सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन भवनों का क्या उपयोग किया जाएगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

सामुदायिक विकास केन्द्रों के उपयोग के संबंध में शासन स्तर से विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। यह केन्द्र गांवों के सर्वांगीण विकास के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से निर्मित किए गए थे तथा इनका उपयोग ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के कार्यालय के रूप में भी किए जाने का प्राविधान है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर आपकी अनुमति से यह जानना चाहूंगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सामुदायिक विकास केन्द्रों की उपयोग के संबंध में शासन स्तर से विस्तृत निर्देश किये जा चुके हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि वह आदेश क्या है और दूसरी बात जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वांगीण विकास के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से निर्मित किये गये हैं तो इसमें शासन का खाता क्या है और तीसरी बात ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के कार्यालय स्थापित करने की योजना कब तक शुरू हो जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना का जब निर्णय लिया गया उस समय विचार किया गया कि ग्रामीण अंचलों में कहां-कहां पर इस तरह के न्याय पंचायत स्तर पर न्यूक्लियस प्वाइंट्स हैं जहां पर किसानों के हितों की चर्चा हो सके । अभी तक इस तरह का कोई केन्द्र बिन्दु नहीं है इसलिए एक लाख रुपये की लागत से इसको बनाने का निर्णय लिया गया है । यह भी दिमाग में बात थी कि यह जो केन्द्र जिस स्थान पर बनेगा अगर कोई प्राईमरी स्कूल खोला जाना है, बीज गोदाम खोला जाना है या अन्य कोई कार्य किया जाना है तो यह सब उसी जगह पर बनाये जायेंगे, तो इस प्रकार से यह विकास का न्यूक्लियस प्वाईंट होगा । तो यह निर्देश दिये गये कि स्थल के चयन में 5 एकड़ तक जमीन होनी चाहिए, जिससे वहां पर और भी संस्थाएं चल सकें। प्रदेश से यह मांग आई कि 5 एकड़ जमीन नहीं उपलब्ध हो रही

है, इस पर 3 एकड़ किया गया। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि ग्रामीण स्थल के कर्मचारियों के कार्यालय कब तक खोले जायेंगे, सभी को जानकारी है कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, न्याय पंचायतों में काम करते हैं उनके लिए कोई कार्यालय नहीं है। न्याय पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके यहां पर कार्यालय हो, जिससे यह कर्मचारी जनता को उपलब्ध हो सकें।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन न्याय पंचायतों में जमीन उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध हो जाती है तो कोई व्यक्ति अदालत में जाकर स्टे ले आता है तो केन्द्र बनने में कठिनाई होती है तो क्या माननीय मंत्री जी इसमें ढील देंगे कि यदि किसी न्याय पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं है तो उस न्याय पंचायत के पास दूसरी गांव सभा में जहां पर जमीन उपलब्ध हो, सड़क के किनारे हो तथा और सुविधायें उपलब्ध हों वहां पर इन सामुदायिक विकास केन्द्रों को बनाने के आदेश देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं राम शरण दास जी के विचार से सहमत हूं और इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि अगर न्याय पंचायत मुख्यालय पर जमीन उपलब्ध नहीं है तो दूसरी गांव सभा में अगर स्थान उपलब्ध हो जाता है तो वहां पर उन्हें बनाया जा सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि विकास के लिए इन केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कहीं पर कोई काम इस योजना के अंतर्गत हुआ है या नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन् ड्राईसम की योजना चल रही है और रबी गोष्ठी चल रही है। जहां पर लोग समझ रहे हैं वहां पर काम शुरू हो गया है। मैं वर्मा जी से सहमत हूं कि सभी जगह काम नहीं शुरू हुआ है लेकिन उसके विस्तृत निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

सामुदायिक विकास केन्द्र पंचायत वार बनाने का फैसला लिया गया है कहीं-कहीं पर 2-2 बनाये गये हैं और कहीं-कहीं पर एक भी नहीं बनाया गया है तो क्या शेष जगहों पर भी बनवाने की कृपा करेंगे और दूसरी चीज इन जगहों पर अभी तक ग्राम विकास अधिकारी यह ग्राम पंचायत अधिकारी कोई नहीं रह रहा है और वह खाली पड़े हैं ?

आप क्या यह आदेश देंगे कि उनमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी रखवाने की व्यवस्था की जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कहीं-कहीं पर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी रह रहे हैं और कहीं-कहीं पर नहीं रह रहे हैं। इसके लिये विस्तृत आदेश शासन द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

मैंने यह पूछा था कि क्या आप न्याय पंचायत स्तर पर भी यह भवन बनवाएंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जयदीप सिंह धरार–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्राम्य विकास केन्द्रों और उनके भवनों के लिये शर्त यह है कि 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए । दूसरे उन्होंने कहा कि उसमें कर्मचारी भी रहेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक जो सामुदायिक विकास भवन बने हैं क्या उनके पास 3 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है ? यदि नहीं है तो जिन लोगों ने इस तरह से बनाये हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? तीसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में क्या आप ऐसे निर्देश निर्गत करेंगे जैसा कि आपने लेखपालों का उल्लेख किया हालांकि यह उनके विभाग से संबंधित नहीं है, इन विकास केन्द्रों पर ये ग्राम विकास अधिकारी किसी निश्चित समय तक वहां पर बैठे रहेंगे, ऐसा कोई निश्चित समय आप निर्धारित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने बताया कि विस्तृत आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कुछ-कुछ सामुदायिक विकास केन्द्रों का उपयोग हो रहा है । मेरी निश्चित जानकारी है कि जहां भी सामुदायिक विकास केन्द्र बने हैं वे या तो जमीन न मिलने के कारण बस्ती से दूर बने हैं और एक का भी उपयोग नहीं हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कहीं पर भी कोई विकास केन्द्र बना है और उनका उपयोग हो रहा है उसका नाम बता दें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मैं श्री बाबूराम जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां पर भी इनका उपयोग नहीं हो रहा है उन सामुदायिक विकास केन्द्रों का उपयोग करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि करोड़ों रुपयों की लागत से यह विकास भवन बने हैं। सरकार कहती है कि उनके पास स्कूल बनवाने के लिये पैसा नहीं है और करोड़ों रुपया इन विकास भवनों को बनाने में लगा दिया, उनका उपयोग नहीं हो रहा है । मान्यवर, मेरे तीन सवालों में मंत्री जी ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सामुदायिक विकास केन्द्रों के उपयोग के संबंध में शासन स्तर पर जो निर्देश जारी किये गये हैं, वह क्या है ? दूसरी बात यह है कि इन केन्द्रों के सर्वांगीण विकास को केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने के लिये क्या खाका है ? तीसरी बात यह है कि ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के कार्यालयों के लिये और उनको विकसित करने के लिये क्या मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, क्या उद्देश्य था इन केन्द्रों को स्थापित करने का.. (व्यवधान) उसकी पूर्ति के लिये इन केन्द्रों का उपयोग करने की प्रक्रिया की बात है, इस संबंध में मैंने बताया कि उसका परीक्षण करके शासन शीघ्र ही आदेश जारी कर रहा है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि परीक्षण होगा...

श्री अध्यक्ष–

वे कह रहे हैं कि आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामुदायिक विकास केन्द्र बने हैं वे आबादी से मिले हुये हैं उनमें पानी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी उनमें सफाई और पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, सुझाव अच्छा है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय मंत्री जी और सरकार दोनों इसके लिये बधाई की पात्र हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो सामुदायिक विकास भवन इतनी लागत से बन रहे हैं, उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह शासन के विचाराधीन है।

*8–श्री दीपक कुमार–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

प्रदेश के सूखे में भूगर्भ जल के विकास में भू वैज्ञानिकों का योगदान

*9–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश के वर्तमान सूखे में भू-गर्भ जल के विकास में भू-गर्भ सर्वेक्षण संगठन के भू-वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा ? क्या प्रदेश में भू-गर्भ जल के समुचित विकास के उपर्युक्त सर्वेक्षण हेतु विभाग में भू-भौतिकविदों और भू-गर्भशास्त्रियों की संख्या आवश्यकता से कम है ? यदि कम है तो शासन द्वारा इस विभाग में भुवैज्ञानिकों के नवीन पदों का सृजन न करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रदेश के वर्तमान सूखे में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के भूवैज्ञानिकों ने विभाग में कार्यरत अन्य संवर्गों जैसे-सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियन्त्रण एवं भूभौतिकीय आदि के अधिकारियों के साथ समन्वित ढंग से सामान्य कार्यों के अतिरिक्त भुगर्भ-

जल स्तर का विशेष अनुश्रवण एवं प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा रिग मशीनों से बोरिंग स्थल आदि के चयन हेतु सर्वेक्षण कार्य किया ।

इस बारे में परीक्षण किया जा रहा है ।

नये पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है और सभी को पता है कि इस शताब्दि का भयंकरतम सूखा इस वर्ष पड़ा है जिसके कारण जलस्तर गिरता चला जा रहा है । इस समस्या से निपटने के लिये भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल है उसी की जिज्ञासा को देखते हुये मैंने यह प्रश्न किया था कि कितने पद ऐसे हैं जो अभी सृजित नहीं हुये हैं जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि परीक्षण हो रहा है और पदों की आवश्यकता है । तो इस सूखे को देखते हुए इन पदों को जल्दी से जल्दी सृजित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय डा0 जौहरी की राय से सहमत हूं इस समय इस विभाग को बहुत बड़ा काम करना है और इस समय जो पद स्वीकृत हैं वह काफी नहीं हैं । इसलिए निदेशक भू-गर्भ जल सर्वेक्षण से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है शासन स्तर पर उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह प्रश्न चूंकि माननीय मंत्री जी के पक्ष में जाता है इसलिये सही उत्तर दिया है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के जो अधिशासी अभियंता हैं उनके पास क्या कोई टैक्नीकल डिग्री है या नहीं, यदि नहीं तो उनको इस वरिष्ठ पद पर रखने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस संगठन में विभिन्न संवर्गों के लोग काम करते हैं, कुछ इंजीनियर और कुछ साइंटिस्ट भी हैं । जो वर्तमान में अधिशासी अभियंता हैं उनके लिये जो योग्यता की आवश्यकता है वह उन्हें प्राप्त है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का काम पानी का पता लगाना है और उसकी बोरिंग का काम लघु सिंचाई विभाग द्वारा होता है इस प्रकार दो एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं यही कारण है कि झांसी में 90 प्रतिशत नलकूप फेल हो रहे हैं । तो क्या एक ही विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण और बोरिंग का काम कराने की कृपा करेंगे चाहे भूगर्भ जल सर्वेक्षण से करायें या लघु सिंचाई विभाग से करायें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग के लोग सर्वेक्षण का काम नहीं करते हैं वह भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के लोग करते हैं । लघु सिंचाई विभाग से यह काम कराना संभव नहीं है ।

सी0 एस0 नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई में एम0 ए0 भूगोल की कक्षाएं खोले जाने का प्रस्ताव

*10–श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सी0 एस0 नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई में एम0 ए0 भूगोल की कक्षाएं खोले जाने हेतु विषय विशेषज्ञ, अधिष्ठाता, कला संकाय एवं शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल संस्तुति के बाद कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुति सहित पत्रावली शासन में दिसम्बर, 87 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो जनपद की महती मांग को देखते हुए अभी तक एम0 ए0 भूगोल की कक्षायें न खोले जाने की अनुमति न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1987 में कानपुर विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्रश्नगत विषय में अस्थायी सम्बद्धता हेतु शासन से क्लियरेन्स प्राप्त किये बिना विश्वविद्यालय से निरीक्षण सम्पन्न करवाकर प्रस्ताव भेजा जाना शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न होने के कारण अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है।

मथुरा के मांट व नौहझील ब्लाक में ट्यूबवेलों की बोरिंग

*11–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मांट क्षेत्र, जनपद मथुरा के मांट व नौहझील ब्लाकों में आगरा विकास निगम द्वारा वर्ष 1983-84 में 18 ट्यूबवेलों के बोरिंग कराये गये थे ? यदि हां, तो बोरिंग सफल होने के बावजूद अभी तक इन बोरिंगों पर पम्प सेट या विद्युत मोटरें लगाकर चालू न करने का क्या कारण है जबकि इन बोरिंगों के क्षेत्रों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है ? क्या सरकार इन 18 बोरिंगों को चालू कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

मथुरा जनपद के विकास खण्ड मांट एवं नौहझील के अंतर्गत आगरा मण्डल विकास निगम द्वारा इन 18 सामुदायिक नलकूपों का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा निगम द्वारा पोषित, जिसमें प्रत्येक को 50 प्रतिशत धनराशि लगानी थी, लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 में किया जाना था, परन्तु धनाभाव के कारण इस योजना के अन्तर्गत केवल बोरिंग किया जाना सम्भव हो पाया है।

आगरा मण्डल विकास निगम द्वारा अन्य जनपदों में सामुदायिक नलकूपों का निर्माण कराया गया था परन्तु इस योजना के अंतर्गत लगाये गये नलकूपों से निगम को लगातार हानि उठानी पड़ी । इसे देखते हुए निगम के निदेशक मण्डल द्वारा यह

निर्णय लिया गया कि भविष्य में और नलकूप न लगाये जायें और जो नलकूप लगाये जा चुके हैं उनको जिलाधिकारियों के माध्यम से एक-एक करके विक्रय कर दिया जाय, जिससे निगम को और आर्थिक हानि न उठानी पड़े। वर्तमान में नलकूपों के निस्तारण की कार्यवाही निगम द्वारा करायी जा रही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें जो उत्तर दिया है कुछ संशोधन करना चाहता हूं "जी हां" की जगह । इन दो विकास खण्डों में 18 के बजाय 16 नलकूपों में बोरिंग करायी गयी।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, मांट व नोहझील ब्लाकों में सिंचाई के कोई साधन नहीं थे इसलिए 16 ट्यूबवेल 4 साल पहले लगाये गये जो सफल रहे लेकिन किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सरकार इतनी चिंतित है कि चार सालों में उनकी बोरिंग तक नहीं करा पायी । इसलिए क्या मंत्री जी निर्देश देंगे कि जिला अधिकारी एक या दो महीने के अन्दर उनकी नीलामी करके नलकूपों को चालू करा दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, विधायक जी के विचार से मैं सहमत हूं कि सिंचाई के साधन वहां उपलब्ध नहीं हैं और उनकी बोरिंग कई वर्ष पूर्व हुई थी लेकिन वह चले नहीं । इसलिए निगम के निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया है कि इन नलकूपों का निस्तारण कर दिया जाये और जो इनको लें वह चालू करके किसानों के हित में काम करें।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, वहां पानी का गम्भीर संकट है, इसलिए मंत्री जी आश्वासन दें कि जल्दी इस काम को पूरा करा देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, शीघ्रता की जायेगी ।

*12–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[9वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वन निगम पर वन विभाग का वित्तीय वर्ष 1986-87 के बकाया धन की वसूली

*13–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम पर वन विभाग का वित्तीय वर्ष 1986-87 तक का कितना धन बकाया है जिसकी वसूली अभी तक नहीं हुई है ? वन विभाग ने इस सम्बन्ध में वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की है तथा वन निगम से इस वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाया की वसूली की तरह कितने मामलों में कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

86-87 तक वन निगम के विरुद्ध 15.94 करोड़ रुपये का बकाया है।

वन विभाग द्वारा समय-समय पर वन निगम को मांग पत्र तथा अनुस्मारक भेजे गये हैं ।

वन निगम से वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाया की वसूली की तरह कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, क्योंकि वन निगम ने विभिन्न मांगों के विरुद्ध वन विभाग को प्रत्यावेदन दिया है और अतिरिक्त रायल्टी तथा विक्रय कर की वसूली से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय तथा आयकर अधिकरण से अपील की हुई है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सरकार किसानों से भू-राजस्व की बकाये की वसूली हेतु उत्पीड़न की कार्यवाही करती है, तो क्या कारण है जिससे वन निगम में जो करोड़ों रुपये की हेराफेरी होती है और वन विभाग का करोड़ों रुपये वन निगम पर बाकी है और मात्र उनकी एप्लीकेशन आ जाने से बकाये की वसूली रोक दी जाती है, तो यह दोहरा मापदण्ड दोहरी नीति सरकार ने क्यों अपना रखी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, दोहरी नीति का सवाल नहीं है। यह जो बकाया है, यह रायल्टी और बिक्रीकर का बकाया है। उनको वसूली के लिए पत्र लिखे तो गये इस मामले को लेकर। चूंकि इस समय रायल्टी और अतिरिक्त रायल्टी दोनों को मिलाकर 9 करोड़ 90 लाख रुपये इन पर बकाया हो गया था, चूंकि 9.90 करोड़ रुपये और 3.34 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक बिक्रीकर था, तो इस इश्यू को लेकर उच्च न्यायालय में चले गये, इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मूल उत्तर देखें जिसमें साफ लिखा है कि वन विभाग को प्रत्यावेदन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि वन निगम जो सरकार के नियंत्रण में रहता है और बकाये में मात्र प्रत्यावेदन पर ही वसूली रोक दी जाती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि वन विभाग के सचिव या प्रशासन की ओर से किसी समिति या कोई ऐसा बयान किसी जगह पर किया गया है कि वन निगम पर जो बकाया है इसलिए नये लाटों का आवंटन न किया जाये, क्या वन विभाग के ऐसे नियम हैं कि जिन पर पिछले साल का बकाया है तो नये लाट नहीं दिये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, बकाया किसी तरह का है तो इसमें रायल्टी लेने का नियम है। जब इंकमटैक्स वालों ने आयकर लगाया उस समय उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि इन पर अतिरिक्त रायल्टी भी ली जायेगी और इसके लेने की मंशा थी जो आयकर बाहर चला जायेगा वह प्रदेश को मिले, तो अतिरिक्त रायल्टी लगा दी गयी इन पर लेकिन आयकर वालों ने अतिरिक्त रायल्टी को मान्यता नहीं दी और कहा कि आयकर निश्चित रूप से लेंगे और लगायेंगे, इस प्वाइन्ट को लेकर अतिरिक्त रायल्टी लेना आयकर से मुक्ति मिल सकती है कि नहीं, इस पर हाई कोर्ट में गये। 1986-87 में रायल्टी के रूप में अनुमानित 52.50 करोड़ रुपये जमा किया है। इस मामले में 15 करोड़ रुपये 1986-87 का और पिछले वर्षों का आयकर के कारण डेबिटेबिल हो गया, हाई कोर्ट में अपील किया है, तो जैसा निर्णय होगा वैसी कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सरकार ने स्वीकार किया है कि वन निगम पर वन विभाग का बकाया है और न्यायालय में बहस हो रही है, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वन विभाग में वन की लकड़ी और जो अन्य सम्पत्तियां हैं, ठेके दिए जाते हैं उसमें नियम है कि कोई भी ठेकेदार जिसमें निगम भी आता है पुराना बकाया न अदा करे तो नया ठेका नहीं दिया जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का वन निगम पर बकाया है तो क्या निगम को इस वर्ष नये ठेके देने से वन विभाग मना करेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, बकाये की राशि विवादास्पद है। विवाद में निर्णय हो गया तो तुरन्त उसे जमा कर देंगे।

ब्लाक अमरौधा, जनपद कानपुर देहात में बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त शिक्षकों को माह फरवरी, 87 से पेंशन भुगतान न होना

*14–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि ब्लाक-अमरौधा, जनपद–कानपुर-देहात में बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा-निवृत्त शिक्षकों को माह फरवरी, 87 से अब तक पेंशन का भुगतान न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन्हें प्रतिमाह पेंशन भुगतान की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

माह फरवरी, 1988 तक पेंशन का भुगतान हो चुका है।

पूर्व से ही यह व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुझे निश्चित जानकारी है कि संदर्भित सेवा निवृत्त शिक्षकों को पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, क्या आप भुगतान करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, उत्तर में तो बता दिया है कि माह फरवरी, 1988 तक पेंशन का भुगतान हो चुका है। यदि नहीं हुआ है किसी का तो निश्चित जानकारी है तो बता दें।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न सं0–6 पर था उसमें भी मंत्री जी ने गलत-बयानी किया है और इस प्रश्न पर भी गलतबयानी किया है जबकि पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, आप इसकी जांच करायें। मेरे जिले में 3-4 महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है और कह रहे हैं कि हो चुका है, यह शर्म की बात है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*15–श्री बदन सिंह–

[दिनांक 8-9-86 को अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

वर्ष 1987 के हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के कतिपय छात्रों के परीक्षाफल न घोषित करने में इलाहाबाद बोर्ड की लापरवाही

*16–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1987 के हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के कतिपय छात्रों के परीक्षाफल सचिव, इलाहाबाद बोर्ड की लापरवाही तथा शिथिलता के कारण अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इस सम्बन्ध में छात्रों से स्पष्टीकरण आदि किस तिथि तक प्राप्त कर लिये गये थे ? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी तथा निकट भविष्य में किस तिथि तक सभी परीक्षाफल घोषित कर दिए जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं । सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा परीक्षाफल घोषित करने में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही नहीं की गई है। कतिपय छात्रों के परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोके गये । सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग से संबंधित परीक्षार्थियों से सितम्बर, 1987 तक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये गये थे । रोके गये परीक्षाफल की नियमानुकूल विधिक प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। अतः छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तथा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। विधिक प्रक्रिया नियमानुसार सम्पन्न होते ही निस्तारित कर दिए जायेंगे ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रशासन व नियंत्रण जिला परिषदों को पुनः देने की मांग

*17–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रशासन व नियंत्रण जिला परिषदों को पुनः देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष जिला परिषद् हैं जिन्हें अध्यापकों के स्थानान्तरण उप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रशासन व नियंत्रण पूर्णतया जिला परिषदों को देने का औचित्य नहीं है ।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

आजमगढ़ की घोसी तहसील में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

*18—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन की घोषित नीति के बावजूद कि जनपद की प्रत्येक तहसीलों में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलेगा अभी तक जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं खुल पाया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि शहीद राजकीय कन्या इण्टर कालेज, मधुबन, जनपद आजमगढ़ में खोले जाने के सम्बन्ध में उप विद्यालय निरीक्षक, जनपद आजमगढ़ की संस्तुति के साथ शासन से मांग की गयी थी ? यदि हां, तो राजकीय शहीद कन्या इण्टर कालेज, मधुबन, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में खोले जाने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद के प्रत्येक तहसील में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की न तो कोई घोषित नीति है और न कोई योजना ही है।

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 24-9-87 अवश्य प्राप्त हुआ है।

योजना के अभाव में मधुबन में राजकीय शहीद कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*19—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रदेश के प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण में हो रहे विलम्ब तथा अनियमितता

*20—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रदेश के प्राइमरी पाठशालाओं तथा सीनियर बेसिक पाठशालाओं के स्वीकृत भवनों के निर्माण में हो रहे विलम्ब तथा अनियमितता को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग में भवन निर्माण शाखा जो शिक्षा विभाग के नियंत्रण में हो, को खोलने का प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ के विरुद्ध जांच

1—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में नव सम्पत्ति सृजन हेतु विकास खण्ड सरोजनीनगर, लखनऊ को रु0 1,62,400 की

धनराशि प्रदत्त की गयी थी तथा उपरोक्त धन के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध एक जांच मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा परगनाधिकारी, लखनऊ से करायी गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नारायण इण्टर कालेज, गुरु नानक बालिका विद्यालय तथा सोहन लाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ की अध्यापिकाओं के वेतन के सम्बन्ध में पत्र

2–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-12-1987 एवं 21-12-87 श्री नारायण इण्टर कालेज, गुरु नानक बालिका विद्यालय एवं सोहन लाल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, लखनऊ की अध्यापिकाओं को वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड तिशेश्वरगंज में जिला परिषद् द्वारा निर्मित अर्जुन-पुरवा–गंगवल बाजार मार्ग का मरम्मत कार्य

3--श्री राम सागर राव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड तिशेश्वरगंज में जिला परिषद् द्वारा निर्मित अर्जुनपुरवा से गंगवल बाजार तक का मार्ग मरम्मत का कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

गिरजा शंकर श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड मुरादाबाद द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र

4–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरिजा शंकर श्रीवास्तव अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड मुरादाबाद द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद हुसैन ब्लाक प्रमुख, ब्लाक भगतपुर टाण्डा, जनपद मुरादाबाद के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 जून, 87 मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, श्री मोहम्मद हुसैन, ब्लाक प्रमुख, भगतपुर टांडा, जनपद मुरादाबाद के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 जून, 1987 मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को प्राप्त हुआ है। उसके अनुक्रम में संबंधित अवर अभियन्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुरादाबाद से करायी जा रही है।

वर्ष 1987-88 में जनपदों में खोले गये नवोदय विद्यालयों की संख्या

5–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987-88 में कितने जनपदों में नवोदय विद्यालय खोले गये तथा उनकी संख्या क्या है तथा उनका पाठ्यक्रम क्या है ? एक नवोदय विद्यालय के निर्माण पर कितना व्यय पड़ेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रदेश में इस समय 19 जनपदों में 19 नवोदय विद्यालय खोले गये हैं, जिनमें से वर्ष 1987-88 में 9 जनपदों में 9 नवोदय विद्यालय खोले गये । वर्ष 1988-89 में दस और जनपदों में नवोदय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

नवोदय विद्यालय भारत सरकार के अधीन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित हैं । इन विद्यालयों के छात्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी0 बी0 एस0 ई0), नई दिल्ली द्वारा संचालित माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है, अतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नवोदय विद्यालयों में शिक्षण होता है।

नवोदय विद्यालयों का भवन निर्माण नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली द्वारा कराया जाता है। प्राप्त सूचनानुसार एक नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण पर लगभग रु0 2 करोड़ 50 लाख के व्यय का अनुमान है।

बलिया जनपद के विकास क्षेत्र सीयर में फ्री बोरिंग स्कीम में बिल्थरा रोड टाउन एरिया के अपात्र व्यक्ति को लाभान्वित कराये जाने की शिकायत

6–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास क्षेत्र सीयर में फ्री बोरिंग स्कीम में बिल्थरा रोड टाउन एरिया के अपात्र व्यक्ति को लाभान्वित कराये जाने की शिकायत वर्ष 1985–86 व 1986–87 में भूतपूर्व विधायक श्री बब्बन सिंह सहित प्रश्नकर्ता ने की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जांच की जा रही है।

फैजाबाद के ग्राम हरखपुर कौडहा के निवासी द्वारा फर्जी जाति के आधार पर योजनाओं का लाभ उठाने की शिकायत

7—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद का पत्र संख्या 205/7-पां0/विधान सभा प्रश्न 85 माह अक्टूबर 1985 जो मा0 गौरी शंकर भइया, सदस्य विधान सभा द्वारा तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम हरखपुर कौडहा के निवासी द्वारा फर्जी जाति के आधार पर शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त के सम्बन्ध में था, विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

8—श्री राकेश धर त्रिपाठी तथा श्री रणजीत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति ने दिनांक 16-10-87 को कोई शिकायती-पत्र (श्री एम0 ए0 अन्सारी) अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण तथा गोरखपुर के विरुद्ध दिया था ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का श्री एम0 ए0 अंसारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 16-10-87 का मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र में श्री अंसारी के विरुद्ध एक समाचार पत्र को अनुचित प्रश्रय देने, नियुक्तियों में अनियमितता करने तथा आपूर्तियों में शासकीय धन की हेरा-फेरी के आरोप लगाये गये थे ।

इन शिकायतों की जांच करने हेतु जिलाधिकारी गोरखपुर को आदेश दिये गये हैं ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह भूमि संरक्षण अधिकारी गोरखपुर मण्डल समादेश क्षेत्र गोरखपुर इकाई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महेन्द्र प्रताप सिंह भूमि संरक्षण अधिकारी गोरखपुर मण्डल समादेश क्षेत्र गोरखपुर इकाई के विरुद्ध सत्ताइस सूत्रीय शिका-

यती-पत्र दिनांक 14-10-87 को श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति ने दिया था ? यदि हां, तो शिकायतें कौन-कौन सी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

2–शिकायतें मुख्य रूप से विकास कार्य में धोखा-धड़ी, स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त न करने, खुले आम जातिवाद एवं व्यक्तिवाद चलाने आदि से संबंधित हैं ।

3–संदर्भित शिकायती पत्र दिनांक 14-10-87 में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में जांच कराई जा रही है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में यांत्रिक अभियंता के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के पद पर नियमित अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव

10–श्री रमाकान्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में यांत्रिक अभियन्ता के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? इन पदों पर नियमित अधिकारियों के नियुक्ति का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में यांत्रिक के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के 2 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

यथा सम्भव शीघ्र नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

11–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम विकास निदेशालय के मुख्यालय पर प्राविधिक सहायकों के पदों पर कार्यरत खण्ड विकास अधिकारियों के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारियों की सम्बद्धता और उपयोगिता

12–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास निदेशालय के मुख्यालय पर स्वीकृति प्राविधिक सहायकों के पदों पर कार्यरत खण्ड विकास अधिकारियों के अतिरिक्त और कौन-कौन खण्ड विकास अधिकारी सम्बद्ध हैं और कब से ? मूलतः वे पद जिस पर यह तैनात हैं किस कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं ? क्या इन पदों की अब यहां कोई उपयोगिता नहीं है ? क्या शासन इन पदों को समाप्त करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम्य विकास निदेशालय में प्राविधिक सहायकों के अतिरिक्त पांच प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी सर्वश्री एन0 के0 मिश्रा, 24-8-86 से, जे0 एस0 अवस्थी 3-1-87 से, एस0 डी0 श्रीवास्तव 10-10-87 से यू0 सी0 पाठक 7-8-87 से तथा के0 के0 टंडन 2-5-86 से सम्बद्ध हैं । मूलतः उपरोक्त अधिकारियों से संबंधित पद प्रशिक्षण संगठन के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वीकृत हैं । कार्यहित में अस्थायी रूप से उन्हें निदेशालय में सम्बद्ध किया गया है ।

जी नहीं । यथा समय संबंधित अधिकारियों को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में वापस कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय के स्पेशल आडिट की रिपोर्ट में कार्यालय की कैश चेस्ट की मरम्मत और रंगाई पर व्यय की गयी धनराशि की जांच

13–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय के स्पेशल आडिट की रिपोर्ट में कार्यालय की कैश चेस्ट की मरम्मत और रंगाई पर एक बड़ी धनराशि का व्यय किया जाना बताया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी ? क्या यह कार्य शासनादेशों के विरुद्ध कार्यालय के भण्डार में विगत दो दशकों से भी अधिक समय से तैनात कर्मचारी के द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 21-5-86 को प्रेषित स्पेशल आडिट रिपोर्ट में कैश चेस्ट की मरम्मत और रंगाई पर एक बड़ी धनराशि का व्यय किया जाना नहीं बताया गया है । अतः इस प्रकरण में किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उप विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा सहायक आयुक्त ग्राम्य (प्रशासन) विकास निदेशालय लखनऊ को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

14–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप विकास आयुक्त गोरखपुर द्वारा सहायक आयुक्त (प्रशासन) ग्राम्य विकास निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित अर्धशासकीय पत्र दिनांक 23 जुलाई, 87 पर 31-12-87 तक वांछित कार्यवाही पूर्ण की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ? शासन को पहुंचायी गयी क्षति की पूर्ति क्या दोषी अधिकारियों से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उप विकास आयुक्त, गोरखपुर का संदर्भित पत्र दिनांक 23-7-87 श्री विश्वम्भर नाथ दुबे, खण्ड विकास अधिकारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेशों की तामील के विषय में था । श्री दुबे के घर के पते के अभाव में वांछित कार्यवाही 31-12-87 तक पूर्ण नहीं हो सकी । श्री दुबे को आदेश प्रसारण की तिथि से

अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिया गया है और उक्त आदेशों के विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर दी है । अतः शासन को किसी क्षति पहुंचाने एवं उसकी पूर्ति कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

15–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पर्वतीय जनपदों में प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति का अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन का मानक

16–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति का अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन किन-किन मानकों के आधार पर किस सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाते हैं ? इन मानकों के आधार पर विगत पांच वर्षों में इन जनपदों में क्रमशः क्या-क्या प्रगति अंकित की गयी ? इस आधार पर इन जनपदों में क्रमशः कब तक प्रौढ़ शिक्षा के लिए धन व्यय की आवश्यकता पड़ेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों का मूल्यांकन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत, केन्द्र के संचालन के 4 माह, 6 माह, 8 माह एवं 12 माह के बाद किया जाता है । यह मूल्यांकन कार्य परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के देखरेख में पर्यवेक्षकों द्वारा अनुदेशकों की सहायता से अपने-अपने संकुल क्षेत्रों के केन्द्रों में किया जाता है । इस मूल्यांकन की जांच समय-समय पर जनपदीय जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा की जाती है ।

मूल्यांकन के मानकों को विभिन्न 8 स्तरों में बांटा गया है इन स्तरों पर प्रतिभागियों को बारह मास के अंत में किये गये मूल्यांकन के आधार पर सफल घोषित किया जाता है । मूल्यांकन के मानक परिशिष्ट-1 में संलग्न हैं ।

विगत 5 वर्षों में (वर्ष 1982-83 से वर्ष 1986-87) जनपद नैनीताल में 43,408, पिथौरागढ़ में 35,603, पौड़ी में 45,187 टिहरी में 43,869, उत्तरकाशी में 35, 167, चमोली में 34,961 एवं देहरादून में 42,210 प्रौढ़ प्रतिभागियों का मूल्यांकन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर किया गया, इन में से नैनीताल में 46,330, अल्मोड़ा में 41, 175, पिथौरागढ़ में 30,304, पौड़ी में 39,475, टिहरी में 37,089, उत्तरकाशी में 33,099 तथा चमोली में 31,597 एवं देहरादून में 33,726 प्रतिभागी सफल रहे ।

इस प्रकार, पर्वतीय क्षेत्र में विगत उक्त 5 वर्षों में कुल 3,34,085 प्रौढ़ प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 2,92,795 प्रतिभागी सफल रहे ।

सम्प्रति, वर्ष 1995 तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु धन व्यय करने की आवश्यकता होगी ।

[देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ 146 पर]

17–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग के अध्यापकों/कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण

18–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 बी03/4601/दस-81-1 (2) 81 भवन/पर्वतीय क्षेत्र दिनांक 13-11-81 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में स्थाई निवास करने वाले कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण दिए जाने का प्राविधान किया गया था? यदि हां, तो 31 जनवरी, 1982 से 30 अप्रैल, 87 तक जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग में कार्यरत कितने अध्यापकों/कर्मचारियों ने इस प्राविधान के अंतर्गत आवेदन किया है उनमें से कितनों को यह ऋण उपलब्ध हुआ है ? ऋण आवेदनों के निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रश्नगत अवधि में कुल 22 अध्यापकों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

एक कर्मचारी को वर्ष 1986-87 में आवेदित अग्रिम स्वीकृत किया गया । अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण।

उ0 प्र0 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में रिक्त प्रथम श्रेणी के पदों की संख्या

19–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में लगातार तीन वर्ष से प्रथम श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? क्या लगातार तीन वर्षों से रिक्त चले आ रहे प्रथम श्रेणी पदों को नियमानुसार समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में वर्ष 1982, 83, 84 से प्रथम श्रेणी के कुल 5 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

संप्रति इन पदों पर विभागीय व्यवस्था द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है । पद समाप्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमिगत जल प्रदूषण एवं खारे भू जल की समस्या में अन्तर और निराकरण

20–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे सोमवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमिगत जल प्रदूषण एवं खारे भूजल की समस्या में क्या अन्तर है एवं उपरोक्त समस्या के निराकरण में क्या भू-वैज्ञानिकों, भू-भौतिकविदों का उपयोग नहीं किया जा सकता है इस समस्या के निदान हेतु किस विभाग को अधिकृत किया जायेगा एवं सरकार के समक्ष क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

अन्तर्राष्ट्रीय माप दण्ड (अमेरिका) के मानक के अनुसार यदि किसी स्थान पर भूजल में कुल घुलित लवणों की मात्रा 100 मिली ग्राम प्रति लीटर से अधिक होती है तो वह जल खारा माना जाता है ।

कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग एवं औद्योगिक त्याज्य पदार्थों तथा नागरिक सुविधाओं की बढ़ोत्तरी इत्यादि कृत्रिम कारणों से भूगर्भ जल की गुणता में उत्पन्न होने वाली गिरावट को प्रदूषण के अंतर्गत माना जाता है ।

भूवैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों का उपयोग किया जा सकता है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा खारे पानी की समस्या के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है । भूगर्भ जल प्रदूषण के संबंध में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्तमान में कोई योजना सम्पादित नहीं की जा रही है । परन्तु विभाग के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है ।

21–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

सरदार पटेल इंटर कालेज, सोंधी लक्ष्मीपुर जनपद गोरखपुर की छात्रा कु0 रीतू श्रीवास्तव को छात्रवृत्ति

22–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार पटेल इण्टर कालेज, सोंधी लक्ष्मीपुर जनपद गोरखपुर की हाईस्कूल की छात्रा कु0 रीनू श्रीवास्तव को वर्ष 1985 में परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्तांक के आधार पर छात्रवृत्ति शिक्षा निदेशालय अर्थ-3 इलाहाबाद से स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो वह छात्रवृत्ति कितनी थी ? उक्त छात्रा को कब प्राप्त हुई और प्राप्ति का प्रमाण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सरदार पटेल इंटर कालेज, सोंधी लक्ष्मीपुर, जनपद गोरखपुर की छात्रा कु0 रीतू श्रीवास्तव को निदेशालय इलाहाबाद के अर्थ-3 अनुभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है न कि छात्रा कु0 रीनू श्रीवास्तव को ।

रुपये 60 प्रति माह की दर से अगस्त, 85 से जून 86 तक।

छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया गया ।

तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री नरेश लाल श्रीवास्तव तथा प्रधान लिपिक श्री विद्या प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज की जा चुकी है ।

टिहरी गढ़वाल में हाइड्रम योजनाओं की संख्या

23—श्री राज किशोर सिंह—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी गढ़वाल में इस समय कितनी हाइड्रम योजनायें लगाई गयी हैं और उसमें कितनी चालू हैं तथा कितनी बन्द हैं ? क्या बंद योजनाएं फिर शुरु होंगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी गढ़वाल में 42 स्थानों पर हाइड्रम योजनायें लगाई गयी हैं जिसमें 28 स्थानों पर हाइड्रम योजनायें चालू हैं तथा 14 स्थानों पर हाइड्रम योजनायें बन्द हैं । बन्द हाइड्रम योजनाओं में से 6 योजनाओं को इस वर्ष तथा शेष 8 योजनाओं को आगामी वर्ष में चालू किया जाना प्रस्तावित है ।

अधीक्षण अभियंता कार्यालय, लघु सिंचाई झांसी में अवर अभियंता के वेतन का भुगतान

24—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियंता, कार्यालय लघु सिंचाई, झांसी वृत्त झांसी में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत (श्री राम सेवक) का वेतन माह अप्रैल, 85 से अब तक भुगतान हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त झांसी के कार्यालय हेतु अवर अभियंता का कोई पद सृजित नहीं किया गया है और न ही अवर अभियन्ता पद पर श्री राम सेवक नाम का व्यक्ति कार्यरत रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ मण्डल (छठा मण्डल) में कार्यरत प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को चयन वेतनमान

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल (छठा मण्डल) में कार्यरत ऐसे प्रति उपविद्यालय निरीक्षक कौन-कौन हैं, जिनकी लगातार सेवा के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं परन्तु अभी चयन वेतनमान नहीं दिया गया ? न देने का क्या कारण है तथा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

ऐसा कोई प्रति उप विद्यालय निरीक्षक नहीं है जिसकी उसी पद पर लगातार 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण हो चुकी हो और उसे चयन वेतनमान अभी तक नहीं दिया गया हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड खैराबाद, जिला सीतापुर के ग्राम रहिमाबाद तथा नैरपुर में हरिजनों के लिए कुओं का निर्माण

26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड खैराबाद जिला सीतापुर के ग्राम-रहीमाबाद, कोलिया तथा नैरपुर में हरिजनों के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु 4 कुवें विगत 3 वर्षों से अधिक समय से अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन कुओं का बनना कब प्रारम्भ हुआ ? कब तक पूरा होना था ? अब तक पूरा न हो पाने के क्या कारण हैं तथा कब तक निर्माण पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

उक्त कूपों का निर्माण कार्य क्रमशः दिनांक 9-1-80, 18-3-81, 13-10-81 तथा 4-4-83 से प्रारम्भ हुआ था । उक्त कूपों का निर्माण कार्य जगत को छोड़कर एक वर्ष में पूर्ण होना था ।

जिन कर्मचारियों को कूप निर्माण हेतु अग्रिम धन दिया गया था उनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गयी है तथा तफतीश चल रही है । जिलाधिकारी को इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करके नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं । अवशेष कार्यों को वर्तमान वर्ष के आवंटन से विधिगत मूल्यांकन कराकर उन्हें पूर्ण कराने के निर्देश भी दे दिए गये हैं ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज कोटद्वार में राजकीय शोक के कारण झण्डा झुकाने के बाद राष्ट्रीय गान का गाया जाना

27—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22-1-88 को राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार में राजकीय शोक के कारण झण्डा झुकाया गया था ? क्या यह सच है कि राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा झुकाने के बाद राष्ट्रीय गान इस विद्यालय की छात्राओं के द्वारा गाया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

दिनांक 22-1-1988 को विद्यालय में राजकीय शोक के कारण झण्डा झुकाया गया था । यह सत्य है कि राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा झुकाने के बाद इस विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करने के बाद रोज की भांति आदतन भूल से राष्ट्रीय गान आरम्भ कर दिया था जो तुरन्त ही बन्द कर दिया गया था । अतः कानूनी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28—श्री रणजीत—

[दिनांक 29-2-88 को अता0 प्र0 सं0 19 द्वारा उत्तरित]

29—श्री रणजीत—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को सम्बोधित श्री प्रेम कुमार सिंह प्रबन्धक, अब्दुल्लानगर आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्लानगर हरदोई के पत्र पर कार्यवाही

30—श्री बालेश्वर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, उप शिक्षा निदेशक (मा0) 2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को संबोधित प्रार्थना पत्र 27-11-86 श्री प्रेम कुमार सिंह प्रबन्धक अब्दुल्लानगर, आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्लानगर हरदोई जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है तथा संसद सदस्य श्री धर्मराज सिंह के पत्र दिनांक 22-12-86 द्वारा जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शासन द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) लखनऊ को दिनांक 19-8-87 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र

31—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें योगेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट, ब्लाक प्रमुख अमरोधा, जनपद कानपुर देहात का, उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई पत्र दिनांक 18-3-87 तत्कालीन माननीय नेता, विरोधी दल, विधान सभा के संलग्नक पत्र संख्या-1477 ने0 वि0 द0/86 दि0 21-2-86 के सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी, सहायक महिला उपस्थिति अधिकारी बेसिक शिक्षा, लखनऊ को सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन न मिलने के कारण

32—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरस्वती तिवारी, सहायक महिला उपस्थिति अधिकारी बेसिक शिक्षा लखनऊ दिनांक 31-3-85 को सेवा निवृत्त हुई थी ? यदि हां, तो अब तक उन्हें पेंशन न मिल सकने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है, श्रीमती तिवारी को पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी को दिनांक 18-12-87 को रु0 536 प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है जिसके भुगतान हेतु चेक निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

राजकीय उत्तर प्रदेश सैनिक हाई स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

34–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है राजकीय उत्तर प्रदेश सैनिक हाई स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ को उच्चीकृत किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-1-88 संस्था के अभिभावक, अध्यापक एसोशिएसन द्वारा प्रेषित संलग्नक के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

दिनांक 14-1-88 का नहीं, अपितु दिनांक 12-1-88 का पत्र प्राप्त हुआ है, किन्तु उसके साथ कोई संलग्नक नहीं है ।

सम्प्रति में राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण की योजना न होने के कारण प्रश्नगत विद्यालय का उच्चीकरण सम्भव नहीं है ।

गौरी शंकर इण्टर कालेज, कानपुर के सामान्य प्रबन्धक पद पर नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक के सम्बन्ध में पत्र

35–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1986 के साथ गंगादीन गौरी शंकर इण्टर कालेज, कानपुर के प्रबन्धक का संलग्न पत्र, जो कालेज में सामान्य प्रबन्धक के स्थान पर नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र एवं संलग्नक के समस्त बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 5 फरवरी, 1988 द्वारा समाप्त कर दी गई है।

श्री सच्चिदानन्द जन सहयोगी इण्टर कालेज, लहरापुर, जिला इटावा में व्याप्त अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र

36–श्री औरान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र संलग्नक सहित दिनांक 23-12-87 श्री सच्चिदानन्द जन सहयोगी इण्टर कालेज, लहरापुर, जिला इटावा में व्याप्त अनियमितताओं संबंधी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जांच कराने के उपरान्त जांच में पायी गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव, अध्यापक डा0 के0 पी0 जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद के वेतनमान आदि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

37–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव अध्यापक, डा0 के0 पी0 जायसवाल इण्टर कालेज, जिला–इलाहाबाद को सी0 टी0 वेतनमान, सामान्य भविष्य निधि, दक्षतारोक, सेलेक्शन ग्रेड, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संलग्नक सहित दिनांक 9 दिसम्बर, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उक्त पत्र शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को स्मरण कराया जा रहा है।

गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, विसंडा, पीलीभीत में श्री अनिरुद्ध दुबे की बहाली में अनियमितता

38–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, विसंडा, पीलीभीत द्वारा श्री अनिरुद्ध दुबे को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 3-2-1981 को बहाल किये जाने के बाद भी सिविल जज, पीलीभीत के न्यायालय में उनके विरुद्ध वाद लाया गया और सिविल जज द्वारा 31-5-84 को बहाल किया गया ? यदि हां, तो क्या सिविल जज के निर्णय के विरुद्ध प्रधानाचार्य ने जिला जज, पीलीभीत के न्यायालय में अपील दायर की थी और उक्त अपील दायर करने से पूर्व प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत से स्वीकृति एवं डी0 जी0 सी0, सिविल से राय प्राप्त की थी? यदि नहीं, तो 3-2-81 से श्री दुबे के बहाल हो जाने के बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा न्यायिक कार्यवाही मनमाने ढंग से करने के कारण श्री दुबे को चार वर्ष से अधिक का वेतन देने के कारण, धन की जो हानि शासन को हुई है वह कितनी है और क्या वह धन सरकार उक्त प्रधानाचार्य से वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां, प्रधानाचार्य द्वारा अपील दायर की गई थी।

श्री दुबे का अवशेष वेतन बिल अंकन रु0 31,459.70 का बना है जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

शिक्षा निदेशक ने यह आदेश दिया है कि उक्त भुगतान प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा किया जाना चाहिए ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, हमीरपुर के वरिष्ठ सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति एवं उनके पैत्रिक विभाग में वापसी से संबंधित वाद

39—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत विषय में 13-9-84 को दिये गये प्रार्थना-पत्र के बाद उच्च न्यायालय में कितनी तारीखें लगी एवं क्या स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो 5 अप्रैल, 83 को प्राप्त स्थगन आदेश अब तक क्यों नहीं निरस्त कराया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत याचिका में दिनांक 13-9-84 को माननीय उच्च न्यायालय में स्थगनादेश निरस्त कराने के प्रार्थना पत्र के बाद 9 तारीखें लगी ।

जी हां । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24-7-87 को स्थगनादेश निरस्त कर दिया है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, लखनऊ में 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

40—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कितने ऐसे प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं, जिनको लखनऊ में 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है? क्या इनका आगामी सत्र में स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी का कोई भी राजपत्रित अधिकारी 15 वर्ष से लखनऊ में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1980-81 में सहायक अध्यापकों की रिक्तियों का विज्ञापन और हिल कैडर में कथित नियुक्तियां

41—श्री अम्बिका सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति 1980-81 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हिल कैडर के लिए नहीं की गयी थी किन्तु उक्त विज्ञप्ति के अनुसार सहायक अध्यापकों को हिल कैडर में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

वर्ष 1980-81 में स्नातक वेतनक्रम के सहायक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की राज्य संवर्ग की रिक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की गई थी।

वर्ष 1984-85 में आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर अधिकांश चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां पर्वतीय क्षेत्र के दोनों मण्डलों में की गई ।

संवर्गों का पृथक्करण राजाज्ञा दिनांक 25-11-80 एवं एतद् विषयक 1981 की नियमावली के द्वारा स्नातक वेतनक्रम का संवर्ग संभागीय संवर्ग घोषित हो जाने के कारण 1984-85 में चयनित उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां गढ़वाल मण्डल और कुमायूं मण्डल के संवर्गों में की गयी ।

42–श्री शारदानन्द अंचल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

43–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

उ0 प्र0 में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की संख्या

44–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं ? क्या सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्रवक्ता राज0 दीक्षा विद्यालयों के छात्राध्यापकों के पठन-पाठन का कार्य करते हैं या जिस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में राजकीय दीक्षा विद्यालय सम्बद्ध है वहां राजकीय दीक्षा विद्यालय के छात्राध्यापकों को पढ़ाने हेतु पृथक से बी0 टी0 सी0 यूनिट सम्बद्ध है ? यदि हां तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा में राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत के छात्राध्यापकों के पाठन हेतु क्यों नहीं बी0 टी0 सी0 यूनिट सम्बद्ध की गई है ?

श्री सिब्ते रजी–

सात ।

जी नहीं ।

जी हां ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा के भवन/परिसर में नवोदय विद्यालय स्थापित हो जाने के फलस्वरूप ताड़ीखेत स्थित राजकीय दीक्षा विद्यालय के बी0 टी0 सी0 छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अस्थायी रूप से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के प्रवक्ताओं द्वारा करानी पड़ रही है। राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत के लिए पृथक से भवन की व्यवस्था समाप्त हो जायगी और बी0 टी0 सी0 छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बी0 टी0 सी0 यूनिट के माध्यम से स्वयमेव हो जायगी।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा में कतिपय पदों की समाप्ति

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ने दिनांक 2-11-87 को प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा को कोई पत्र इस आशय का लिखा था जिसमें रा0 दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा के समन्वयक अनौ0 शिक्षा एक पद तथा ग्रामसेवक/सेविका अनौ0 शिक्षा दो पद के अलावा शेष सभी पद समाप्त कर दिए जायं ? यदि हां, तो क्या शासन की अनुमति के बिना इन पदों को समाप्त करने का अधिकार सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कुमाऊं मण्डल को है ? यदि नहीं, तो उन्होंने किस आधार पर ये पद समाप्त किये हैं ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी नहीं ।

पद समाप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

46—श्री काशी सिंह ऐरी—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय शिक्षक संघ उ0 प्र0 के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रमोहन पाण्डे से राजकीय शिक्षक संघ उ0 प्र0 की समस्याओं के सम्बन्ध में वार्ता

47—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनसे राजकीय शिक्षक संघ उ0 प्र0 के उपाध्यक्ष श्री चन्द मोहन पाण्डे से राजकीय शिक्षक संघ उ0 प्र0 की समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 19-1-88 को कोई वार्ता हुई थी ? यदि हुई थी, तो राजकीय शिक्षक संघ उ0 प्र0 के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रमोहन पाण्डे द्वारा दिये गये 15 सूत्रीय बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, दिनांक 19-1-88 को राजकीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष से वार्ता नहीं हो सकी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा में रतनपुर माइनर पर साइफन की मांग

48—श्री आसान सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी, विधूना, इटावा द्वारा जल निकासी हेतु रामपुर नाले का निर्माण वर्ष 1987-88 में हो चुका है ? क्या यह नाला रतनपुर माइनर को क्रास करके पुराह नदी तक बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या रतनपुर माइनर पर साइफन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी बरसात से पहले ही साइफन निर्माण कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

भूमि संरक्षण इकाई विधूना (इटावा) द्वारा चान्दौली श्यामपुर से पुरहा नदी तक जल निकास नाली का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा से प्राप्त धनराशि से माह फरवरी, 1987 में पूर्ण करा दिया गया है। यह सही है कि यह जल निकास नाली रतनपुर माइनर को क्रास करती है। रतनपुर माइनर पर साइफन का निर्माण अभी तक नहीं कराया जा सका है। यह निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा इसका आगणन (इस्टीमेट) तैयार किया गया है एवं उसे ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा की स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त सन्दर्भित साइफन का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा ।

श्री विद्याधर शर्मा प्रौढ़ शिक्षा परियोजना कार्यालय, हाटा, देवरिया के विरुद्ध जांच

49–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वरिष्ठ सहायक प्रौ0 शि0 परियोजना कार्यालय, बड़हलगंज, गोरखपुर (श्री विद्याधर शर्मा) जब परियोजना कार्यालय हाटा देवरिया में वर्ष 82-83 में भंडार लिपिक के पद पर कार्यरत थे तो तत्कालीन जिला प्रौ0 शि0 अ0 (श्री एम0 ए0 अंसारी) ने इनके कार्यों की तत्कालीन जिला मुख्यालय के विशेष आडिट दल से जांच कराया था और जांच के दौरान आडिट दल ने भी श्री शर्मा द्वारा अनुदेशकों को एक ही स्याही और एक ही कलम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मानदेय एवं मार्ग व्यय हड़प लेने की अनियमितताओं को पकड़ा और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी दिया था और उक्त अनियमितताओं के आधार पर श्री अंसारी ने इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी? यदि हां, तो श्री शर्मा को वर्तमान जि0 प्रौ0 शि0 अ0 (श्री हरे राम यादव) ने किस आधार पर पदोन्नति किया ? क्या श्री शर्मा को पुन: प्रत्यावर्तित किया जायेगा और निलम्बित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

श्री विद्याधर शर्मा वर्ष 1982-83 में परियोजना कार्यालय हाटा-देवरिया में नैत्यिक लिपिक के पद पर कार्यरत थे । जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी के अनुरोध पर परियोजना कार्यालय हाटा-देवरिया का मुख्यालय की आडिट पार्टी द्वारा आडिट किया गया था ।

प्राप्त सूचना के अनुसार आडिट दल ने श्री विद्याधर शर्मा को अनुदेशकों के मान-देय व यात्रा भत्ता हड़पने के संबंध में दोषी नहीं पाया था ।

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री एम0 ए0 अंसारी ने श्री विद्याधर शर्मा को वर्ष 1982-83 में प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी परन्तु आडिट में श्री शर्मा को किसी प्रकार दोषी नहीं पाया गया ।

श्री विद्याधर शर्मा को परियोजना कार्यालय बड़हलगंज गोरखपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर विभागीय चयन समिति द्वारा उनकी शेष वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियां बहुत अच्छी होने तथा उनके भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर पदोन्नत/नियुक्त किया गया था ।

श्री शर्मा का कोई दोष न होने के कारण उन्हें प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न नहीं है । श्री हरेराम यादव तत्कालीन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पदोन्नति नियमानुसार की गयी । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा परियोजना कार्यालय, बड़हलगंज गोरखपुर में कार्यरत अनुदेशकों को मानदेय न दिया जाना

50—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्रभारी परियोजना अधिकारी प्रौ0 शि0 बड़हलगंज, गोरखपुर (श्रीमती विजया यादव) द्वारा वर्ष 84-85 में प्रथम सत्र के कार्यरत अनुदेशकों का बढ़ोत्तरी मानदेय, जो शासनादेश के अनुसार 1-4-85 से दिया जाना था, का भुगतान वरिष्ठ सहायक श्री विद्याधर शर्मा की सांठ-गांठ के कारण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय अनियमितता हेतु निलम्बित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा की गयी नियुक्तियों में कथित आदेशों की अवहेलना

51—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी प्रौ0 शिक्षा अधि0 देवरिया (श्री हरे राम यादव) द्वारा वर्ष 85-86 में की गयी अवैध नियुक्तियों को निदेशक प्रौढ़ शिक्षा उ0 प्र0 ने अपने प्रत्रांक प्रौढ़ शिक्षा/सेवा/47-9/69/85-86 दिनांक 18 फरवरी, 1986 द्वारा निरस्त कर दिया था ? क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की अवहेलना करके प्रभारी प्रौ0 शिक्षा अधिकारी देवरिया ने सम्बन्धित कर्मचारियों को माह फरवरी, 86 के वेतन व अन्य आर्थिक पावनों का भुगतान किया है ? यदि हां, तो क्या आदेशों की अवहेलना करने वाले उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के संदर्भित पत्र दिनांक 18-2-86 द्वारा प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया से अपेक्षा की गयी थी कि वह वर्ष 85-86 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कर दें । तद्नुसार प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया ने संबंधित कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की नोटिस देकर सेवा समाप्त कर दिया ।

नियमानुसार अवशेष देयकों का भुगतान किया । अतः आदेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् कन्या उच्चतर मा0 विद्यालय गोपीगंज वाराणसी की छात्रा कु0 पूनम व कुमारी नीलम की छात्रवृत्तियों का भुगतान

52–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कन्या उच्चतर मा0 विद्यालय, गोपीगंज, वाराणसी की छात्रा कुमारी पूनम व कुमारी नीलम की जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के आदेश पत्र संख्या 6441/6/81-82 दिनांक 22-3-82 व संख्या 6890/6/83 दिनांक 18-3-83 द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण धनराशि उक्त छात्राओं को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान दिनांक 19-3-86 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, ब्लाक ब्रह्मपुर में निलम्बित किये गये ग्राम प्रधानों की संख्या, आरोप और आधार

53–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर ब्लाक ब्रह्मपुर में कितने ग्राम प्रधानों को निलम्बित किया गया है और उनके निलम्बन का आधार क्या है ? क्या इनमें से ग्राम राजी जगदीशपुर के ग्राम प्रधान पारसनाथ त्रिपाठी भी हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब और किस आधार पर निलम्बित किया गया है ? क्या यह सही है कि श्री पारसनाथ त्रिपाठी को निलम्बित हुए 10 माह हो गए और उन्होंने चार्ज अभी तक नहीं दिया ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के दो ग्राम प्रधानों को अनियमितता करने के आरोपों के आधार पर निलम्बित किया गया । उक्त दोनों ग्राम प्रधानों में से एक श्री पारसनाथ त्रिपाठी हैं जिन्हें 19-12-86 के आदेश ग्राम समाज सम्पत्ति को क्षति पहुचाने के आरोपों पर निलम्बित किया गया । श्री पारसनाथ त्रिपाठी के विरुद्ध लगाए गए आरोप जांचोपरान्त सिद्ध नहीं हो सके फलतः श्री पारसनाथ त्रिपाठी को 24-8-87 के आदेश द्वारा बहाल कर दिया गया।

गोरखपुर ब्लाक ब्रह्मपुर में महुआ कोल ठकुराई मुण्डेरा मार्ग पर कराये गये मिट्टी के कार्य में मजदूरों को मजदूरी न मिलने की शिकायत

54—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर ब्लाक ब्रह्मपुर में महुआकोल ठकुराई मुण्डेरा मार्ग पर जनवरी, 87 में मिट्टी का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर कार्य करने वाले मजदूरों और ग्राम प्रधानों ने ब्लाक द्वारा मजदूरी न मिलने की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से की है और उस पर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही उक्त मजदूरों को मजदूरी ही दी गयी है ? क्या मंत्री जी संबंधित मजदूरों की मजदूरी दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । ग्राम प्रधान द्वारा की गयी शिकायत की जांच कराई गई तथा जांच में पाया गया कि 6 मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं की गयी । इनको मजदूरी भुगतान करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

ग्राम डुमरी विकास खण्ड खोराबार, जिला गोरखपुर में पंचायत भवन निर्माण में व्यय की जांच

55—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-डुमरी विकास खण्ड खोराबार, जिला गोरखपुर में पंचायत भवन के निर्माण में कुल कितने रुपये 15 जनवरी, 80 से 15 सितम्बर, 87 तक खर्च किया गया है ? क्या यह भी सही है कि मौके पर केवल दो, तीन हजार ईंटे पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम डुमरी विकास खण्ड खोराबार, जिला गोरखपुर के पंचायत भवन के निर्माण पर आलोच्य अवधि में 20,22.95 रुपये व्यय किये गये।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद के विकास खण्ड अधिकारी इटवा व खुनियांव में वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप धन की वसूली

56—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में विकास खण्ड इटवा व खुनियांव के खण्ड विकास अधिकारियों से, वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप उनसे धन वसूली का आदेश मुख्य विकास अधिकारी बस्ती ने जारी किया था ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी इटवा श्री राम नगीना मणि त्रिपाठी तथा जवाहर सिंह खण्ड विकास अधिकारी खुनियांव व नन्द किशोर सिंह अवर अभियन्ता से कुल कितने रुपए की धनराशि अब तक वसूल की गयी ? यदि नहीं,

तो क्यों ? क्या यह सही है कि मुख्य विकास अधिकारी बस्ती ने जान बूझकर उक्त तीनों अधिकारियों को धन का अपव्यय करने का अवसर प्रदान किया और उसमें हिस्सा लिया ? क्या इस सम्पूर्ण तथ्यों की छानबीन उच्च अधिकारियों से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

श्री राम नगीना मलि त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी इटवा तथा श्री जवाहर सिंह खण्ड विकास अधिकारी खुनियांव से अब तक क्रमशः 1100-00, 1100-00 की धनराशि वसूली की गयी है । श्री नन्द किशोर सिंह, अवर अभियन्ता ने कोई धन-राशि जमा नहीं की क्योंकि वसूली आदेश निर्गत करने के पश्चात् श्री सिंह ने कोई वेतन प्राप्त नहीं किया है ।

उपरोक्त अनियमितताओं के मामले वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी के जनपद में योगदान से पूर्व के हैं । अतएव मुख्य विकास अधिकारी द्वारा धन के अपव्यय का अवसर प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायतों की जांच कराई जा चुकी है। जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में संबंधित तीनों अधिकारियों के विरुद्ध वसूली के आदेश मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती द्वारा ही पारित किए गए हैं । उक्त तीनों अधिकारियों को निलम्बित भी किया जा चुका है ।

जनपद आजमगढ़ में क्षतिग्रस्त एवं भवन विहीन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या और मरम्मत कराए जाने की योजना

57–श्री विष्णु देव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं भवन विहीन हैं और कितने क्षतिग्रस्त हैं तथा कब तक प्राइमरी पाठशाला के भवनहीन क्षतिग्रस्त पाठशालाओं की मरम्मत कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? इस पर कब तक अमल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

स्थिति निम्नवत् है:–

क–भवनहीन प्राइमरी पाठशाला-180

ख–क्षतिग्रस्त प्राइमरी पाठशाला–497

भवनहीन प्राइमरी पाठशाला के निर्माण की जिला योजनान्तर्गत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ।।

मरम्मत हेतु कोई योजना नहीं है भवनों के मरम्मत हेतु, सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद से प्रति वर्ष धन का आवंटन शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है ।।

आजमगढ़ में 1986-87 व 1987-88 में भवन विहीन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में बने गए भवनों की संख्या

58—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1986-87 व 1987-88 में कितने भवन विहीन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में नए भवन बने तथा कितने की मरम्मत का कार्य हुआ तथा अलग-अलग उन पर कितना व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी इसकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

स्थिति निम्नवत् है:—

वर्ष	निर्मित भवन	मरम्मत किए गए भवन
1986-87	80	
1987-88	—	

स्वीकृत निर्माण लागत सहित निर्मित भवनों की सूची संलग्न† है ।

आजमगढ़ के कतिपय जूनियर हाईस्कूलों के मान्यता प्राप्त होने के बावजूद अनुदान सूची में न लिया जाना

59—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने कन्या जूनियर हाईस्कूल ऐसे हैं जिन्हें स्थायी मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी अनुदान सूची पर नहीं रखा गया है तथा कब तक इन कन्या विद्यालयों को शासन की ओर से अनुदान सूची पर रखने की शासन की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत जनपद के 12 स्थायी मान्यता प्राप्त कन्या जूनियर हाईस्कूल अभी अनुदान सूची पर नहीं लिए गए हैं।

संसाधन उपलब्ध होने पर नियमानुसार यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

नामधर सिंह आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनपद आजमगढ़ में सहायक अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण न कराया जाना

60—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नामबर सिंह, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनपद आजमगढ़ में कितने सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 14-7-81 से विद्यालय के प्रबन्धक उन्हें कार्यभार नहीं ग्रहण करने दे रहे हैं और न वेतन ही दे रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ ने 6-6-83 को विद्यालय के प्रबन्धक को श्री नामबर सिंह को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा उन्हें कार्यभार न ग्रहण करने देने तथा उनके वेतन का भुगतान न करने का क्या औचित्य है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री सिब्ते रजी–

विद्यालय के प्रबन्धक के अनुसार नामबर सिंह नाम के जो सहायक अध्यापक उनके यहां कार्यरत थे, वह मई, 1981 से फरार हैं और जो नामबर सिंह अपने को इस विद्यालय का सहायक अध्यापक बताकर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, वह दूसरे नामबर सिंह हैं, जिनका इस विद्यालय से कोई संबंध नहीं है।

जी हां।

विद्यालय के प्रबन्धक का कथन है कि जिस श्री नामबर सिंह को कार्यभार ग्रहण कराने तथा वेतन भुगतान कराने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया गया है वह उनके विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री नामबर सिंह नहीं हैं।

अधि0 अभियन्ता, ग्रा0 अ0 सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों की शिकायतें

61–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधि0 अभियन्ता, ग्रा0अ0 सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता सहित अन्य कई जनप्रतिनिधियों की शिकायतें इनके गोरखपुर कार्यकाल की अवधि में शासन को मिली हैं? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का एक पत्र संलग्नक सहित दिनांक 9-9-87 को प्राप्त हुआ। इस पर मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जांच के आदेश दिये गये हैं।

प्राइमरी पाठशाला, बहादीन जनपद मथुरा की मरम्मत में भारी अनियमितताएं पाये जाने की शिकायत

62–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के मांट ब्लाक में वर्ष 1986-87 में प्रा0 पा0 बहादीन की मरम्मत ब्लाक द्वारा कराया गयी थी? प्रा0 स्कूल की मरम्मत में भारी अनियमितताएं पाये जाने पर प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी मथुरा को शिकायत की थी जिसकी जांच श्री राम जी लाल शर्मा ए0 पी0 डी0 ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा के द्वारा करायी गयी थी? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, प्रश्नगत प्राइमरी स्कूल भवन की मरम्मत ब्लाक के निर्देशन में करायी गयी थी। मरम्मत के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त नहीं हुआ। अतः उसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद में मांट ब्लाक में निवर्तमान बी0 डी0 ओ0 पर कथित 15 हजार रु0 ले जाने का आरोप और जांच

63—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के मांट ब्लाक के निवर्तमान बी0 डी0 ओ0 मांट ब्लाक में सूखा में लगाये जा रहे नलों, हरिजनों के मकान आदि का करीब 15 हजार रुपये लेकर चले गये हैं, जिसके कारण सम्बन्धित कार्य अधूरे पड़े हैं ? विकास खण्ड में वर्ष 1986-87 में किये गये कार्यों का भुगतान भी नहीं हो पाया है? यदि हां, तो किस-किस मद का कितना-कितना धन बी0 डी0 ओ0 अवैध रूप से ले गये हैं? उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री राम स्वरूप, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मांट के विरुद्ध विकास खण्ड मांट के लिए सूखा राहत कार्यक्रमों तथा इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मु0 7920.00 रु0 का सामान एवं 8175.00 रुपये की धनराशि लम्बित है। फलतः संबंधित कार्य अधूरे हैं तथा भुगतान भी लम्बित है। श्री राम स्वरूप खण्ड विकास अधिकारी को 30-11-87 को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और जिला विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा विधिवत् जांच की जा रही है। जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रेम कुमार सिंह, प्रबन्धक, आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्लानगर, हरदोई के परिवाद पत्र की जांच

64—श्री बालेश्वर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रेम कुमार सिंह प्रबन्धक, आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्लानगर, हरदोई के इसी विद्यालय के सम्बन्ध में परिवाद पत्र 5-7-86 व 4-6-86 और 17-6-86 के तथ्यों की स्थलीय जांच 3-10-86 को श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई है ? रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार अब तक की गयी कार्यवाही को क्या सरकार सदन के पटल पर लाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच आख्या शासन को दिनांक 6-2-87 को प्राप्त हुई । निदेशालय द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को शिक्षा संहिता की धारा 314 की कार्यवाही करके धारा 315 के अंतर्गत संस्तुति मांगी गयी है जो प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

65—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[दिनांक 14-3-88 को अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित]

ग्राम्य विकास निदेशालय के मुख्यालय पर प्राविधिक सहायक के पदों की संख्या तथा वेतनमान

66—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम्य विकास निदेशालय के मुख्यालय पर प्राविधिक सहायक पद नाम के कितने पद और किस वेतनमान के स्वीकृत हैं? इन पदों पर कार्यरत सहायकों को अलग-अलग प्रत्येक को क्या-क्या कार्य आवंटित है ? यह सहायक प्राविधिक सहायक के स्थान पर प्राविधिक अधिकारी पदनाम का प्रयोग किस शासनादेश के अनुसार कर रहे हैं ? इसके लिए कोई दण्ड निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम्य विकास निदेशालय के मुख्यालय पर प्राविधिक सहायक के दो पद वेतनमान रु0 690—1420 में स्वीकृत हैं।

इन पदों पर कार्यरत सहायकों को आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा शासकीय कार्यहित में आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभाग का कार्य दिया जाता है।

प्राविधिक सहायक के सभी पद खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के हैं। अतः प्राविधिक सहायक/अधिकारी एक ही संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री विमल सिंह का तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के विरुद्ध शिकायती पत्र

67—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री विमल सिंह महामंत्री, जिला युवक कांग्रेस का दि0 6-3-87 का कोई शिकायती पत्र जो कि तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी (एटा) के भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के तथ्य क्या हैं तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जांच करायी जा रही है।

जनपद बाराबंकी के लघु सिंचाई कर्मियों के सेलेक्शन ग्रेड आदि का मामला

68—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत बोरिंग टैकेनिक व सहायक बोरिंग टैकेनिक को सलेक्शन ग्रेड/टाइम स्केल देने का समय ड्यू हो गया है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त लाभ दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

उपयुक्त पाये गये बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को लाभ दिया जा चुका है।

ग्राम सभा भदोखर, परगना छवेली, ब्लाक मसौधा, जि0 फैजाबाद के ग्राम प्रधान ग्राम सभा में खड़ंजे ईंट लगवाने हेतु दिए धन का निजी उपयोग

69—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भदोखर, परगना हवेली, ब्लाक मसौधा, तहसील एवं जिला फैजाबाद के ग्राम प्रधान को वर्ष 1978 में ग्राम सभा में खड़ंजा ईंट लगवाने हेतु ब्लाक द्वारा धन दिया गया था जिसे उन्होंने निजी उपयोग में लगा दिया ? उक्त धनराशि को जनवरी, 86 में ब्लाक या ग्राम सभा खाते में प्रधान द्वारा जमा करने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी उक्त प्रधान से 1978 से जनवरी, 1986 तक का पांच हजार रुपये का ब्याज वसूल कर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत धनराशि संबंधित प्रधान द्वारा निजी उपयोग में न लगाकर ग्राम सभा भदोखर के बचत खाते में जमा की थी ।

उक्त प्रधान द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर खड़ंजा निर्माण कराने हेतु रु0 49951 की धनराशि ग्राम सभा भदोखर की पासबुक से निकालकर ईंट क्रय हेतु भट्ठे पर जमा कर दी गई थी, परन्तु उक्त मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को खड़ंजा निर्माण करने की विभागीय स्वीकृति मिल जाने के कारण प्रधान द्वारा ईंट की आपूर्ति नहीं ली गई तथा भट्ठे पर ईंट की सप्लाई हेतु जमा की गई धनराशि वापस लेकर गांव सभा की पासबुक में जमा कर दी गई ।

प्रधान को इस कार्य में उदासीनता बरतने हेतु जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे कथित धनराशि ग्राम सभा की पासबुक से निकालने की तिथि से जनवरी, 1986 तक का ब्याज वसूल कर ग्राम सभा की पासबुक में जमा करा दिया गया है।

70—श्री बिहारी लाल दोहरे तथा श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फर्रुखाबाद के विकास खण्ड छिबरामऊ सौरिख तालग्राम में प्रस्तावित सामुदायिक विकास केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य

71—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के विकास खण्ड छिबरामऊ सौरिख, तालग्राम में वित्तीय वर्ष 86-87 में किन-किन स्थानों पर सामुदायिक विकास केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित किए गए ? उक्त भवन कब पूर्ण हुए ? क्या जिलाधिकारी कार्यालय, फर्रुखाबाद में कार्यालय पत्रांक 2258/ग्रा0अ0से0/डी0 आर0 डी0 ए0/87 आ0 लि0/7 दिनांक 30-7-87 के क्रम में ग्रा0 अभि0 सेवा0 सारिख तालग्राम का निरीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो स0 अभियन्ता द्वितीय ग्रा0 अभि0 सेवा फर्रुखाबाद ने क्या जांच आख्या प्रस्तुत की ? क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास केन्द्र पलिया जूंसपुर की स्लैब व नींव को कमजोर बताया गया तथा दुबारा डलवाने का सुझाव दिया गया था ? यदि हां,

तो कब तक उक्त नींव व स्लैब दुबारा डलवाया जाएगा तथा उक्त विकास खण्डों के सभी सामुदायिक विकास केन्द्रों के भवनों की तकनीकी खामियों की जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित किया जाएगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला फर्रुखाबाद के विकास खण्ड छिबरामऊ, सौरिख व तालग्राम में वित्तीय वर्ष 1986-87 में निम्न स्थानों पर सामुदायिक विकास केन्द्र प्रस्तावित किये गये :–

विकास खण्ड	स्थान
छिबरामऊ	1–पलिया बूचपुर
	2–भौराजपुर
सौरिख	1–अतरौली
	2–डडौना
तालग्राम	1–तेराजाकेट
	2–तालग्राम देहात

सभी भवन लगभग छः माह पूर्व पूर्ण हो चुके हैं। सामुदायिक विकास केन्द्रों का निरीक्षण अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फर्रुखाबाद द्वारा कराया गया। जांच के आधार पर फर्श एवं पल्ले में कुछ कमियां दर्शाई गयी थीं जिन्हें दूर कर दिया गया है। समस्त सामुदायिक विकास केन्द्रों में पायी गयी तकनीकी खामियों की जांच कराकर ठीक करा दिया गया है। तकनीकी कमियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

72–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

रेंजर श्री महेश चन्द्र के विरुद्ध शिकायती पत्र

73–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या वन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वन प्रभाग उत्तरी रेंज मधवलिया के पूर्व रेंजर श्री महेश चन्द्र के विरुद्ध सिसवां टोला में आतंक मचाने, अली शेर की हत्या की साजिश एवं भ्रष्टाचार के अन्य कई मामले में सम्बद्ध पाया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उन्हें पुनः उसी प्रभाग के बिचलील-रेंज में स्थानान्तरित कर दिया गया? क्या यह भी सच है कि जनवरी, 88 को जनता पार्टी के नेता डा0 नर्वेश्वर तिवारी ने कंजरवेटर गोरखपुर को इस आशय की शिकायत की है कि उक्त रेंजर ने 25 हजार की सागौन के लकड़ी की अवैध कटाई कर उसे काले बाजार में बेचा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। जांच की जा रही है।

74–श्रीमती शारदा देवी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

75–श्री विजय सिंह राणा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

76–श्री मनोहर पाल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

लखनऊ जनपद के मीरानपुर बरवलिया–बड़ेवीरन खेड़ा मार्ग के निर्माण की जांच रिपोर्ट

77–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 जनवरी, 88 जो मीरानपुर बरवलिया–बड़ेवीरन खेड़ा मार्ग जो सिसेंडी बेनीगंज मार्ग से मिलता है तथा विकास खण्ड मोहनलालगंज, लखनऊ के द्वारा बनाया गया है, की जांच प्राविधिक परीक्षक से कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या प्राविधिक परीक्षक से कराई गई जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अमर जीत, ग्राम प्रधान नसरुल्लाहपुर, आजमगढ़ आदि का शिकायती पत्र

78–श्री विष्णु देव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री अमर जीत, प्रधान ग्राम सभा नसरुल्लाहपुर, विकास खण्ड दोहरीघाट व श्री अच्छेलाल चौहान आदि ग्राम (हाता) धर्मपुर बिसुनपुर, विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-1-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच कब किस अधिकारी ने की और क्या परिणाम निकला ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा की गयी । जांच में पाया गया कि स्थानीय तौर पर मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण 20 पुरवों में पटाई का कार्य नहीं हो पाया है।

श्री लालता प्रसाद लिपिक, ब्लाक मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत

79–श्री विष्णु देव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री लालता प्रसाद भू0पू0 लिपिक, मान्धाता ब्लाक, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । श्री लालता प्रसाद ज्येष्ठ लिपिक, विकास खण्ड मान्धाता दिनांक 31-3-83 को सेवा निवृत्त हो गए थे । सरकारी धन के दुरुपयोग करने विषयक उक्त लिपिक के विरुद्ध ग्राम उड़ीडीह के कतिपय निवासियों का एक अन्य शिकायती पत्र उनकी सेवा निवृत्ति के लगभग डेढ़ वर्ष बाद प्राप्त हुआ था। जांचोपरान्त शिकायत में कोई सत्यता नहीं पायी गई तथा यह पाया गया कि आपसी रंजिश के फलस्वरूप शिकायत की गई थी।

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पटाई कार्य में व्यय

80–श्री विष्णु देव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किन-किन ग्रामों तथा उनके कितने-कितने परिवारों के घर पटाई का काम वर्ष 1986-87 में सम्पन्न हुआ है तथा उसमें अलग-अलग कितना-कितना धन व्यय हुआ है? क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा पांच ग्रामों के कुल 26 पुरवों में 241 परिवारों के घर पटाई का काम सम्पन्न कराया गया है जिस पर कुल 6,67,949.50 रु0 खाद्यान्न सहित व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

गांव का नाम		परिवारों की संख्या	पुरवा	खाद्यान्न सहित व्यय की गयी धनराशि
1		2	3	4
1—धरमपुर	..	62	7	306493.50
2—सिसवा	..	80	9	134591.00
3—नुरुल्लापुर	..	49	4	120385.00
4—बखरिया	..	35	4	56647.50
5—कछिला नरायनपुर	..	15	2	49832.50
योग	..	241	26	667949.50

आजमगढ़ के विकास खण्ड घोसी व फतेहपुर मडांव व दोहरीघाट में प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण

81—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1986-87 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा विकास खण्ड घोसी व फतेहपुर मंडाव व दोहरीघाट में कहां-कहां प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण का कार्य सम्पन्न हुआ है अथवा प्रारम्भ हुआ है तथा उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड आजमढ़ द्वारा वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड घोसी, फतेहपुर मंडाव व दोहरीघाट में कुल 14 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था, जिसमें 11 विद्यालयों का निर्माण पूरा हो चुका है और तीन विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन विद्यालयों के निर्माण स्थल तथा इन पर अलग-अलग व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 147 पर)

आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डवा में आर0 ई0 एस0 द्वारा सम्पर्क मार्गों पर व्यय की गयी धनराशि

82—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डवा में वर्ष 1985-86 में आर0 ई0 एस0 (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का काम हुआ ? कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई तथा उनकी मरम्मत व छोटे पुलों के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत है ? क्या मंत्री जी उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड आजमगढ़ द्वारा वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड फतेहपुर मण्डवा में निम्नलिखित मार्गों पर 11.786 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य किया गया जिस पर खाद्यान एवं नगद के रूप में कुल रु0 1,49,488 व्यय किया गया ।

क्र0 सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम		लम्बाई कि0मी0	व्यय
1	अहिरौली से तालनपुर	..	1.69	13,869.00
2	खैरानीसौर से परदहा वाया भटोली	..	2.76	42,446.50
3	नेवादा गोपाल परसलहुआसाथ	..	1.50	22,356.00
4	सिहुलिया से परसिया	..	1.02	16,226.00
5	पी0डब्लू0डी0 रोड से गंगमऊ पुर से लोक, वाबन्धा	..	2.28	25,587.50
6	पी0डब्लू0डी0 रोड से कांठ तराव	..	1.50	13,984.00
7	ब्रह्मस्थान पी0डब्लू0डी0 रोड से कठधरा शंकर	..	1.036	15,091.00

उपरोक्त सम्पर्क मार्गों पर 26 पुलियों के निर्माण हेतु रु0 1.460 लाख की स्वीकृति हुई थी, किन्तु आवंटन के अभाव में निर्माण कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका । मार्गों की मरम्मत आदि के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है ।

बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी में इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग

83—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी में कोई इण्टरमीडिएट कालेज न होने के कारण वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और बहुत से विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की घोषणा करेंगे जिसके लिए एक नागरिक ने पर्याप्त भूमि एवं कुछ धन भी देने की घोषणा की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी में दो इण्टर कालेज संचालित हैं। अतः छात्रों के लिये शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व से दो इण्टर कालेज संचालित होने तथा इण्टर कालेज खोलने की योजना न होने के कारण घोषणा किया जाना संभव नहीं है।

84—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

[दिनांक 4-1-88 को अता0 प्र0 सं0 31 द्वारा उत्तरित]

85—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां के खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनकर के भ्रष्ट कार्यों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

86—श्री राम पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 10-11-87 जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां के खण्ड विकास अधिकारी, श्री दिनकर के भ्रष्ट कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कौन से आरोप सिद्ध पाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

शिकायत की जांच कराई जा रही है।

उप कृषि निदेशक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना आगरा द्वारा उप राजस्व अधिकारी मथुरा के विरुद्ध 85-86 की रिपोर्ट में गम्भीर अनियमितताओं का आरोप

87—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) रामगंगा कमाण्ड परियोजना, आगरा द्वारा उप राजस्व अधिकारी, मथुरा (श्री महेन्द्र दत्त शर्मा) के विरुद्ध अपनी 85-86 की रिपोर्ट में गम्भीर अनियमितताओं के आरोप लगाये हैं? यदि हां, तो आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री महेन्द्र दत्त शर्मा, उप राजस्व अधिकारी के पद पर मथुरा में नहीं बल्कि उप राजस्व अधिकारी आगरा के पद पर कार्यरत थे। श्री शर्मा के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप की प्रारम्भिक जांच उस कृषि निदेशक (भू0 सं0) रामगंगा कमाण्ड परियोजना, आगरा से कराई गई। आरम्भिक जांच आख्या में श्री शर्मा जिन आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये उनके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसकी समीक्षा उपरान्त श्री शर्मा के विरुद्ध सी0सी0ए0 नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रामगंगा समादेश परियोजना, कानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार यथास्थिति आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

88–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[8वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

89–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बाबा बरुआ दास डिग्री कालेज, परूइया आश्रम, फैजाबाद के मिलिट्री साइंस विभाग में चयन

90–श्रीमती सुखदा मिश्रा तथा श्री इन्द्र प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबा बरुआ दास डिग्री कालेज, परूइया आश्रम, जनपद फैजाबाद में मिलिट्री साइंस विभाग कब से खुला है और उसमें किन-किन पदों पर किन-किन व्यक्तियों का कब-कब चयन हुआ है ? चयनित व्यक्तियों की योग्यतायें व प्रमाण-पत्र किन-किन विद्यालय के हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय में श्री नन्दलाल वर्मा की भी नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कब और किस पद पर ? क्या यह सही है कि संबंधित व्यक्ति ने अपने चयन हेतु पूर्व चयन में कोई प्रमाण पत्र दिया था जो चयन समिति द्वारा मान्य न होने के कारण संबंधित व्यक्ति को साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया गया मगर बाद में चयन के समय में दूसरा प्रमाण पत्र दिया था ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या दोनों प्रमाण पत्रों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा सत्र 1979-80 से खुला है । प्रबन्धक से प्राप्त सूचना के अनुसार महाविद्यालय में निम्नांकित व्यक्ति चयनित होकर नियुक्त हुये:–

1–श्री राम आसरे यादव, प्रवक्ता,
चयन वर्ष 1980-81

2–श्री अरुण कुमार तिवारी,
चयन वर्ष 1980-81

3–श्री उमा शंकर, प्रवक्ता,
चयन वर्ष 1983-84

4—श्री नन्द लाल चौधरी, प्रवक्ता,
चयन वर्ष 1983-84

5—श्री हृदय नारायण सिंह, लिपिक
चयन वर्ष 1985

6—श्री हरदेव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
चयन वर्ष 1981

विवरण संलग्न सूची "क" में उल्लिखित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 148—149 पर)

91—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—
[दिनांक 14-3-88 के अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तारित]

92—श्री राजित प्रसाद यादव—
[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

93—श्री शारदा नन्द अंचल—
[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

94—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—
[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 103 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ जनपद के मोहिबुल्लापुर के ग्राम पल्टन छावनी निवासी श्री राजदुलारा तिवारी के मकान के सामने वाले मार्ग पर खड़न्जा बिछाने की मांग

95—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहिबुल्लापुर के ग्राम-पल्टन छावनी निवासी श्री राज दुलारे तिवारी के मकान के सामने वाले मार्ग पर खड़न्जा बिछा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त जमीन तिवारी द्वारा हथिया लेने की नीयत से सांठ-गांठ करके उक्त मार्ग पर खड़ंजा न बिछाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो खड़ंजा कार्य पूर्ण दर्शाये जाने पर भी उक्त मार्ग पर खड़न्जा क्यों नहीं बिछाया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा

डीडीहाट विकास खण्ड की पमस्यारी पेयजल योजना के जीर्णोद्धार की मांग

96—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 418/85 दिनांक 12-10-85 के साथ श्री त्रिलोक सिंह ढाक ग्राम ढाक पमस्यारी तहसील डीडीहाट का पत्र मिला है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित 1965 में बनी पमस्यारी पेयजल योजना की अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसके शीघ्र जीर्णोद्धार करने के लिये 19 अक्टूबर, 87 तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । डीडीहाट विकास खण्ड की पमस्यारी पेयजल योजना की मरम्मत का कार्य मार्च/अप्रैल, 1987 में पूर्ण करवाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा चुकी है, जो वर्तमान में भी चल रही है ।

जनपद गाजीपुर में जिला परिषदों द्वारा अनावश्यक सड़कों का प्राक्कलन

97—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जिला परिषद् द्वारा अनावश्यक सड़कों का प्राक्कलन तैयार करके जनहित के बदले ठेकेदारों के हित के लिए कार्य कराया जाने और कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सड़कों के चुनाव में मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 448/87 दि0 30-10-87 जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री महोदय यह निदेश देने का कष्ट करेंगे कि गवर्निंग बाडी की स्वीकृति के बिना नयी सड़कों पर कार्य न कराया जाय और न ही उस मार्ग पर धन आवंटित किया जाय जिसकी स्वीकृति गवर्निंग बाडी ने न दी हो ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा की ग्रामसभा रिछोहा में बनाई जा रही बंधी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

98—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान (भगवान दास) ग्राम सभा रिछोहा ब्लाक जगनेर जनपद आगरा ने अपने ग्राम रिछोहा में बनाई जा रही बंधी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा निर्माण-कमजोरियों संबंधी कई शिकायती पत्र मुख्य मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री को दिनांक 2-7-85, 3-8-85, 22-7-87 तथा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग व आयुक्त आगरा को दिनांक 18-8-87 में भेजे गये पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम सभा रिछोहा के प्रधान श्री भगवान दास के शिकायती पत्र दिनांक 3-8-85 तथा 22-7-87 प्राप्त हुये । शिकायती पत्र की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियंता (लघु सिंचाई) को निदेशित किया गया है ।

99—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री रामपाल प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला भगवान पट्टी जिला फैजाबाद का शासन को प्रेषित प्रार्थना पत्र

100—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामपाल प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला भगवान पट्टी ब्लाक कटेहरी, जनपद फैजाबाद का 30-1-88 का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित पत्र के साथ शासन को मिल गया है, जिसमें भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और प्रश्नकर्ता के पत्र तथा जांच आख्या के विवरण को पूरे अभिलेखों के साथ सदन के पटल पर रखने में क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रधानाध्यापक का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है ।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अवधि के वेतन का भुगतान का मामला है जिसका भुगतान किया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ज्ञान मशीनरी स्टोर, कोतवाली रोड रायबरेली द्वारा पुराना इंजन बेचे जाने के संबंध में की गयी शिकायत पर कार्यवाही

101—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रकान्त आत्मज श्री राज कुमार ग्राम भंगरिया, ब्लाक सतांव जनपद रायबरेली ने ज्ञान मशीनरी स्टोर, कोतवाली रोड, रायबरेली से बोटा विक्रम इन्जन, फरवरी 1979 में खरीदा था लेकिन इंजन पुराना होने के कारण उसे श्री चन्द्रकांत नहीं ले गये और दुकान पर ही पड़ा रह गया जिसकी शिकायत 7-9-79 को खण्ड विकास अधिकारी, 21-12-79 को उप सचिव, ग्राम्य विकास, 24-5-79 को अतिरिक्त जिलाधिकारी रायबरेली, 7-12-81 को अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को तथा जिलाधिकारी रायबरेली को क्रमशः 27-8-85 एवं 10-9-85 को थी ? यदि हां, उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री चन्द्रकान्त, आत्मज-राजकुमार, ग्राम-भंगरिया, ब्लाक-सतांव, जनपद-रायबरेली में ज्ञान मशीनरी स्टोर, कोतवाली रोड, रायबरेली से 6.5 हार्स पावर का बोटा हाई स्पीड इंजन दिनांक 3 मार्च, 1979 को खरीदा था । इंजन पुराना होने के कारण श्री चन्द्रकान्त द्वारा उसे घर न ले जाने की शिकायत सही नहीं है । दि0 23 मई, 1979 को इंजन के शीघ्र गरम होने की शिकायत श्री चन्द्रकान्त ने प्रथम बार की और उसके स्थान पर दूसरे इंजन की मांग भी की थी । उक्त शिकायत पर दि0 23 सितम्बर, 1979 को शिकायतकर्ता के घर पर ही ज्ञान मशीनरी स्टोर द्वारा उक्त इंजन ठीक करवा दिया गया, जिससे श्री चन्द्रकान्त ने सन्तुष्ट होकर सन्तुष्टि का लिखित प्रमाण पत्र भी खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया था । दि0 7 दिसम्बर, 1981 को इंजन खराब होने की पुनः शिकायत प्राप्त होने पर,

उसकी जांच करवाई गई और उसे ठीक कराने हेतु ज्ञान मशीनरी स्टोर्स की दुकान पर लाने हेतु श्री चन्द्रकान्त को निर्देशित किया गया । प्रश्नगत इंजन उक्त फर्म द्वारा पुनः सही कर दिया गया है । इंजन चालू हालत में है । इंजन वापस लेने हेतु श्री चन्द्रकान्त को तब से लगातार कई बार लिखा गया परन्तु, उन्होंने उसे वापस नहीं उठाया है ।

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्य

102—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में से 31 अक्टूबर, 87 तक कितने कार्य अपूर्ण थे ? इन संबंधित कार्यों के कार्य अधिकारी को कार्य कराने हेतु धन किन तारीखों को दिया गया तथा अत्यधिक विलम्ब की दशा में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में वर्ष 85-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से 31-10-87 तक पन्द्रह कार्य अपूर्ण थे । संबंधित कार्यों हेतु अभिकरण से धन दिये जाने की तिथियों का उल्लेख संलग्नक में किया गया है । विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 150 पर)

राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज चौलोसैण जनपद पौड़ी के लिए भवन निर्माण की मांग

103—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी में ब्लाक पाना के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज, चौलोसैण के लिए विगत 5 वर्ष पहले हाईस्कूल स्तर तक के भवन निर्माण के लिए धन स्वीकृत हुआ था ? क्या यह भी सही है कि जनता की ओर से निःशुल्क भूमि का रजिस्ट्रेशन शिक्षा विभाग को कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक इस विद्यालय का भवन न बन पाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि काफी विलम्ब से उपलब्ध हो सकी है। अतः उक्त भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति करने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, प्रश्नों के सन्दर्भ में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त। मैं व्यवस्था का प्रश्न नियम 300 के बाद लूंगा।

सरयू नहर खण्ड तृतीय कल्पीपारा, बहराइच में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 29 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 7 सूचनाएं श्लाका द्वारा स्वीकार की गई हैं। पहली सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की, दूसरी सूचना श्री अचल सिंह की, तीसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की, चौथी सूचना बेनी प्रसाद वर्मा जी की, पांचवीं सूचना श्री राम शरण दास जी की, छठी सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की और सातवीं सूचना श्री अवनीश कुमार सिंह जी की हैं। ये सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[मान्यवर, संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा गण्डारा तालाब के पानी का तल वास्तविक लेबिल से दो मीटर नीचे दर्शा देने के कारण प्राविधिक दृष्टि से लंगड़ी स्कप चैनल का निर्माण कार्य गलत तरीके से हो रहा है। इस पर लगभग 40 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। चैनल के चलने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, अपितु संबंधित क्षेत्र जलमग्न हो जाने की आशंका है। अवर अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या 20/इ० इ०/85-86 के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत लाखों रुपयों का फर्जी निर्माण सामग्री निर्गत करके सरकारी धन हड़पने का प्रयास किया है। कोटेवा हेड रेगुलेटर एवं स्केप पर डिवाटीरिंग हेतु करायी गयी अधिकांश बोरिंगें उखड़वाकर गायब कर दी गयी हैं तथा डीजल एवं जी0 सी0 सीट में भी व्यापक रूप से अनियमितता की गयी है। सरयू मुख्य नहर के किमी0 33.100 से 33.275 एवं किमी0 33.900 से 34.050 के मध्य मिट्टी के कार्यों पर इनके द्वारा किसी "खान" का अन्तर्देशीय पत्र प्रस्तुत करते हुए विभाग से विजिलेन्स जांच की मांग की गयी है, लेकिन यदि सन्दर्भित पत्र की लिखावट किसी जांच विशेषज्ञ से करायी जाय तो मालूम होगा कि यह पत्र इन्हीं के हाथों से लिखकर केवल सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान रुकवाने की साजिश मात्र ही है। विभाग ने भी इस साजिश में इनका सहयोग किया है। इनके द्वारा माह सितम्बर, 1985 में मास्टर रोल संख्या 1488 द्वारा 2508/- रु0 चार्ज किया गया है तथा यात्रा भत्ता भी बनाया गया है एवं माप पुस्तिका संख्या 33(एस) पृष्ठ–56 एवं 39(एस) पृष्ठ 22 पर क्रमशः भुगतान व स्टाक सत्यापन किया गया है, जबकि उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार यह इस अवधि में होशियारपुर (पंजाब) में उपस्थित थे। उक्त कृत्यों से जन असन्तोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला फतेहपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों के बकाये वेतन आदि के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न ही ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद–फतेहपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का बकाया वेतन व अन्य मदों का भुगतान काफी समय से शेष पड़ा हुआ था, जिसे उसी विभाग में कार्यरत लेखाधिकारी व बिल क्लर्क, श्री राम आसरे द्वारा जालसाजी करके फर्जी कागज बनाकर जिला सहकारी बैंक शाखा हरिहरगंज व अन्य बैंकों के खातों में अपने नाम जमा करके लगभग नौ लाख रुपया हड़प लिया गया। अध्यापकों द्वारा शिकायत करने के बावजूद अभी तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि प्रकरण की जानकारी सभी उच्चाधिकारियों को है। बकाया वेतन का भुगतान न होने से अध्यापकों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

आगरा जिले के फिरोजाबाद क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम खद्दूसपुरा, मटसेना, ठारगेंदा लाल, प्रेमपुर, करकोली, अगरूपुरा, गढ़ीदेवहस, मिसरीपुरा, बसई मोहम्मदपुर मकामई, नसीलपुर, सोफीपुर, पुरा उमराव, नगरिया, लुहारी, जहागीरपुर, नूरपुर नगला चूरा खजापुर, नगलाउदी, पहाड़पुर, किन्नरपुर, मडुआ, गढ़ीसवारी, मोहम्मदपुर बिहारीपुर, तोतलपुर, आदि में पानी पीने का घोर संकट व्याप्त है। पीने के पानी की तलाश में लोग अपने पशुओं को लेकर सायकिल पर बर्तन रखकर दूर दराज गांवों में पानी लेने को काश्तकारों के निजी नलकूपों पर जाते हैं जहां पर गत दिनों बिजली न होने के कारण उन लोगों को पानी मिलना दूभर हो गया है पशुओं व आदमियों में पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि पक्के कुओं में सरकार बोरिंग करा कर डीजल इंजन लगावे और पानी पीने को उपलब्ध कराया जाय, तुरन्त व्यवस्था कर उन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जाये और खराब हैण्ड पम्पों की तुरन्त मरम्मत करायी जाये ग्रामीण अंचल से समस्त तालाब व पोखर पशुओं के पीने के लिए पानी भराये जायें।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन में लाकर सरकार से इस पर उचित व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी जिलान्तर्गत मसौली ब्लाक के ट्रान्सफार्मर की खराबी से उत्पन्न विद्युत संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मान्यवर, बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड मसौली के ग्राम नौबस्ता व रसौली के ट्रान्सफार्मर पिछले 10 महीनों से व विकास खण्ड हरख के कस्बा जैदपुर के मोहल्ला बड़ा पुरा व ग्राम पड़री का ट्रान्सफार्मर पिछले 6 माह से खराब स्थिति में पड़ा है। स्थानीय किसान व विद्युत उपभोक्ता निरन्तर विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से उक्त ट्रान्सफार्मर बदलने का अनुरोध कर रहे हैं परन्तु अब तक इन्हें न बदलने से लाखों रुपये की क्षति हो चुकी है।

मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि उक्त ट्रान्सफार्मर तत्काल बदल कर किसानों एवं विद्युत उपभोक्ताओं की क्षति रोकी जाय।]

ग्राम सलूनी जिला सहारनपुर की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम शरण दास–

[मान्यवर, ग्राम सलूनी परगना सुल्तानपुर जनपद सहारनपुर के खसरा नम्बर 63-64-94-102-132-137-140 ग्राम समाज की सम्पत्ति है जिसमें खेल का मैदान, पंचायतघर, चरागाह, तालाब व खाद के गड्ढे हैं। ग्राम प्रधान व पटवारी ने रिश्वत लेकर इन खसरा नम्बरों में से श्री फूल सिंह के लड़के के नाम फर्जी पट्टे काट दिये हैं जब कि फूल सिंह के पास पहले से ही बहुत ज्यादा भूमि है और ट्रैक्टर से खेती करने वाला भूपति है। इसी प्रकार कई दूसरे लोगों को भी पट्टे काटे गये हैं जो अवैध हैं। कोई मीटिंग भी पट्टे काटने के सम्बन्ध में नहीं बुलाई गयी। यह सब काम मोटी रकम लेकर किया गया है। गांव के गरीब भूमिहीन तथा पात्र व्यक्तियों को वंचित कर दिया गया है।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उक्त ग्राम के फर्जी पट्टे निरस्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।]

झांसी जिलान्तर्गत गरौठा क्षेत्र में अग्निकाण्ड एवं ओलावृष्टि से कृषि को हुई क्षति एवं भुखमरी उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, झांसी जिले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में माह फरवरी में ओला वृष्टि से बहुत से ग्रामों की रबी की खड़ी फसल नष्ट हो गयी है तथा माह मार्च में क्षेत्र के कई ग्रामों के बहुत से कृषक परिवारों की सम्पूर्ण कटी हुई फसल खलिहानों में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ओला वृष्टि तथा खलिहानों में हुए अग्निकाण्डों से क्षेत्र के सैकड़ों परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं। सरकारी व सहकारी ऋणों की वसूली में उत्पीड़न के कारण तथा रोजीरोटी की तलाश में गरीब जनता क्षेत्र से पलायन कर रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लेकर शासन से ओला एवं अग्निकाण्डों से प्रभावित परिवारों को तत्काल उनके वर्ष भर जीवन यापन योग्य आर्थिक सहायता एवं अनुदान दिलाये जाने, उनकी सभी प्रकार की वसूलियां माफ किये जाने तथा भविष्य में होने वाले अग्निकाण्डों के रोकथाम हेतु गरौठा एवं मौंठ तहसील केन्द्रों पर फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के शीतगृहों में आलू न रखे जाने से किसानों में घोर असन्तोष उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बदायूं में प्रदेश में फर्रुखाबाद के बाद सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। इस वर्ष बदायूं में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वहां के कृषकों ने इस भयंकर सूखे में खून-पसीने से आलू का उत्पादन किया है, परन्तु विडम्बना है कि उनका आलू शीत-गृहों में नहीं रखा जा रहा है, और वे आलू को लेकर दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा कृषकों को शीत गृहों में आलू रखवाने में कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाखों कुन्तल आलू सड़ने का भय उत्पन्न हो गया है। बदायूं के कृषकों में आलू की समस्या को लेकर भयंकर रोष उत्पन्न हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बदायूं के कृषकों का आलू शीत गृहों में रखवाया जाये तथा तुरन्त आलू की सरकारी खरीद तुरन्त प्रारम्भ की जाये।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना हृदय नारायन दीक्षित की नियम 56 की सूचनाओं के बारे में है। दूसरे प्रश्न श्री जगदीप सिंह बरार का प्रश्नों के लिखित उत्तर देर से प्राप्त होने के सम्बन्ध में है। तीसरा प्रश्न श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का बजट के करोड़ों रुपये पी0 एल0 ए0 में जमा होने पर है और चौथा सवाल श्री राम आसरे वर्मा व श्री काशी सिंह ऐरी का पंजाब समस्या के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक के बारे में है। पहली सूचना श्री हृदय नारायन दीक्षित वाली का जहां तक संबंध है, यह मेरा विवेक है कि किसे सुना जाय और किसे न सुना जाय, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बरार जी की यह सही है कि (व्यवधान) जो आप कह रहे हैं उसी के बारे में कह रहा हूं (व्यवधान) यह सही

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि प्रश्नों के लिखित उत्तर देर से आते हैं, काफी समय से यह परम्परा पड़ गयी है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री विशेष ध्यान देने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जो आपकी आज्ञा है शिरोधार्य है, किन्तु यदि यह पता चल जाए कि कौन-कौन से विभाग से देर से लिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, तो और तत्परता से कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना नियम 300 में नहीं आती। इसके अलावा दिनांक 29-3-88 को श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने यह प्रश्न उठाया था कि जिसका उत्तर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में दे दिया था। चौथा, जो श्री रामआसरे वर्मा और काशी सिंह एरेरी की तरफ से है, यह नियम में और इस सदन में आता नहीं है। . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा प्रश्न उससे बिल्कुल भिन्न है . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप तो बहुत विद्वान सदस्य हैं . . (व्यवधान) मैं अभी सुनता हूं, वह नियम 300 में आता नहीं है और उसका इस विधान सभा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 29 मार्च, 1988 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 29 मार्च, 1988 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 30 मार्च, 1988 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष–

मद सं0 5, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोला-गोकरणनाथ (इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष–

मद सं0 5 आप लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वही तो पढ़ रहा हूं। आप एजेण्डा देख लें, फिर मैं पढ़ना शुरू करूं।

गोला गोकरणनाथ को मुख्यालय बनाकर एक पृथक तहसील बनाये जाने विषयक याचिका †

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोला गोकरणनाथ को मुख्यालय बनाकर एक पृथक तहसील बनाये जाने विषयक श्री संजय कुमार, श्री अरुण कुमार अग्रवाल तथा **श्री राजेश कुमार गुप्त आदि**, निवासीगण, गोला गोकरण नाथ **जिला लखीमपुर खीरी** द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अभी बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को पेंशन देने से संबंधित प्रश्न था जिसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि पेंशन का भुगतान हो चुका है। मेरी निश्चित जानकारी है कि 7-8 महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है लोग परेशान हैं। सरकार सदन में गलत बयानी कर रही है। अगर 88 तक का भुगतान हो चुका है तो आप मंत्री जी को निर्देश दें कि वह बतायें कि किस-किस जिले में भुगतान हुआ है। वृद्ध अध्यापक जो जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। बड़ी दुखद स्थिति पैदा हो गयी। आप मान्यवर, व्यवस्था दें कि सही उत्तर हम लोगों को मिलना चाहिए।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं प्रश्नों के संदर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नियमावली का नियम 38–1 आप देखने की कृपा करें। उसमें है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर रखे जा सकेंगे। मान्यवर, यह भी व्यवस्था है कि आपकी आज्ञा से अनुपूरक प्रश्न किये जा सकेंगे। मैं शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर सुसंगत रूप से नहीं देते हैं। आज मेरा तारांकित प्रश्न सं0–1 था। मैं प्रश्नों के संबंध में औचित्य का प्रश्न भी उपस्थित कर चुका हूं। मान्यवर, बार बार आपकी पीठ से कहे जाने के बाद भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं भेजा है। मेरा जो आज का प्रश्न था कि 1985 से लेकर आज तक कितने डिग्री कालेज खोले जाने की अनुमति सरकार ने दिया है। लेकिन इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मैं सुसंगत उत्तर जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में कितने डिग्री कालेज खोले गये हैं?

---

† छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि पीठ का निर्णय होता है कि किस प्रश्न का जवाब दिया जाय, माननीय सदस्य संतुष्ट हों या न हों यह दूसरी बात है। माननीय सदस्य का प्रश्न नीति विषयक था कि क्या सरकार ने नये महाविद्यालयों को खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यदि ऐसा है तो क्यों? प्रश्न का जवाब दिया गया कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अब अनुपूरक प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया कि 85 से लेकर 87-88 कई सालों की जानकारी चाही जिसके लिए सूचना की आवश्यकता है। माननीय पीठ से इसका अनुमोदन आ गया कि कोई जवाब नहीं दिया जायगा इसके बाद क्या प्रश्न रह जाता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मंत्री जी ने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। मुझे संख्या नहीं बतायी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि 85 से लेकर 88 तक उत्तर प्रदेश में कितने डिग्री कालेजों को मान्यता दी गयी है। प्रदेश में विद्यार्थियों को प्रदेश में बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं और प्रवेश में रुपये लिये जा रहे हैं। पीठ ने इजाजत दी थी कि इसका उत्तर मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

कह दिया कि सूचना एकत्रित करेंगे, उस वक्त नहीं थी।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने वाला उत्तर दिया है कि पेंशन का भुगतान हो चुका है लेकिन 7–8 महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम और नियमावली है आप उसके अनुसार कार्यवाही करिये।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पीठ का सहारा ले रहे हैं। [xxx] नहीं तो ये मंत्री लोग सही उत्तर देते। मेरा आज 6 नम्बर पर प्रश्न था, उसमें भी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि समय से भुगतान हो रहा है. . . . (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 6 नम्बर पर जब प्रश्न आया, तो माननीय सदस्य नहीं थे, जब क्वश्चन निकल गया, उस समय आप नहीं थे। आपको जो भी आशंका थी, तो आपको सदन में मौजूद रहना चाहिए था और आप अपने अनुपूरक प्रश्न के जरिये अपनी आशंका दूर कर सकते थे।

(शोर)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने मान्यवर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है, बिना आपकी इजाजत के इन्होंने टिप्पणी की है, इनका यह उत्तर असत्य है, अपूर्ण है, उसके बारे में मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अभी जो गलत बयानी किया है . . . . (घोर व्यवधान) . . . सदन में आप मंत्री जी जरा तमीज से बात कीजिए।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मैनेजर सिंह, आप नाराज न हों ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इन्होंने नियम विरुद्ध [xxx] आवासीय भत्ता दिलवाया है और अध्यापकों को पेंशन नहीं दिलवाते हैं । इनको शर्म नहीं आनी चाहिए ?

(अत्यधिक शोर)

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, किसी के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप करना अच्छी बात नहीं है । मान्यवर, जो सदन में नहीं है, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है । मान्यवर, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको मैं दिखवा लूंगा और जो शब्द असंसदीय होगा, उसे निकाल दिया जायगा ।

संसदीय कार्यमंत्री श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह डाइरेक्ट शिक्षा मंत्री को पहुंचा रहे हैं, वह मान्यवर, आपको संबोधित करें । दूसरी बात मान्यवर वह बुजुर्ग हैं, वह सदन में इस तरह बात कहें, जिससे सदन की गरिमा बनी रहे ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप इनको समझाइये । जो सत्य बात है, वही मैंने कहा है । मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा है, उसे कार्यवाही से नहीं निकालना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, नहीं निकलेगा । मैंने यह कहा है कि अगर कोई ऐसा शब्द होगा, जो असंसदीय है उसे निकाल दिया जायेगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने अपनी बीबी को नियम विरुद्ध आवासीय भत्ता दे रहे हैं और गरीब अध्यापकों को जो अवकाश प्राप्त हो गये हैं, उनको पेंशन भत्ता नहीं दे रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और ये बेईमानी कर रहे हैं । अपने लिए इनका दूसरा मापदण्ड है और दूसरों के लिए दूसरा मापदण्ड है । बेईमानी शब्द के बारे में सदन में घोषणा हो चुकी है कि यह संसदीय शब्द है । आज से बीस साल पहले से बेईमानी को संसदीय माना जा चुका है

श्री उपाध्यक्ष–

इसके बारे में तो मैंने कह दिया है । आप बैठिये ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, नियम के अनुसार माननीय सदस्य जी चाहें कार्यवाही कर सकते हैं। मान्यवर, मुझे लगता है कि यह मेरी किसी बात से मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हैं। लेकिन मान्यवर, किसी के परिवार के ऊपर आक्षेप लगाना मेरा ख्याल है इतने वरिष्ठ सदस्य के लिए शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं, अगर मुझसे व्यक्तिगत कोई क्षोभ हुआ है तो मैं क्षमा याचना करता हूं। यह प्रश्नकाल का है, प्रश्नकाल के ही समय ही इस पर बात की जा सकती है। यह औचित्यपूर्ण बात नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फैजाबाद में हुए अग्निकाण्ड से दर्जनों गांव जल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी श्री शारदा प्रताप तथा श्री राम आसरे वर्मा की लखनऊ स्थित अपट्रान टी0 वी0 फैक्ट्री बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी श्री फजलुल बारी की लखनऊ स्थित हीवेट पालीटेक्निक में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी श्री राम शरण दास की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के सक्रिय होने से जनता में व्याप्त भय के संबंध में है। पांचवी श्री अचल सिंह की दिनांक 31-3-88 को फतेहपुर शहर के हरिहरगंज सब-स्टेशन के समीप विद्युत विभाग की लापरवाही से एक नवयुवक की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री बलराम यादव की प्रदेश में नशीली दवाओं की अनियमित खरीद किये जाने से लाखों रुपये के विक्रीकर की हानि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जागरण अभियान में जुटे स्वामी अग्निवेश तथा श्रीमती प्रमिला दण्डवते सहित 200 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं श्री सूर्य प्रताप शाही की उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है। नवीं श्री सरदार सिंह, श्री कुशलपाल सिंह तथा श्री मनोहर लाल की मथुरा जनपद में ग्राम सभाओं की मतदाता सूचियों में की जा रही हेरफेर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दसवीं श्री पारस नाथ यादव की जौनपुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये जा रहे भारी गोलमाल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। ग्यारहवीं श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की सीतापुर में बिक्रीकर कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बारहवीं श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी की प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों के अभी तक चालू न होने से किसानों में व्याप्त असंतोष के संबंध में है। तेरहवीं श्री शारदा नन्द अंचल की जिला विकास कार्यालय बलिया में कर्मचारियों की नियुक्ति में किए जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौदहवीं श्री देवतादीन की नानपारा जिला बहराइच में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के संबंध में, पन्द्रहवीं श्री हृदय नारायन दीक्षित की उन्नाव जनपद में पुलिस द्वारा किये जा रहे पत्रकारों का उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सोलहवीं सर्वश्री

हरेन्द्र सिंह, कनक सिंह, रिछपाल सिंह बंसल, जगवीर सिंह तथा श्री भोपाल सिंह की जनपद मुजफ्फर नगर, मेरठ, गाजियाबाद एवं अलीगढ़ में विद्युत अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सत्रहवीं सर्वश्री जयदीप सिंह बरार, डा0 संजय सिंह, वीरेन्द्र नाथ दीक्षित तथा नरेन्द्र पाल सिंह की उप चुनाव स्थगित कराने में प्रदेश सरकार का षडयंत्र होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अठारहवीं श्री रघुवीर दयाल वर्मा, श्री जमुना प्रसाद बंसि तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की जनपद बांदा के थाना बदौसा के थानाध्यक्ष की लापरवाही से इन्सपेक्टर महेश सिंह की डकैतों द्वारा की गई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

मैं इनमें से कुछ सूचनाओं को सुनूंगा । पहले नम्बर एक पर अवधेश प्रसाद जी की सूचना है, समय का ध्यान रखें ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में अग्निकांड से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अरबों रुपये का प्रतिवर्ष नुक्शान हुआ करता है । और यह जानकारी प्रत्येक जनपदों से शासन को मिलती रहती है लेकिन शासन की तरफ से इतने बड़े नुक्शान के बाद और इतने बड़े जनधन की हानि होने के बावजूद भी इस विषय पर आज तक किसी भी जनपद में स्थाई निराकरण के लिए, इस समस्या के समाधान करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं हुए हैं । श्रीमन् अभी हमारे जनपद में 3-4 दिनों में 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और पहली अप्रैल के बीच में कम से कम 14-15 गांव ऐसे हैं . . .

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित किसी एक व्यक्ति द्वारा पर्चे फेंके गए तथा नारे लगाये गये ।)

जहां पर भयानक आग लग जाने से गांव के गांव बिल्कुल साफ हो गये हैं । मान्यवर, उन ग्रामवासियों के घर तो जल ही गये, साथ ही उनके जानवर जल गए, आदमी भी जल गये, लेकिन शासन की ओर से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । श्रीमन्, हमारे मुमताज नगर में 30 घर जल गये, सकरी में 7 घर जल गये, ओरवा में 45 घर जल गये, गोसाईगंज के तीन गांवों में कम से कम 200 घर जल गये, भवनियापुर में 7 घर जल गये । तो एक तरफ तो किसान सूखे की मार से पीड़ित था और इस अग्निकांड से उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मजबूरी आ पड़ी है । ऐसी विषम परिस्थिति में श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि चूंकि प्रत्येक वर्ष पूरे प्रदेश के जनपदों में अरबों रुपये का नुकसान होता है, इसलिये आपके माध्यम से मेरा शासन से सुझाव है कि इसके निराकरण के लिये कोई स्थायी योजना बनाई जाय, जैसे हर थाने में कम से कम एक आग बुझाने वाला दस्ता होना चाहिए जिससे कि इत्तला होने पर तत्काल मौके पर जो जन-धन की हानि होती है, उसकी रक्षा हो सके । लेकिन आज तक किसी भी जनपद में ऐसी व्यवस्था नहीं है और अगर है तो एक या दो आग बुझाने वाली मशीनें जिला मुख्यालय पर ही हैं । मैं मांग करता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय और जो अग्नि पीड़ित हैं, उनके लगान, सिंचाई आदि को माफ किया जाय और उनके सामने जो खाने पीने की समस्या पैदा हो

जाय उसके लिये अनाज और कपड़े बांटे जायं । मान्यवर, चूंकि आज सारे प्रदेश की जनता अग्निकांडों से पीड़ित है, इसलिये मेरा आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि इस विषय पर इस आदरणीय सदन में चर्चा कराई जाय जिससे कि स्थायी तौर पर इस समस्या का समाधान इस सदन के माध्यम से किया जा सके ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 अवधेश प्रसाद जी ने जिस समस्या की ओर कार्य स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, यह काफी गम्भीर समस्या है और विशेष रूप से गांवों में जब कटाई के बाद खलिहान में जब फसल आती है, उस समय तालाबों में पानी कम हो जाता है और गांवों में आग लगने की सम्भावना रहती है । जहां तक इतने विशेष क्षेत्र की समस्या है, इनका नोटिस प्राप्त होते ही मैंने आदेश दिए हैं कि वहां पर राहत सहायता भिजवाई जाय और साथ ही जो तकावी दी जा सकती हो, दी जाय । इसमें एक बात और महत्व की है मैं उससे अपने को भी सम्बद्ध करूंगा कि बहुत से गांवों में तालाब नहीं होते हैं या आग लगने के समय उनके पानी से वहां की आवश्यकता पूरी नहीं होती है । सबसे बड़ी चीज यह है कि गांवों में जिस प्रकार के छप्पर के मकान होते हैं, जब तक उनको खपरैल से रिप्लेस नहीं किया जाता है, तब तक आग बराबर लगती रहती है । मैं ग्राम्य विकास विभाग के जरिये से अनुरोध करूंगा कि इसमें एक योजना बनाई जाय कि जहां आग लग जाती है, वहां पर दोबारा खपरैल या टीन की चद्दर के मकान बनाए जायं, ताकि वह स्थान सुरक्षित रहे । हर गांव में एक तालाब में पानी जरूर भरा रहे ताकि इस भयंकर स्थिति में उससे बचा जा सके । इन्होंने यह भी कहा कि हर थाने में दमकल निश्चित रूप से रहे । यह बहुत अच्छा सुझाव है लेकिन जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं, सीमाएं हैं, उनको देखते हुए ऐसा करना सम्भव नहीं है । लेकिन गांव के अन्दर जो साधन उपलब्ध हैं, जैसे ट्यूबवेल, तालाब, कुएं आदि इनका सुधार किया जाय ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके । सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की कि आग लगने पर वहां रिप्लेस कराने के लिए खपरैल डाले जायं, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा कि जहां गांव में आग लग जाती है और लोग खपरैल या टीन शेड डालना चाहते हैं, उनके लिये शासन की ओर से कोई सबसिडी दी जायगी ताकि भविष्य में आग से सुरक्षा हो सके । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने एक योजना को इंगित किया है, उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को स्वीकृत करने के लिये, कि जो लघु कृषक हैं, सीमान्त कृषक हैं, हरिजन हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, अगर उनकी झोपड़ी में आग लग जाय तो इन गरीबों को तीन हजार रुपए की सहायता दी जाय । मान्यवर, इस योजना का परीक्षण किया जा रहा है और इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू किये जाने की कोशिश की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब अगली सूचना लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । बलिया जनपद में शिवपुराडियर में ढाई लाख रुपये गये, इसी परिपेक्ष्य में कह रहा हूं, लेकिन वह आज तक नहीं बांटा गया । क्या वह प्रधानमंत्री का झूठा आश्वासन था या उत्तर प्रदेश की सरकार प्रधान मंत्री की बात को नहीं मानती है या जिला प्रशासन इनकी बात को नहीं मानता है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है, आप बैठें ।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

डाक्टर संजय सिंह–

जो अभी पैसा बांटने की बात मंत्री जी ने कही, उसे बांटने शहंशाह आ रहे हैं या कोई शाह आ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, माननीय शारदा प्रताप जी संक्षेप में कहेंगे ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि0, इसकी तमाम इकाइयां पूरे प्रदेश एवं देश में अपट्रान के नाम से विख्यात हैं । इसकी पांच फैक्ट्री हमारे विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में लगी हुई हैं । वहां पर लगभग 5 हजार इम्पलायी कार्यरत हैं । आज स्थिति वहां यह है कि वहां तालाबंदी हो गयी है । वहां के कर्मचारी तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिये तथा अपनी अन्य सात मांगों के लिये संघर्षरत हैं।

पहली है, अपट्रान की कार्यदशा, कार्यक्षमता और ठेके पर कार्य कराये जाने के बारे में एक उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा जांच करायी जाय । दूसरी, इस महत्व-पूर्ण सार्वजनिक उपक्रम को निजी क्षेत्र की ओर जाने से रोका जाय । तीसरी मांग है, अपट्रान के कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों को वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाय तथा किसी एक अधिकारी का निजी प्रभुत्व

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

समाप्त किया जाय । चौथी मांग है-वर्तमान में अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाओं में जो विषमता पैदा की गयी है, उसे समाप्त किया जाय । पांचवीं मांग है-श्रम कानून और शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय । छठी मांग है-उच्चाधिकारियों द्वारा इस उद्योग के नाम पर अवैधानिक ढंग से कमाये गये धन की जांच करायी जाय तथा फिजूल खर्ची पर रोक लगायी जाय । सातवीं मांग है-जनता में बांटे गये उपहार (गिफ्ट चेक) की सी0 आई0 डी0 जांच करायी जाय । मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात तो दूर रही, वहां पर शासन द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें आज तक लागू नहीं कर सका । वहां के कर्मचारी/अधिकारी श्रमायुक्त से और तमाम अधिकारियों से अपनी मांगों के संबंध में वार्ता करते रहे हैं, परन्तु आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया ।

श्रीमन्, दो-दो शासनादेश जारी हुए, एक शासनादेश विशेष सचिव इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा संख्या 95/18-इले-87-27/इले-86 दिनांक 31 जनवरी 1987 जारी किया गया । दूसरा शासनादेश संयुक्त सचिव सार्वजनिक उद्यम के द्वारा संख्या 1120/चौवालिस-1-82/87, दिनांक 15 सितम्बर, 1987 जारी किया गया था । मान्यवर, इन अधिकारियों/कर्मचारियों की श्री कर्नैल सिंह विशेष सचिव की उपस्थिति में एक मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि नियमानुसार वतन-भत्ते आदि दिये जांय । लेकिन, आज तक वहां पर सरकार अपट्रान की व्यवस्था सही नहीं कर सकी । स्थिति यह है कि वहां का प्रबन्धक वर्ग इस सार्वजनिक उपक्रम को प्राइवेट क्षेत्र में ले जाना चाहता है । जैसाकि स्कूटर इंडिया के साथ हुआ । उसी तरह की स्थिति अपट्रान के साथ करने की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, इसका जो उत्पादन होता था, वह 150 के लगभग टी0 वी0 का होता था, प्रबन्धक वर्ग ने उसे घटाकर 50 के लगभग कर दिया है । मान्यवर, यहां श्रमिकों का उत्पीड़न शुरू हो गया है । मान्यवर, 31-1-88 को श्री अजय कुमार जैसवाल को यहां के प्रबन्धकों-उच्चाधिकारियों, बृजेन्द्र त्रिपाठी, उप प्रबन्धक, जे0 बागची वरिष्ठ प्रबन्धक एवं जी0 सी0 अग्रवाल ने अंग्रेजी में सस्पेंशन आर्डर दिया । उसने जब इस आदेश को हिन्दी में मांगा, तो उसको पकड़कर अंदर घसीट लिया और पिटाई की । उसके सिर में चोट आई वह विक्षिप्त अवस्था में आज भी टहल रहा है । मान्यवर, लाल बहादुर गुप्ता को 31 मार्च, 1988 को सस्पेन्ड कर दिया गया । मान्यवर, आज वहां का प्रबन्धक वर्ग साजिश कर रहा है । अपट्रान में एक व्यक्ति को गबन के मामले में पकड़ा गया था, जब उसे पकड़ा गया, तो उसने अपना इस्तीफा दे दिया और आज यह सरोजनी नगर में ही अपनी एक अलग से फैक्टरी चला रहा है और उपहार नाम की कोई टी0 वी0 निकाल रहे हैं । मान्यवर, सारी टैक्नालाजी अपट्रान की है, रा मैटीरियल अपट्रान का है और यही नहीं, जिस बिल्डिंग में वह टी0 वी0 बना रहा है, उसका सारा रेन्ट भी अपट्रान ही अदा कर रहा है । मान्यवर, इसी तरह लखनऊ के एक भूतपूर्व डी0 एम0, जो आजकल निहारिका टी0 वी0 बना रहे हैं, उनको भी रा-मैटीरियल अपट्रान दे रहा है और सारी टेक्नालाजी अपट्रान की ही है । मान्यवर, 1 अप्रैल, 1988 को लखनऊ के जिलाधिकारी को अपट्रान के कर्मचारियों ने ताला-

बन्दी के लिये नोटिस दिया और मान्यवर, एक साजिश के तहत अपट्रान का प्रबन्धक वर्ग इसको सार्वजनिक उपक्रम से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं, इससे वहां के जो सारे मजदूर हैं, वह बेकार हो जायेंगे । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार वहां की स्थिति को अविलम्ब ठीक करायें और तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को वहां पर लागू करवायें ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शारदा प्रताप जी ने अपट्रान में चल रही हड़ताल के बारे में कहा । मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि अपट्रान एक निगम है । लेकिन इसके इम्प्लाइज की कुछ समस्यायें हैं, जिनके संबंध में बात चल रही है और भी बहुत से आरोप लगाये गये हैं, जो प्राइमाफेसी देखने में गम्भीर लगते हैं । हम इन सबकी जांच करायेंगे और पूरी स्थिति से आपको अवगत करायेंगे । वैसे यह सूचना कार्य स्थगन के योग्य नहीं है ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना हीवेट इंजीनियरिंग कालेज है, जहां से बहुत से लोग पढ़-पढ़कर निकले हैं । आज यह कालेज बहुत खराब स्थिति में है । वहां पर गुन्डा एलीमेंट का कब्जा हो गया और पिछले 3 साल से वहां के जो रेगुलर प्रिंसिपल थे, उनको गुन्डा एलीमेंट ने सरकार से साजिश करके निलम्बित करवा दिया, जबकि वह अत्यन्त योग्य आदमी थे । मान्यवर, यह पता नहीं कौन सा कानून है, जिसके तहत सरकार खुद कानून बनाती है और तोड़ती रहती है । मान्यवर, आज तक उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं हुआ । इसी तरह मान्यवर, पी0 टी0 सी0 में जो गरीब लोग पढ़ते हैं, वह लोग वहां पर पार्ट टाइम ट्रेनिंग लिया करते हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए वहां अब कोई क्लास नहीं हो रही है और जो टीचर वहां पर नामजद हैं, वह हर महीने अपनी तनख्वाह उठा लेते हैं और किसी भी क्लास में कोई टीचर पढ़ाने नहीं जाता है । आजकल वहां पर पी0 सी0 बनर्जी नाम के प्रिंसिपल हैं, मान्यवर, यह सारा कुचक्र उन्हीं का चलाया हुआ है और उन्होंने पूरे कालेज को अपने कब्जे में कर लिया है । जो वहां पर कायदे के लोग हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है । पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है । मान्यवर, जब हम चाहते हैं कि प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश आगे जाये तो हमें इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए । इंजीनियरिंग कालेज, जिन पर हमारी प्रोग्रेस निर्भर है, उनका इन्तजाम ठीक से होना चाहिये । मान्यवर, जिस तरह कानपुर के एच0 बी0 टी0 का मामला था, उसी तरह की स्थिति यहां भी होती जा रही है । मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार कम से कम अपने नियमों को तो वहां पूरी तरह से लागू करे । मान्यवर, वहां की मैनेजिंग कमेटी पर भी गुन्डा एलीमेंट ने कब्जा कर लिया है और वहां के प्रिंसिपल पी0 सी0 बनर्जी जी हैं, वह उसके सेक्रेट्री बने हुए हैं, यह सब अनियमिततायें वहां पर चल रही हैं । मेरा अनुरोध है कि आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें क्योंकि मान्यवर, यह केवल एक कालेज का मामला नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की तरक्की का इस पर दारोमदार है ।

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, हीवेट पालीटेक्निक गवर्मेन्ट एडेड है । वहां के मैनेजमेंट का कुछ विवाद चल रहा है, वहां पर कन्ट्रोलर एप्वाइन्ट हुआ । जो सरकार के साथ साजिश की बात कही गयी है, वह बिल्कुल सत्य से परे है इसमें कोई आधार नहीं है । कुछ कानूनी बातों की तरफ माननीय सदस्य ने इशारा किया है कि 3 साल से सस्पेन्शन चल रहा है, इसे दिखवा लिया जायेगा । यदि किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो सरकार सुनिश्चित करेगी कि वह न होने पाये । यह विषय कार्यस्थगन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यह मामला इतने दिनों से चल रहा है । प्रशासनिक कार्यवाही इस पर जो हो सकती है, वह की जायेगी ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, नियम-56 की भी कुछ सीमायें हैं और कुछ नियम हैं । माननीय सदस्यों को भी उतना ही बोलना चाहिए, जो नियमों के अंतर्गत आता है और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी नियमों के अन्तर्गत ही उत्तर देना चाहिए । आप भी प्रायटी नहीं देखते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय श्री राम शरण दास जी ने कहा कि नियमों के अंतर्गत ही उत्तर देना चाहिए । श्री राम शरण दास जी को तो उत्तर देने की मेरी हिम्मत है नहीं, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ही उत्तर दें ।

श्री राम शरण दास–

मैं तो गृह मंत्री के लायक हूं नहीं, आप ही उनके लायक हैं ।

मान्यवर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं । पंजाब के आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश को अपना निशाना बना लिया है, वे लोग यहां का माहौल भी खराब करना चाहते हैं । सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर व देहरादून जिले हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ही नजदीक पड़ते हैं । सहारनपुर में उन्होंने अपने ठिकाने बना लिये हैं । पुलिस महानिदेशक बस्ती में बोल रहा है कि 10 जिलों में आतंकवादी फैल गये हैं, इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए । यदि इस समय इसे नहीं रोका गया तो फिर इसे सुधार पाना बड़ा मुश्किल हो जायेगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में भय व्याप्त हो गया है । हमारे यहां तो एक तपके व दूसरे तपके में बड़ा समन्वय है । हमारा प्रदेश तो इस मामलों में बहुत अच्छा है । इसलिए इस गम्भीर विषय पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय बहुत ही गम्भीर विषय है । मैं माननीय श्री राम शरण दास जी की बात को दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार आतंकवाद फैलायेगी ही । मैं इसकी ग्राह्यता के संबंध में कहना चाहता हूं । जब उत्तर प्रदेश के डी0 जी0 ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में आतंकवादी फैल गये हैं, उसके बाद क्या सरकार की तरफ से रोक लगायी गयी है ? पता लगाया गया है ? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? पंजाब की समस्या इसी सरकार की पैदा की हुई है । आज जब इस सरकार ने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में जनता कांग्रेस सरकार के खिलाफ होती चली जा रही है, तो ध्यान बंटाने के लिए आतंकवाद फैलाना चाहती है । जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी तब तक सही तथ्य सामने नहीं आ सकते । इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराइए । अपनी कुर्सी बचाने के लिये, अपनी सरकार को बचाने के लिये जनता का बंटवारा करने की जो लगातार साजिश हो रही है, उसको गम्भीरता से लीजिए ।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

सम्मानित सदस्य राम शरण दास जी ने और हमारे वरिष्ठ सम्मानित सदस्य श्री मुलायम सिंह जी ने आतंकवाद के संबंध में जो उसकी गम्भीरता के बारे में विचार प्रकट किये हैं, मैं उससे सहमत हूं । आतंकवाद हमारे देश और प्रदेश के लिये और सम्पूर्ण प्रदेशों के लिये गम्भीर समस्या है । पंजाब से मिला होने के कारण हमारे प्रदेश के कुछ जनपदों में घुसपैठ और आने-जाने की चेष्टा होती है । उसको रोकने के लिए सरकार सचेष्ट है और हर प्रकार का प्रबन्ध कर रही है । जहां हमें खास प्रकार की सूचना मिलती है, उसको रोकने की कोशिश होती है । माननीय सदस्य ने 10 जनपद बताये हैं लेकिन उन्होंने विशेष रूप से किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इस पर चर्चा का विषय नहीं बनता । लेकिन यह गम्भीर विषय है, इस पर शासन सक्रिय है । इसके लिये स्पेशल प्रकोष्ठ हर जनपद में बनाये गये हैं, सुरक्षा व्यवस्था की गयी है । इस बात की भी चेष्टा की गयी है कि पंजाब और दिल्ली के साथ सूचना के आदान प्रदान की भी व्यवस्था बनी रहे ताकि कोई हमारे यहां घुसपैठ करे तो दिल्ली और पंजाब से उसका क्या संबंध है, इसकी जानकारी करने की व्यवस्था कर दी गयी है । मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आतंकवाद से निपटने के लिये हम बहुत सचेष्ट हैं । इस पर अधिक चर्चा करना प्रदेश के हित में नहीं होगा । क्या-क्या कार्यवाही हो रही है और क्या होना प्रस्तावित है, इसको बताने में बहुत खतरे हैं । इसलिये विस्तार से सदन में चर्चा का विषय बनाना उचित नहीं होगा ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर चर्चा होना प्रदेश के हित में नहीं होगा । इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही है । एक तरफ कह रहे हैं कि प्रदेश में आतंकवादी हैं । आपको भी पता है कि पीलीभीत में दो महीने से पहले दो सिपा-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हियों को आतंकवादियों ने मार दिया, पूरनपुर में दो लोगों को मार दिया था, जो शाहजहांपुर की सीमा में घुसकर भाग गये थे, खीरी में भी दो सिपाही मारे गये थे। जैसा माननीय राम शरण दास जी ने उठाया अगर चर्चा हो जाय तो जैसा आप कह रहे थे कि हमको स्पेसिफिक घटना नहीं मालूम है, तो चर्चा के समय स्पेसिफिक घटनायें आयेंगी, तभी तो पता चलेगा।

माननीय मंत्री जी के इन विचारों पर एतराज करते हुए मुझे खासतौर से कहना है कि आतंकवाद केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि मध्य उत्तर प्रदेश में भी है। मेरा साफ तौर से कहना है कि चर्चा अवश्य करायें ताकि सारी बातें जानकारी में आ सकें और उनका निराकरण हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे नेताओं ने जो बातें कहीं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस विषय पर चर्चा आवश्यक हो। इस संबंध में मैं यह तर्क देना चाहूंगा कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घुस आये हैं। आपके संज्ञान में भी यह बात आ गयी है और पुलिस महानिदेशक ने भी कहा है। मैं आपको लखीमपुर खीरी जिले का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर जब दुर्घटना हुई थी तो इसी सदन में गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहां उस जिले में हर घरों की तलाशी ली जायेगी। लेकिन वह आश्वासन केवल आश्वासन ही बन कर रह गया। इसमें या तो सरकार की निष्क्रियता रही या और कोई बात कि सरकार के आदेशों का लोगों ने पालन नहीं किया या यह भी हो सकता है कि सरकार ने स्वतः ही अपना आदेश विदड्रा कर लिया हो। इस समय पूरे प्रदेश की जनता में भय व आतंक की स्थिति गहन रूप से पैदा हो गयी है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा करायी जाय क्योंकि इस प्रकार से हम सरकार को अपने-अपने यहां की पूरी जानकारी देंगे और सरकार की विफलताओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसमें दलीय स्तर की कोई बात नहीं है और न इसमें कोई मतभेद ही है। मतभेद वहां पर है जहां एक्जीक्यूशन न हो। हमारी चिन्ता एक्जीक्यूशन न होने पर है कि सरकार अपने निर्णय के बाद उन आदेशों का पालन नहीं करवा पाती है। इसलिये इस विषय पर चर्चा कराना आवश्यक है।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी व्यवस्था यह है कि क्या आपने इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है?

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल का नाम इसमें नहीं था। जब वे बोल लिये और उन्होंने अपनी बात रख दी तो और लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं, वह कह लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य, राम शरण दास ने जिस गम्भीर समस्या को रखा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा था कि पश्चिम के दस जिलों में आतंकवादियों से खतरा पैदा हो गया है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इस संबंध में सदन में चर्चा कराना जनहित में नहीं होगा। आपने (मंत्री जी ने)

अभी स्वीकार किया कि प्रदेश को आतंकवादियों से खतरा है और इस खतरे के वाक्यों से प्रदेश में भयानक स्थिति पैदा हो गयी है, इस पर सदन में चर्चा होना जरूरी है। श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें माननीय मंत्री जी यह बतायें कि इसके लिए उन्होंने क्या पुलिस की व्यवस्था की है ? यदि इन्होंने इसके लिये कोई व्यवस्था की होती तो पुलिस महानिदेशक को न कहना पड़ता कि प्रदेश के 10 जिलों को आतंकवादियों से खतरा है। यह आवश्यक है कि इस पर चर्चा हो कि माननीय मंत्री जी ने इस समस्या से निपटने के लिये क्या-क्या व्यवस्थायें की हैं इस पर खुलासा हो, इसलिये इस पर आप सदन का काम रोक कर दो घन्टे की चर्चा अवश्य करा दें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जो मामला मा0 राम शरण दास जी ने उठाया है कि आतंकवादी प्रदेश में घुस लिये हैं, यह जनता के भय का कारण है। लेकिन सरकार ने यह खबर प्रकाशित करवा करके स्वयं ही आतंक कायम कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम स्थिति से निपटने के लिये तैयार हैं लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि ऐसे ही सरकार पंजाब के मामले में भी बराबर कहती रही है कि हम स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं तो कहीं ऐसे ही माननीय गृह मंत्री जी भी यहां स्थिति से न निपटें जैसा कि वह पंजाब के लिये निपट रहे हैं। यह विषय बहुत ही गम्भीर है इसलिये इस पर सदन में काम रोक कर चर्चा अवश्य करा दें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने जो शंका प्रकट की है वह बिल्कुल आधारहीन है। पीलीभीत की बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही है, वहां जिन लोगों ने घटना की है वह सब लोग पकड़ लिये गये हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। सूचना तो केवल इतनी ही है शंका है कि पंजाब की तरफ से आतंवादी यहां आ गये हैं। राजनैतिक विद्वेष के कारण इतनी सनसनीखेज मिसाल दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इस विषय को झंझावत में न डालें और न ऐसी कोई कोशिश करें। जिस प्रकार की शंका प्रकट की गयी है, वह निर्मूल है। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद न फैलने पाये इसके लिए सरकार कृत संकल्प है और किसी प्रकार का आतंकवाद बढ़ने नहीं पायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर यह हम सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना की थी कि इस आतंकवाद के मसले पर चर्चा हो जाए क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मसला है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि हम आतंकवाद को निर्मूल करने के लिए संकल्प बद्ध हैं। इस संबंध में मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तो संकल्पबद्ध नहीं हैं, लेकिन माननीय मनोहर लाल जो हमारे दल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कुछ आरोप माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर लगाए हैं, इसलिए यह माननीय मनोहर लाल जी को बेइज्जत करने के लिए अवश्य संकल्पबद्ध हैं, इसी-लिए इन्होंने अपने जनपद उन्नाव के समस्त थानाध्यक्षों से कह दिया है कि कोई भी मामले, चोरी, डकैती और बदमाशी का आवें सभी में माननीय मनोहर लाल जी का नाम लिखाया जाये. . .

श्री उपाध्यक्ष–

अगर ऐसी कोई बात है तो आप इसे किसी नियम में ले आवें, इसे आतंकवाद में क्यों उठा रहे हैं ..

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट के लिए सुन लीजिए, चूंकि मेरा नाम आया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठें आप किसी नियम में इसे ले आवें । शांति, कृपया बनाए रखें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मनोहर लाल जी को किसी शख्स ने यह धमकी दी है कि तुम्हें अब हम जिले के अंदर घुसने नहीं देंगे और मान्यवर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए नहीं बल्कि मनोहर लाल जी को बेइज्जत करने के षडयंत्र के आदेश जिले के समस्त थानाध्यक्ष को दिए गये हैं और जी0 डी0 शफीपुर में भी यह लिखा जा चुका है कि मनोहर लाल जी को बदनाम करने के प्रयास जारी रखे जांए। (शेम-शेम की आवाजें, विरोध पक्ष की ओर से) इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराना बहुत आवश्यक हो गया है, सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा इस पर अवश्य कराएं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जहां तक मेरे प्रति आरोप लगाए जाने की बात है इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक भी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है और एक बार नहीं कई बार इससे पहले भी यह लांछन मेरे ऊपर लगाए गए हैं, अगर कोई भी इस लांछन को सिद्ध कर दे तो मैं सारे आरोपों को सही मान लूंगा और जहां तक मेरे द्वारा माननीय मनोहर लाल जी को किसी प्रकार से बेइज्जत करने के प्रयास को कहा गया है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसे प्रयास इनके प्रति न मेरे पहले रहे हैं और न भविष्य में रहेंगे और जहां तक इनके प्रति यदि कोई मामला विचाराधीन है तो उसका जवाब दिए जाने की उनका उत्तरदायित्व है। लेकिन बार-बार माननीय मनोहर लाल जी वाले प्रकरण को सदन के प्रकरण का रूप देना मैं समझता सम्भवतः उचित नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के रूप में यह चर्चा किस नियम में चला रहे हैं...

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मुझे भी सुन लीजिए, मेरा नाम आया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नाम तो किसी न किसी का आयेगा ही, अगर आपको बोलना ही है तो इसे किसी नियम में ले आइए. . . कृपया बैठें. . .

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने नियम 63 के अंतर्गत 2 सूचनाएं दी हैं, लेकिन आपने हमको कब मौका दिया, एक बार भी मौका नहीं दिया है। कृपया. . .

श्री उपाध्यक्ष–

उन सूचनाओं पर अभी विचार हो रहा है, उन पर अभी विचार समाप्त नहीं हुआ है। . . .

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने जो प्रकरण प्रस्तुत किया है और जिस पर माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह बड़ा गम्भीर मसला है और हम इसका मुकाबला करने और आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार हैं, की धमकी भी दी है हम लोगों का अनुभव है कि जब-जब पंजाब के पुलिस महानिदेशक रोबेरो साहब और राज्यपाल रे साहब आतंकवादियों को धमकी देते हैं तब-तब कत्ल होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आतंकवादियों को नमन करें।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह किस नियम में बोल रहे हैं?

श्री मैनेजर सिंह–

नियम 56 पर चर्चा चल रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आतंकवादी उत्तर प्रदेश में प्रवेश न करें या वह कोई अपनी हरकत न करें, तभी उत्तर प्रदेश का कल्याण है आप उनको नमन न करें।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि फतेहपुर विद्युत विभाग ने बड़ी लापरवाही का काम किया। 6 महीने पहले एक लाइन ट्रान्सफर की गयी थी, लेकिन तार को एक पोल से काटकर डाल दिया गया और हवा के झोंके से उसमें विद्युत आ जाती है, इस कारण उससे कई घटनायें हो गयीं। मैं कहना चाहता हूं कि 31 तारीख को 2 बजे उसमें विद्युत आ गयी, जिसके कारण उसमें एक नवजवान चिपक गया और उसकी मृत्यु हो गयी और एक भैंस जल कर मर गयी। इस घटना को लेकर उस दिन 6 घण्टे तक रास्ता जाम रहा। यह घटना बीच शहर में हुई है, दो बजे की घटना है और 6 बजे सायं डी0 एम0 और एस0 पी0 वहां पहुंचे। विद्युत विभाग के अधिकारियों को टेलीफोन किया गया लेकिन एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं आया फलस्वरूप डी0 एम0 ने उसको एक प्राइवेट आदमी से लाइन कटाया। उसको डी0 एम0 ने 8.45 पर ठीक कराया। वह तार 6 महीने पहले से पड़ा हुआ था, कई बार शिकायत की गयी और उसको रजिस्टर में दर्ज भी किया गया और जब विद्युत वालों को इस घटना की खबर मिली तो वह शिकायती रजिस्टर वगैरह बदल रहे हैं, जिससे कि वह अपने को बचा सकें। जिस समय घटना घटी, मृतक का भाई एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के

कार्यालय में बैठा था और जब टेलीफोन भी किया गया तो भी वह मौके पर नहीं गये और न ही किसी विद्युत कर्मचारी को वहां भेजा । वहां पर जो काण्ड हुआ है, उसकी फोटो कापी मेरे पास है, जिसमें डी0 एम0, एस0 पी0 और जो जानवर मरा है तथा जिस लड़के की मृत्यु हुई है, उसकी फोटो है। उसकी लाश 8 घन्टे तक पड़ी रही, वह जलता रहा और लोग देखते रहे, लेकिन विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी वहां पर नहीं गया । मान्यवर, यह बड़ा अहम सवाल है, इसलिए आप इस पर चर्चा अवश्य करायें । यह फोटो कापी मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, अचल सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बड़ा ही दुखद काण्ड है और इसको सुनकर दुख हुआ। इसकी जांच माननीयवर, मुख्य अभियंता से करायी जायेगी और इसमें जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया जायेगा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और जो मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक जो मुआवजा होगा, वह दिया जायेगा और जो जानवर मरा है उसकी भी क्षति पूर्ति की जायेगी। लेकिन यह ग्राह्य होने योग्य नहीं है, इसे अस्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अवधेश प्रसाद की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । राम शरण दास की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। माननीय सरदार सिंह, श्री कुशलपाल सिंह तथा श्री मनोहर लाल की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है । बाकी सब सूचनायें अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

(डाक्टर संजय सिंह, श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित तथा जयदीप सिंह बरार आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये तथा श्री शारदा नन्द अंचल अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

सीतापुर बन्द है . . .

डाक्टर संजय सिंह–

आपने हमारी सूचना पर आश्वासन दिया था . . .

श्री उपाध्यक्ष–

कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्य डायस की ओर बढ़ने लगे)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आज बुनकरों के सम्बन्ध में चर्चा लगी है। यह लोग बुनकरों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात 1 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

2 बजकर 4 मिनट पर गणपूर्ति के अभाव में 4 मिनट विलम्ब से सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

शासन द्वारा प्रदेश में उपचुनाव स्थगित कराये जाने के प्रयास के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डाक्टर संजय सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमने जो नोटिस दिया था उसकी ग्राह्यता के बारे में आपने नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष–

वह मैं अस्वीकार कर चुका हूं।

डाक्टर संजय सिंह–

जो प्रजातंत्र के प्रहरी इस तरफ बैठते हैं (व्यवधान) आज भी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखती है, माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार चिट्ठी लिखती है कि चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इलाहाबाद में चुनाव टालने का प्रयास हो रहा है, इसी तरह जहां-जहां चुनाव होने हैं वहां सरकार उनको टालने का प्रयास कर रही है ताकि इस सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों को पार्लियामेंट में जाकर वहां का प्रतिनिधि उजागर न कर सके। (व्यवधान) आज वहां के लोग नेतृत्वहीन हैं। मुझे सूचना मिली है कि प्रदेश सरकार ने फिर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि वहां का चुनाव टाल दिया जाय (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान के मध्य)

डाक्टर संजय सिंह–

वहां से जो चुने गये थे (शोर) वह शहंशाह आज बम्बई में बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं।

डाक्टर संजय सिंह–

आज इस प्रदेश के मंत्री इलाहाबाद में पद यात्रा कर रहे हैं (व्यवधान) कोई नमक बनाने के नाम पर पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। आज अमिताभ बच्चन प्रकरण पर तमाम चर्चायें हो रही हैं (व्यवधान) इलाहाबाद में चुनाव फिर से टालने के लिए चुनाव आयोग को कहा जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसे आप अस्वीकार कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इसमें अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह गलत आरोप है।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न बन चुका है क्योंकि यह वहां चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। वहां आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो गयी है, तमाम चोरियां और डाके पड़ रहे हैं जिनको उजागर नहीं किया जा रहा है, वहां के लोग परेशान हैं उनका कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं जा पा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं। इससे व्यवस्था में अव्यवस्था हो जायेगी।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय संजय सिंह द्वारा गलत आरोप लगाये जा रहे हैं यह सरकार चुनाव कराना चाहती है। अगर केन्द्र सरकार से कोई सूचना मंगवाई जाती है तो उसको देना इस सरकार का कर्तव्य है। माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में चुनाव कराये गये हैं (व्यवधान) यह आरोप राजनीति से प्रेरित है आप इसे अस्वीकार कर चुके हैं। लेकिन व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में उसे यह फिर उठा रहे हैं। मैं सूचना देना चाहता हूं कि यह सरकार किसी प्रकार भी चुनाव को नहीं रोक रही है, हमारा जनतंत्र में विश्वास है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संजय सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उस पर कहना चाहता हूं।

(अत्यधिक शोर में आवाज सुनाई न पड़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आपको भी सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा उस पर कहना चाहता हूं उन्होंने जो कहा उस पर मैं अविश्वास नहीं करता हूं। लेकिन उनके बयान से जो एक बात पैदा हो गयी है उस पर मैं सफाई चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार किसी तरह चुनाव रोकने का इरादा नहीं रखती है लेकिन एक आरोप लगाया। चुनाव कमीशन में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आप देखें चुनाव कमीशन हमारे संविधान के अंदर एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसके कार्यकलापों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जबसे एसेम्बली चली, मैं जानना चाहता हूं क्या संसदीय कार्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कोई पत्र चुनाव कमीशन को लिखा है और इस बात की असमर्थता प्रकट किया है कि इस स्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं है। डाक्टर संजय सिंह ने आरोप लगाया, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार चुनाव कराने का इरादा रखती है कि नहीं? उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार ने कोई पत्र लिखा है? तो संसदीय कार्य मंत्री बता दें कि क्या पत्र लिखा गया है और उसके कंटेंट क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने मुझसे प्रश्न पूछा है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश में जो उप चुनाव हैं उनको कराना चाहती है और करायेगी। उन्होंने पत्राचार के संबंध में पूछा तो मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन में उत्तर प्रदेश सरकार से सैकड़ों पत्र हर महीने आते जाते हैं और पत्र व्यवहार होता रहता है। यह तो एक रोटीन प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के बीच में चलती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पत्र लिखा, तो बीसों पत्र लिखे गये और आगे भी लिखे जायेंगे। मान्यवर, जहां तक चुनाव का संबंध है तो चुनाव नीति सदन को मैंने पहले ही बता दिया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि अब इस प्रकरण को यही समाप्त कर दिया जाये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न डाक्टर संजय सिंह ने उठाया उस पर मैं बल देना चाहता हूं। मान्यवर, आपकी पीठ से निर्णय होते हैं उनको मैं चुनौती नहीं देना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि सदन का कार्य प्रदेश की जनता के हित में होता है और यदि जनता का हित न होता हो तो जनता की बात व्यवस्था के माध्यम से यहां कहना चाहता हूं कि आज लाखों नागरिक ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान के अनुसार न तो संसद में सांसद और न यहां विधायक पहुंचे हैं, इसलिए वहां सरकार जो जुल्म कर सकती है, वह करती है। सरकार से चुनाव आयोग बार बार कहता है कि चुनाव करायें लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराती है और इससे महीनों और कई वर्षों से स्थान रिक्त पड़े हैं।

मान्यवर, सरकार ने एक पत्र पिछले 10-15 दिनों में 17 मार्च को लिखा है कि प्रदेश में सूखा पड़ा है, कानून और शांति व्यवस्था सही नहीं है, टांडा में साम्प्रदायिक वैमनस्य फैला है, इसलिए सरकार प्रदेश में चुनाव कराने में असमर्थ है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का क्या नैतिक अधिकार यहां बैठने का है, इस पर आप व्यवस्था दें?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नरेन्द्र देव–

[x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप आसन ग्रहण करें। रवीन्द्र नाथ तिवारी जी आप भी आसन ग्रहण करें।

(श्री नरेन्द्र देव तथा अन्य कई सदस्य एक साथ जोर-जोर से बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह धरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा (घोर व्यवधान) आसन ग्रहण करें। तिवारी जी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने एक व्यवस्था दे दी, आपके निर्देश को सभी शिरोधार्य करेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह बिना वजह जो अव्यवस्था हो रही है, एक सीधी बात संजय सिंह ने जाननी चाही की कि क्या प्रदेश सरकार ने कोई अनुरोध भरा पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा है और उसमें यह लिखा है कि विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना सम्भव नहीं है। आप सीधे इसका जवाब नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि वह चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश में चुनाव होने हैं। लोक सभा और विधान सभा के और उसको टालने के लिए आपने चाहे सूखा हो, चाहे ओला हो और चाहे कानून व्यवस्था का बहाना हो क्या कोई पत्र लिखा है या नहीं? यदि इतनी जानकारी देंगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, संजय सिंह जी ने एक आरोप लगाया, यदि संसदीय कार्य मंत्री इस बात पर, सही स्थिति पर कि ऐसा पत्र लिखा है या नहीं चुनाव आयोग की, जानकारी दे दें तो बहुत अच्छा हो।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इलाहाबाद की प्रेस-कान्फ्रेंस में कहा है कि यह जो पदयात्रा की जा रही है इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और न ही जैसी चुनाव आयोग ने घोषणा की कि अप्रैल में चुनाव की घोषणा कर दी जायेगी और 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। यह रमजान का महीना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि चुनाव टलवाने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है किन्तु संजय सिंह जी ने कहा कि चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है और इस संबंध में 17 मार्च, का एक पत्र लिखा गया है । उस तरह संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री के बयानों में परस्पर अंर्त विरोध है । वह कह रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं होगा और पद यात्रा चुनाव के लिए नहीं की जा रही है, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव टालने की कोई बात नहीं है और उसको करवाने के लिए वें प्रत्यनशील हैं। इन दोनों की स्थितियों की सही स्थिति क्या है ?जानकारी कराने का कष्ट करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

अनुग्रह नारायण सिंह जी ने स्थिति काफी स्पष्ट कर दी । जो मैं कहना चाहता था, उसे उन्होंने स्वयं कह दिया । जहां तक पद यात्रा भ्रमण कार्यक्रम का संबंध है, बिलकुल रुटीन की चीज है, सामान्य प्रक्रिया है । मंत्री जी और विधायकगण पदयात्रा कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि संजय सिंह जी उसके लिए धन्यवाद का प्रस्ताव लायेंगे मंत्रिगण, विधायक गण पदयात्रा कर रहे हैं और जाकर जनता की कठिनाइयां दूर कर रहे हैं । दूसरी बात माननीय तिवारी जी ने कही तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराना चाहती है, चुनाव करायेगी और भूतकाल में भी श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में हमने चुनाव कराये हैं । चुनाव रोकने का कोई प्रश्न नहीं है । चुनाव आयोग से कोई सूचना मांगी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सूचना सही-सही दे । यहां पर यह बात कही गयी कि सूखे का बहाना लिया जा रहा है तो क्या सूखे का बहाना है, क्या सूखा नहीं पड़ा है । मान्य-वर, एक तरफ तो कहा जाता है कि बड़ा सूखा है, ओला पड़ा है तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं लिखती है कि सूखा पड़ा है या ओला पड़ा है तो आप कहने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत लिखा है । मान्यवर, पत्राचार बराबर केन्द्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन से हमारा हो रहा है और होता रहेगा । जो स्थिति है उसको हम स्पष्ट करते रहेगें । हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, चुनाव हम कराना चाहते हैं ।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । 17 मार्च का जो पत्र है, जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है क्या उसमें चुनाव को स्थगित कराने के लिये कहा गया है ।

श्री फजलुल बारी–

सरकार की नीयत साफ नहीं है।

सूत के मूल्यों में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्य में वृद्धि न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बुनकरों का बहुत ही बुरा हाल है । पूरे उत्तर प्रदेश में 22 लाख बुनकर हैं जिसमें से 80 प्रतिशत बुनकर चाहे वह हैंडलूम के हों या पावर लूम के हों उनकी स्थिति बहुत खराब बद से बदत्तर है। देश और प्रदेश में किसानों के बाद सबसे बड़ी तादात बुनकरों की है जो आज भुखमरी के शिकार हैं । यह सारी स्थिति जो आयी है वह सरकार की गलत नीतियों के कारण आयी है । मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे कि स्थिति में सुधार आये । पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने धागे और रा-मैटीरियल की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए असली तौर पर कोई कमेटी नहीं बनायी है और जो नामजद बनी है बुनकरों को उस कमेटी में नहीं रखा गया है ताकि सूत और स्टेपुल की कीमत सही तौर से न तय की जायं । जो सरकार की नीति है उससे मिल मालिक, साहूकार और बिचौलियों ही फायदा उठा रहे हैं बुनकर परेशान है । मिल मालिक, साहूकार और बिचौलिये अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। टैरिफ कमेटी में बुनकरों का कोई नुमाइंदा नहीं है जिससे रुई के दामों का पता नहीं चल पाता है । जिस तरह से खादी के दामों में कमी करने के लिये सूत पर बुनकरों को सब्सिडी दी जाती है उस तरह का कोई कार्यक्रम इन्होंने निर्धारित नहीं किया है । इसी तरह से जो इनके हैंडलूम कारपोरेशन के एम0 डी0 हैं वही हैंडलूम के डायरेक्टर भी हैं । इसकी वजह से बुनकरों की हकतलफी होती है । जो भारत सरकार से अनुदान मिलता है वह बुनकरों को नहीं मिलता बल्कि जो बुनकरों की सोसायटी को शोरूम खोलने के लिए 50 हजार मिलता है । 50 हजार में से 25 हजार रुपये रिबेट होती है और 25 हजार कर्ज होता है । सोसायटी के बनाये गये माल की बिक्री पर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सब्सिडी नहीं मिलती है । उत्तर प्रदेश सरकार का जो हथकरघा कारपोरेशन है वह भारत सरकार से सब्सिडी ले लेता है और उसको बुनकरों को न देकर निगम को प्राफिट में लाने के लिये दे देता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि एम0 डी0 और डायरेक्टर को अलग-अलग होना चाहिये ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेनी प्रसाद वर्मा पीठासीन हुए)

इसी के साथ-साथ मान्यवर, कानपुर में जो सोसाइटियों की जांच करने में उत्पीड़न हो रहा है। सरकार इस तरह से उसकी जांच करा रही है कि जैसे कि पूरे प्रदेश के बुनकर बेईमान हों। मान्यवर, उनके घरों में पुलिस घुस जाती है, उनकी बेइज्जती करती है । एफ0 आई0 आर0 लिखाने का कोई अधिकार उस अफसर का नहीं है, जो अफसर जांच करता है, वही रिपोर्ट करता है, वही एफ0 आई0 आर0 लिखाता है, वही उसकी जांच करता है यह उचित नहीं है । क्या रिपोर्ट लिखाने से पूर्व विभागीय जांच कराई गई ? विभागीय कोई जांच नहीं करायी गयी, सीधे-सीधे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी, मुकदमा कायम करा दिया गया । कुछ बुनकरों से कागजात मांगे गए, जैसे ही वे कागजात ले करके गए, मालूम हुआ कि कागजात देखने

से पहले, जांच होने से पहले उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी गयी है और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है जबकि पहले जांच होनी चाहिए, तब अगर जांच में कुछ मिलता, तो एफ0 आई0 आर0 लाज करा देते । इस तरह से क्या सहकारिता अनुसंधान का एफ0 आई0 आर0 लिखाने का कोई अधिकार है ? मुझे निश्चित जानकारी है कि उन्हें एफ0 आई0 आर0 लिखाने का कोई अधिकार नहीं है ।

इस तरह से सूखे का बहाना लेकर सूखे की दुहाई देने वाली सरकार बुनकरों को क्या दे रही है ? आज तक बुनकरों को राहत के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया । मेरा सुझाव है कि सरकार एक अरब रुपये से बुनकरों के वास्ते कच्चा माल खरीद कर कम दामों पर उन्हें उपलब्ध करावे, जिस तरह से किसानों को कीट नाशक दवाइयों पर, खाद की बोरियों पर दाम कम करके दिया जाता है, उसी तरह से दाम कम करके यह सरकार सहकारी और सरकारी डिपो के माध्यम से बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करावे । काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सूती धागा बना कर विदेश भेज दिया, जबकि उसका काम यह है कि वह अपने पास रखे और जब कच्चे माल की क्राइसेज हो, तो उसे उपलब्ध करावे, बुनकरों को न देकर विदेश भेजना बुनकरों के साथ सरासर जुल्म है। सरकार एक तरफ कहती है कि सूखे में रुई कम पैदा हुई, दूसरी ओर अपनी गलत नीतियों से रुई तथा सूती धागा विदेश भेज रही है। यह सरकार का सबसे बड़ा निकम्मापन है।

जब रुई कम पैदा हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि यह रुई बाहर से मंगा कर एक्सपोर्ट करके सूती मिलों को उपलब्ध करावे, ताकि मिल रुई के कारण बन्द न हों । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अभी खड़े होकर घोषणा करेंगे कि रुई तथा सूती धागा विदेश नहीं भेजा जायगा । कानपुर में जो उत्पीड़न बुनकरों की सहकारी समितियों की जांच में हो रहा है, उसे तुरन्त वापस लेकर विभाग द्वारा जांच करायेंगे । यदि कोई फर्जी मामला मिलता है, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करें, लेकिन सभी समितियों को बेईमान या गलत न समझा जाय । कारपोरेशन बुनकरों का तैयार माल सब नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी कुल पूंजी 45 लाख है और बुनकर 90 लाख हैं । कच्चा माल, रंग, केमिकल, रेशम, स्टेपल और सूत के दाम में बेतहाशा बढ़ोत्तरी ने कमर तोड़ दी है। इससे बुनकर केन्द्र जहां पर हैण्डलूम और पावरलूम के चलने से हर वक्त झन्कार सी पैदा होती थी, अब वहां उदासी, सन्नाटा और बेकारी की छाया छाई हुई है । कच्चे माल पर 70 प्रतिशत तक दाम बढ़े हैं, मगर तैयार माल पर उतने दाम नहीं बढ़े हैं । शायद ही किसी देश में या किसी प्रदेश में दस्तकारों और फनकारों और हुनरमंदों के साथ ऐसा जुर्म होता होगा, जो हमारे प्रदेश में हो रहा है ।

यहां तो जब-जब बुनकरों की भूख बढ़ती है, तब तक साहूकारों की दौलत बढ़ती है, क्योंकि हुकूमत ने इसको रोकने का कोई वसूल नहीं बनाया है । अगर इस सनाअत को बाकी रखना है, तो इसे तरक्की देकर इसमें लगे करोड़ों बुनकरों को रोजगार की जमानत देनी होगी । मेरी मांग है कि रुई तथा सूती धागे के दाम एक वर्ष के लिए निश्चित किए जायं , जिस तरह से सरकार गन्ने का दाम तय करती है, गेहूं का दाम तय करती है। अन्य चीजों के दाम तय करती है, ठीक उसी तरह से

रुई के दाम भी तय करें, ताकि जो इनकी सहकारी व सरकारी कताई मिलें हैं, जो सुबह दाम कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, इस पर रोक लग सके ।

अगर इस सनाअत को जिन्दा रखना है तो आहिस्ता-आहिस्ता हैण्डलूम, पावर-लूम और मिल की बनाई हुई चीजों के टकराव को रोकना होगा और इसे लाभकारी बनाना होगा । हैण्डलूम और पावरलूम तथा मिल सेक्टर के लिए अलग-अलग मैदान का निश्चय करना होगा जो हथकरघे पर बन सकता है वह पावरलूम न बनावे, जो पावर-लूम पर बन सकता है वह मिल न बनावे । । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अभी यह घोषणा करेंगे कि मिल में कम से कम 6 महीने तक दाम लगातार एक रहेंगे और घटाये बढ़ाये नहीं जायेंगे जो तय किया जायेगा वही कई माह तक लागू रहेगा । मान्यवर, इसी के साथ-साथ कहना चाहता हूं कि हैण्डलूम और पावरलूम को अलग-अलग माना जाता है, जबकि पावरलूम में धागे से लेकर कपड़ा बनाने तक तथा स्पैन्डिल बनाने तक 95 प्रतिशत काम हाथ से होता है और 5 प्रतिशत काम केवल कपड़ा बुनने का बिजली से होता है लेकिन उन्हें हथकरघा की तरह छूट नहीं दी जाती । मान्यवर, जिस तरह से किसान पहले अपने सिंचाई के साधन हाथों द्वारा करता था, बैलों द्वारा करता था लेकिन अब वह सिंचाई, बुवाई और जुताई ट्रैक्टर, मशीन एवं बिजली के ट्यूबवेल के द्वारा करता है तो क्या उसे किसान नहीं कहा जायेगा उसे तो किसान ही मानकर किसानों की तरह छूट दी जाती है इसी तरह से बुनकरों को भी हथकरघा की तरह पावरलूम बुनकरों को भी छूट दी जानी चाहिए । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक कमेटी की नाममात्र घोषणा कर दी गयी है, उसमें कोई बुनकर नहीं है और न उनको कोई बुनकरों के कार्यों के बारे में जानकारी है । केवल बुनकरों की खानापूरी करते हुए उनको नामजद किया गया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि रेट सब्सीडाइज करने की कमेटी बनायी जाय ताकि वह दाम मुकर्रर करें । मान्यवर, हैण्डलूम, पावरलूम सप्लाई एथारिटी कायम की जाय जिसके मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हों और इस सदन के सदस्य उसके सदस्य हों ताकि बुनकरों की समस्याओं का निवारण किया जा सके । मान्यवर, आज प्रदेश की सरकार यह कहती है कि हमने रिकवरी रोक दी है । सीतापुर, कानपुर और कुछ जगहों पर ऐसे बुनकर हैं जिन्होंने 3 वर्षों के और 7 वर्षों के किस्तों की अदायगी का अनुबन्ध करके यू0 पी0 फाइनेन्स कारपोरेशन से, उद्योग विभाग से कर्जा लिया था । आज उस अनुबन्ध को कैंसिल करके सारे धन को एक साथ मांगकर बुनकरों का उत्पीड़न किया जा रहा है उन्हें जेलों में बन्द किया जा रहा है। मैं बार-बार सदन में मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं कि जिस तरह से 3 साल और 7 साल की अदायगी थी उसी तरह से किश्तों पर बुनकरों से ऋण की वसूलयावी की जानी चाहिए । मान्यवर, एक तरफ सरकार यह कहती है कि उनकी किश्तें रेगुलर नहीं आयीं इसलिए अनुबन्ध टूट गया। मान्यवर, बुनकर के पास जब इतना पैसा नहीं है कि वह बराबर किश्तें दे सके तो वह सारा पैसा एक साथ कैसे दे सकता है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवे-दन करना चाहता हूं कि जिस तरह से उनका अनुबन्ध किया गया था उस अनुबन्ध के अनुसार किश्तों में बुनकरों के पैसों की वसूलयावी की जानी चाहिए और हो रही वसूल-यावी तुरन्त रोकी जाय । मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अभी जब उत्तर देंगे

तो इस बात की घोषणा करेंगे कि पूरे प्रदेश में बुनकरों के एग्रीमेन्ट के विपरीत जो वसूलयाबी हो रही है उसको रोका जायेगा और उनका उत्पीड़न नहीं किया जायेगा । मान्यवर, आज तमाम जगहों पर बुनकर वसूलयाबी के लिए बन्द हैं और विभिन्न जिलों में बुनकर आन्दोलन पर हैं ।

मान्यवर, आज बुनकर ईंट और पत्थर तोड़ने पर मजबूर हैं और वह बेरोजगार हो गया है, वह भुखमरी की कगार पर है और वह दूसरे प्रदेशों में जा रहा है इससे बढ़कर और ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए और क्या होगी । यही बुनकर अगर दूसरे प्रदेश या देश के लिए मुहैया हो जायं तो वह उनको सर पर बैठा लेंगे और उनका सम्मान करेंगे लेकिन हमारे यहां के बुनकर आज अपने ही मुल्क में बेइज्जत हो और पेट भर रोटी नहीं पाता है । आज 40 वर्ष की आजादी के बाद भी उनको क्या मिला है नंगे पांव का सफर, बेछत का मकान, गुरुवत, लाचारी और भुखमरी । मान्यवर, इस कांग्रेस के जमाने में सिर्फ हरामखोरों के लिए यहां कार और बंगला है और तमाम ऐशोआराम की सहूलियत मुहैया है । मान्यवर, यहां पर जिस वक्त अंग्रेज आया था तो उसने बुनकरों के अंगूठे काट दिये थे क्योंकि वह इतना अच्छा मलमल तैयार करते थे । अंग्रेजों ने समझा कि इतना अच्छा कपड़ा इंटरनेशनल मार्केट में मशहूर हो जायेगा और उससे उनके कपड़े के दाम में गिरावट आ जायेगी । इसलिए उनके अंगूठे कटवा लिये थे लेकिन अफसोस है कि आज सरकार ने बुनकरों का पेट कटवा दिया है। मान्यवर, हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटियां जितनी इनके समय में दिवालिया हुई हैं आज तक 40 वर्षों में कभी भी उतनी दिवालिया नहीं हुई है। टाण्डा, फैजाबाद, मऊ और मुबारकपुर में पावरलूम बन्द हैं । पूरे प्रदेश में हथकरघा जितना इस समय बन्द है उतना कभी भी बन्द नहीं रहा है ।

मान्यवर, आज यूपिका में हैण्डलूम कारपोरेशन में इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट घसोट हो रही है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती । अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक बात यूपिका के बारे में कही थी । यूपिका में फर्जी बिलिंग करके 2 करोड़ 38 लाख रुपये भारत सरकार से सब्सिडी का लेकर उसका गबन कर रही है और यहां पर सरकार के आश्वासन के बाद भी फर्जी बिलिंग हो रही है, रातदिन एक घंटे में लाखों का गबन किया जा रहा है । इसमें चेयरमैन मिले हुए हैं, एम0 डी0 मिले हुए हैं, कुछ सेंटरों के इंचार्ज मिले हुए हैं, ट्रान्सपोर्ट वाले और कैलेंडरिंग वाले मिले हुए हैं और फर्जी बिलिंग कर रहे हैं । एक करोड 17 लाख रुपया 20 मार्च को मिला और बिना इसे उपयोग किये गैर कानूनी ढंग से दूसरी किश्त 29 मार्च को एक करोड़ 21 लाख रुपया और ले लिया और कुल 2 करोड़ 38 लाख रुपये की सब्सिडी का वितरण फर्जी किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार से . . . .

मान्यवर, जितनी मार्च में यूपिका ने खरीदारी की है उसकी जांच कराई जानी चाहिये । उसके सारे खातों को सील करना चाहिये और उसके बाद जांच कराई जाय । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर उत्तर देते समय जो सोसाइटियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनकी जांच के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको वापस लेने की घोषणा माननीय मंत्री जी जनहित में करेंगे और सूत के रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी की घोषणा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप कुछ बोलेंगे।

*उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार हुसैन अंसारी)–

मान्यवर, यह एक घंटे की चर्चा है, बाद में बोल लूंगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, पहले थोड़ी सी परिस्थितियां बता देंगे तो बाद में चर्चा जारी रहेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियमों को देख लें । यह नियम 49 की चर्चा नहीं है, एक घंटे की चर्चा है। इसमें आप पहले माननीय सदस्यों को सुन लें, फिर मंत्री जी बोल लेंगे । नियम 49 में पहले मंत्री बोलते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जब चर्चा नियम 54 के अन्तर्गत होती है तो मंत्री जी संक्षेप में पहले कोई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री फजलुल बारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर माननीय मंत्री जी से 5 मिनट बुलवा दें तो हमको यह फायदा होगा कि हमें कुछ प्वाइन्ट्स मिल जायेंगे और अपनी चर्चा में हम उनको ध्यान में रख सकेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बाद में बोल देंगे।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, पहले माननीय मंत्री जी को बुलवा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का बोलना अनिवार्य नहीं है। यह अंत में उत्तर देना चाहें तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता । इसलिये चर्चा शुरू की जाती है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हम तो आपको बाध्य कर रहे हैं। आप बुलवा दें।

*श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, आपने मुझे बुनकरों की समस्या पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । बुनकरों की समस्या के सम्बन्ध में सरकार से जो जवाब मिला है, आज वाकई में बुनकर परेशान हैं । कोई ऐसा जिला पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में पूरे सूबे में बाकी नहीं है, जहां बुनकर परेशान न हो । क्योंकि सूत इतना मंहगा हो गया है और उसके आधार पर रुई मंहगी है । दोनों की महंगाई से बुनकर परेशान हैं । सरकार का काम है कि उस परेशानी को दूर करे । मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सूत के रेट निर्धारित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा रुई बाहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से मंगाई जाय ताकि सूत सस्ता हो। उस समय मिलों को नुकसान हो तो सब्सिडी दिलाई जाय ताकि बुनकर को सस्ता सूत मिले । इस समय सूत के रेट निर्धारित करना कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि सूत के रेट आसमान पर पहुंच रहे हैं । जैसा कि बुनियाद हुसैन अंसारी साहब ने कहा कि 6 महीने के लिये सूत के रेट तय किये जायं, मैं यह मुनासिब नहीं समझता । क्योंकि सूत रेट 20–30 रुपये क्विंटल कम होना चाहिये, ताकि बुनकर अपना काम चला सके । इसी के साथ-साथ एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अलग हैण्डलूम डायरेक्ट्रेट बनाया जाय । दूसरी बात बुनकर सोसाइटियों के लिये सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की बात, यह बहुत तकलीफदेह बात है । लेकिन परेशानी यह है कि पिछले साल कहा गया कि सी0 आई0 डी0 जांच कराई जाय । मा0 मुख्य मंत्री जी विभागीय जांच चाहते थे ताकि सही जांच हो लेकिन मुखालिफ बेंचों से धरना देने की धमकी दी गयी । और यहां कहा गया कि जब तक सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी नहीं करायी जायेगी, हम चैन से नहीं बैठने देंगे । अगर सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी करायी जाती है तो इसकी जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, बुनकरों के अलावा, सबकी उसमें जांच करायी जाय । नहीं तो बुनकरों की सोसाइटीज की विभागीय कार्यवाही की जो बात है, वह करायी जाय ।

मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कंट्रोल क्लाथ मिलों से बनवाया जा रहा है, उसमें डेढ़ सौ करोड़ रु0 सबसिडी दी जाती है। अगर वह क्लाथ मिलों में न बनवाकर, हैण्डलूम और पावरलूम से कराया जाय और जो डेढ़ सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है उसमें 50 करोड़ रुपये खर्च कर दिया जाय, तो उससे हमारी गवर्नमेंट को भी फायदा पहुंचेगा और हमारे बुनकरों की भी स्थिति अच्छी होगी । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बुनकरों का पैसा जो यूपिका पर बकाया है, वह पैसा तुरन्त दिलवाया जाय। मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि बुनकरों को पावरलूम और हैण्डलूम के लिए जो बिजली दी जाती है, जिस तरह से किसानों को बिजली में छूट है, उसी तरह की छूट पावर-लूम और हैण्डलूम चलाने वालों को भी दी जाय ताकि उन्हें राहत मिले और बुनकर आसानी से जिन्दगी गुजर-बसर कर सकें । इस वक्त सरकार इस तरफ अपनी तवज्जो दे रही है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ायी है। मान्यवर, हमारे यहां जो जनता धोती बन रही है वह पहले साढ़े चौंतीस रुपये में खरीदी जाती थी, अब वह साढ़े चौवालीस रुपये में खरीदी जाती है, इसमें बुनकरों को कुछ आसानी हो रही है। मान्यवर, मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि सूत के दाम में कम से कम 20 से 30 रुपये का फर्क लाया जाय, ताकि बुनकर सही तरह से अपना कामकाज कर सकें । माननीय वीर बहादुर सिंह जी इस सिलसिले में जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी ताईद करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी साहब ने, इस सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप बुनकरों के समक्ष जो भयावह स्थिति है, उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चित्रण किया । मान्यवर, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, उस इलाके में बहुत तादाद में बुनकर भाई हैं, जो गाढ़े का काम करते हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि चौराहों पर सुबह जब निकलते हैं, तो जहां मजदूर लोग मिलते हैं, जिन लोगों ने रतौनगाढ़ा बेचकर, उत्तर भारत में नाम रोशन किया था। आज वे लोग मकान की मरम्मत करने वाले और पुताई करने वाले मजदूरों की लाइनों में खड़े मिलते हैं। मजदूरी के लिये खड़े मिलते हैं।

मान्यवर, एक कहावत कही जाती है—दुल्हा नंगा और बारात सजी-धजी । मान्यवर, इस क्षेत्र में जो आढ़ती होंगे, उनकी शायद कोठियां बन गयी होंगी, लेकिन जो बुनकर हैं, उनकी हालत खराब है। हमारे यहां रहीमाबाद, चिरवारा आदि जगहें हैं, जहां कभी रंगीन पानी बहता दिखायी देता था, आज वहां सब जगह सन्नाटा दिखायी देता है। कारण एक है, इनको सूत जो पहले मिला करता था, वह मंहगा हो गया है। आप देखें सूत कितना महंगा हो गया है ? आज सरकार सबसिडाइज रेट पर बुनकरों को सूत दे और इनके उत्पाद की चीजों की मार्केटिंग की सही व्यवस्था करे, तभी बुनकरों का उत्थान होगा । जो खादी है, मान्यवर, उसके साथ भावनात्मक संबंध है, उसके लिए सब्सिडी दी जाती है लेकिन खादी के बराबर ही उसको भी अहमियत दी जानी चाहिए, यह व्यवस्था बुनियाद हुसैन साहब ने भी दी । आज एक ही बात करने की जरूरत है कि जो वर्ष 1986 में कीमतें थीं, उसी पर आप कीमत ला दीजिये और इसके लिए जिलाधिकारियों को आदेश दें कि जहां पर डिपो हैं, वहां पर इसका सत्यापन हो । मान्यवर, हमारे यहां लहरपुर में डिपो है और माननीय मंत्री जी 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी कभी डिपो का मुआयना करके देखें, वहां तमाम गड़बड़ियां चल रही हैं। माल पहुंचता नहीं है और जिस भाव वहां से सूत दिया भी जाता है, उससे सस्ता तो बाजार में मिल जायेगा। मान्यवर, इस संबंध में आपके माध्यम से बात हुई थी, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका ।

इसी तरह मान्यवर, महमूदाबाद में अच्छा सूत तैयार किया जाता है, लेकिन उस सूत को विदेशों में भेज दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि इसको आप विदेश जाने से रोकें और सीतापुर में एक डिपो खोलें, जहां से बुनकरों को सूत उपलब्ध हो । मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक सीतापुर में डिपो नहीं खोला गया । इस संबंध में मैं 31 तारीख को जिलाधिकारी से भी मिला । हमारी पार्टी की तरफ से भी बुनकर दिवस मनाया गया । जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा कि बातों से क्या होगा । हमने कहा कि डिपो खुलना चाहिए और सस्ता सूत बुनकरों को मिलना चाहिए । साथ ही बुनकरों की समस्या का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए । आज एक तरफ हमारे बुनकर भाई हैं, दूसरी तरफ पावर लूम है, और तीसरी तरफ हैन्डलूम है। मान्यवर, इन तीनों में ही ओवरलैपिंग है।

मान्यवर, सब जानते हैं कि मिल का माल अच्छा होगा । आज आवश्यकता इस बात की है और जनता पार्टी के समय में कहा भी गया था कि तीनों का क्षेत्र विभाजन होना चाहिए । मान्यवर, जब इनमें कम्प्टीशन होगा, तभी वास्तव में

स्थाई रूप से इनका हल होगा। इसी तरह कर्जे दिए गए, आज हमारे बुनकर कर्जा अदा करने की स्थिति में नहीं हैं और आप उन पर प्रताड़ना की कार्यवाही कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुरादाबाद में दंगा हुआ था, वहां पर जो हमारे गरीब भाई थे, वह बरबाद हो गये। बाद में मान्यवर, जो उनको कर्जा दिया गया था, उन कर्जों को सरकार ने अनुदान के रूप में बदल दिया। आज बुनकरों के साथ भी यही नीति अपनाये जाने की जरूरत है, उनके भी जो कर्जे हैं, उनको भी इस सरकार को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। आज चाहे इधर के लोग हों, या उधर के लोग हों, सभी जानते हैं कि हमारे बुनकर सरकार की नीति के कारण बरबाद हो रहे हैं। । सरकार रेशम आयात नहीं कर पाती है, सूत उपलब्ध नहीं करा पाती है। जैसा मुरादाबाद के मामले में किया गया है, वैसा ही इन बुनकरों के साथ भी किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो माल आता है, अगर आप उसका सत्यापन करवा कर बंटवायें, तो स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इसी तरह शासन के द्वारा जो राहत दी जाती है, वह राहत सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है और बिचौलिये लोग उसको ले लेते हैं। तो मान्यवर, इस तरह सरकार रुपया खर्च करती रहेगी, लेकिन सही आदमी को राहत नहीं मिल पायेगी। मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कानपुर का मामला उठाया था। इस संबंध में मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि दुल्हा नंगा है और बराती सजे-धजे घूम रहे हैं। मान्यवर, आज बुनकरों के नाम फर्जी सहकारी समितियां बनी हुई हैं, और शासन के पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। मान्यवर, ऐसी सहकारी समितियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जरूर से की जानी चाहिए और मान्यवर, जो सही बुनकर हैं, उन्हें सब प्रकार से समुचित मात्रा में राहत दी जानी चाहिए। मान्यवर, आज सूत का सवाल है, राहत देने का सवाल है, इन सब चीजों को करना होगा। अन्त में मैं भदोही, वाराणसी के संबंध में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर समझौता हो गया। समझौता हुआ होगा, लेकिन क्या समझौता हुआ यह मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि वहां पर मजदूरों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और आन्दोलन किया, सत्याग्रह भी किया। लेकिन आपने उन लोगों पर फर्जी मुकदमें चला दिए हैं, वह मुकदमें वापस लिये जाने चाहिये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना आन्दोलन कोई हिंसा की दृष्टि से नहीं किया, उनके सामने प्रतिशोध की ज्वाला थी, उनको वेतन नहीं मिल रहा था। मान्यवर, वहां पर समझौते के तहत मजदूरों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक वह मजदूर हैं, जिनको आप मजदूरी देते हैं, 6 महीने के बाद भत्ते भी देते हैं और दूसरी तरफ एक मजदूर हैं, जो लोग अपने घर सूत ले जाते हैं और दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनको सही तरीके से पैसा नहीं दिया जाता है। इस समझौते में भी आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करें। आज उनकी स्थिति को

देखते हुए सूत पर जो बिक्री कर है, उसे समाप्त कर दिया जाय । दूसरी बात है प्राथमिकता देने की । सदन में मैंने सुना, किसानों को राहत देने की घोषणायें की गईं, लेकिन किया कुछ नहीं जाता है । यदि आप में बुनकरों के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी है, तो आप 1986 में जो सूत का दाम था, उस रेट पर आप उन्हें दिलवायें, उनकी सब्सिडी व कमीशन बढ़ायें। मार्केटिंग की व्यवस्था करायी जाय, तभी इन कुटीर उद्योगों का उत्थान हो सकेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रत्येक सदस्य केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आज जिस हालत से हमारे बुनकर बिरादरी के भाई गुजर रहे हैं, उनके मसले पर बोलने का मौका दिया । यह पूरे प्रदेश का मामला है और वे दस्तकार और फंकार जो सूत से कपड़ा बनाकर हमारे मुल्क के अन्दर ही उसकी खपत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज हमारे सामने यह मामला है कि किस तरह से उनकी समस्याओं को हल किया जाय । एक तो यह हो सकता है कि हमने सूत का सही इन्तजाम नहीं किया या फिर सही वक्त पर हम सूत नहीं मंगा सके ।

माननवर, हमारे प्रदेश में दो चीजें ऐसी हैं, जिन पर करोड़ों करोड़ रुपए हम दूसरे सूबों को भेजते हैं । जैसे चीज हमारे यहां नहीं होती है और उसके दस्तकार हमारे यहां है जैसे बीड़ी हमारे यहां बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन तम्बाकू दूसरे प्रदेशों से हमें मंगवाना पड़ती है। उसी प्रकार हमारे यहां रुई कम पैदा होती है, लेकिन इसके तमाम कारखाने हमारे यहां हैं और बन भी रहे हैं। जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अन्य क्राप्स की ओर ध्यान दे रहा है, क्या हमारी सरकार ने इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डिपार्टमेंट को लिखा है? क्या यह कभी जानने की कोशिश की गई कि कितनी रुई हमारे यहां पैदा होती है और कहां-कहां रुई पैदा की जा सकती है? इसे जानने की कभी कोशिश की गयी? आज इस ओर ध्यान देने की जरूरत है । यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि भविष्य में रुई के अभाव में हमारे सूत के कारखाने बंद न हो जाय ? इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि इस स्थिति का सामना करने के लिये माननीय सदस्यों को सुझाव देने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

3.20 पर चर्चा समाप्त होगी, बोलने वाले सदस्य बहुत हैं, अब आप समाप्त करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं, हमारी जो बुनकर बिरादरी है, हमारे बुनकर भाइयों की जो दिक्कतें हैं, उसमें अपने आप को सम्मिलित करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर आज सूत कम है और बाहर से मंगाना हो तो उसकी व्यवस्था में कमी न की जाय । यह जो सबसिडी का मामला है, जो सोसाइटीज चल रही हैं, जैसा अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कह रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे, मैं उनसे सहमत हूं कि ऐसी तमाम सोसाइटियां जो कारोबार करती हैं, अगर घोटाला करती हैं, तो उनको बन्द कर देना चाहिए, लेकिन "जीनुइन" सोसाइटीज को अलग कर लेना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि समस्या का मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत है, जिसके लिए सियासी जरूरतों से ऊपर उठकर ही कोई बात सोची जा सकती है ।

श्री फजलुल बारी–

सब लोग अपनी चिन्ता वक्त कर रहे हैं कि बड़ा गम्भीर मसला है । मैं समझता हूं कि इस मसले का कोई निदान इस सरकार के रहते हुए मुमकिन नहीं है क्योंकि यह प्राब्लम इसी सरकार की पैदा की हुई है। भारत के जो बड़े-बड़े बिजनेस कन्सर्न हैं "रिलायन्स" वगैरह । यह नीति इसीलिये अपनायी गयी है ताकि उनको फायदा हो और वे इलेक्शन में चन्दा दे सकें । एक बात आई कि रुई नहीं हुई, कपास की पैदावार घटी, तो यह शोकड़े तो जुलाई से आने शुरू हो गये थे। नवम्बर के महीने में आखिरी पिकिंग होती है, कपास की। नवम्बर में सरकार को मालूम हो गया था कि कपास कम है । अगर ये बुनकरों के शुभचिन्तक थे तो एक काम करना चाहिए था कि ये दुनिया के देशों में देखते जहां कपास सस्ती होती वहां से मंगवाते । लेकिन ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं । अंग्रेज सारी रुई इंग्लैंड भिजवा देते थे और वहां से कपड़ा बनवाकर मंगवाते थे जो कि मनमाने दामों पर बिकता था । यहां उन्होंने रेशम का कारोबार तक बन्द करा दिया था। मानचेस्टर में ढांके को फांसी मिली, बनारस की सिनअत को नीद आ गयी । कांग्रेस की सरकार भी यही काम कर रही है । उन्होंने सूत निर्यात कर दिया, कपास कम पैदा हुई । अब जनता धोती का मामला लीजिए। इनको 2.75 रु0 प्रति मीटर सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट से सब्सिडी मिलती है। 11 मीटर पर सब्सिडी हुई 30.25 रु0 बनी हुई धोती, जिसको खरीदने के लिए 441 रु0 की बात करते हैं उसमें दो तरह का सूत लगता है, एक ताना और दूसरा बाना, 40 नम्बर और 30 नम्बर का ताना-बाना लगा, 2 बण्डल और 3 बण्डल मिलाकर 27 जोड़ा धोती बनेगी, बण्डल का दाम 965.50 रु0 हुआ, 56 रु0 माड़ी, भराई, तनाई और गठुआ का दाम हो गया, किनारी का 10 रु0 हो गया । इसके अलावा फन्नी की घिसाई आदि में तकरीबन 13 रु0 खर्च होता है तो इस तरह से रु0 1044.10 पैसे आया । इसका टोटल दाम बुनकर को मिला 1188 रुपया । बुनकर को बीस दिन की मजदूरी हुई रु0 128.90 पैसा । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा मिनिमम वेजेज एक्ट है जिसके अंतर्गत सरकार ने 44 रु0 धोती का दाम देने के लिए एलान किया है? मैं कहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो इनको सबसिडी देने के लिए पैसा मिलता है वह रु0 30 मिलता है और आप उसे केवल 44 रु0 देकर आप समझते हैं कि आप उसे पैसे का पेमेन्ट कर रहे हैं। ये धोती को 29 रु0 में बनवाते हैं, कहते हैं कि हमने 15 रु0 धोती में खर्चा किये जबकि असलियत यह है कि ये 16 रु0 प्रति धोती कमाते हैं ।

मान्यवर, अभी लाल बत्ती न जलाइये । यह बहुत अहम् मसला है। इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया है। इस पर मैं इनका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो इनको बुनकरों के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो सबसीडी मिलती है उसमें से ये कितना बुनकरों

को देते हैं और उसमें से कितना अपने लूटने और चाटने के लिए रख लेते हैं । इनको करना यह चाहिए कि जैसे कि जनता पार्टी की सरकार के समय किया गया था कि किस्में अलग कर दी जायं कि धोती, लुंगी, साड़ी आदि पावरलूम नहीं बना सकते हैं। इसके लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा, हैण्डलूम को बचाने के लिए तरकीब सोचनी पड़ेगी । आज उत्तर प्रदेश में 50 लाख बुनकर भुखमरी के कगार पर आ गया है और ये कहते हैं कि इसको राजनीतिक मसला न बनाइये, जबकि इन्होंने इसे राजनीतिक मसला बना कर ही इसे नष्ट करके रख दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया । मान्यवर, मैं इस चर्चा को बड़ी देर से सुन रहा था और वह चेहरे साफ नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस हिन्दुस्तान को आजादी के बाद हमेशा बुनकरों को अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा है । लेकिन हिन्दुस्तान का बुनकर जो कि राजनैतिक सोच रखता है, कौमी नजरिया रखता है, इनके बहकावे में, इनकी राजनीति में नहीं आया । अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनका नजरिया हिमायती कहा जाय जो कि हिन्दुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार थे । अभी एक सदस्य ने मुझे करोड़पति कहा, मैं जानता हूं कि वह इसलिए कि उन लोगों के बहकावे में यह कौम नहीं आयी । आज मौका है, सारी स्थिति चेहरे से दरामद होती है कि उसमें हमदर्दी के साथ, संजीदगी के साथ इस नजरिये से पेश किया जाना चाहिए जिससे बुनकर के मसायल हल हों ।

लेकिन मैं तकरीरों में खुलासा देख रहा हूं कि इसमें खुशबू नजर आ रही है, इसमें बदबू नजर आ रही है कि जो हमेशा बुनकरों का शोषण करते रहे हैं और आज सदन में उनकी मिसाल देकर मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए दूसरों की हमदर्दी लेने का बायस बनते हैं ।

अभी यहां पर यूपिका, कानपुर के बारे में बहुत इल्जाम लगाये गये और कहा गया कि यूपिका के बुनकरों को सहूलियत मिलनी चाहिए क्योंकि उसको कम फायदा पहुंचा है और जैसा कि इस पक्ष के लोगों ने भी यूपिका के बारे में कहा कि इससे आम बुनकरों व अन्य लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है, लेकिन इसमें बिचौलियों के हौसलों को कम किया जाए तो इससे और ज्यादा फायदा इन बुनकरों को पहुंच सकता है । मान्यवर, प्रतिशत बढ़े हुए सूत के दामों के बावजूद यूपिका द्वारा जो सूत पहले से खरीदा हुआ पड़ा था, उसी पुराने दरों पर इन बुनकरों को दिया गया है। मान्यवर, अब देखने की बात यह है कि हमारे यू0 पी0 में कहां-कहां रुई अधिक पैदा होती है या कहां पर अधिक से अधिक पैदा की जा सकती है जैसा कि अभी माननीय जाहिदी साहब ने कहा इसी संबंध में मैं भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि रुई की पैदावार अपने ही सूबे में अधिक से अधिक की जाए जिससे कम कीमत में इन्हें रुई उपलब्ध कराई जा सके और यह आगे बढ़ सकें । इसलिए इनके इस मसले में हम सभी लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलकर चाहें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के संजीदगी से सोचें और एक ही नजरियात को सामने रखकर इनके मामले को हल करें तभी इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सकता है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, यह मामला अधिकतर फैजाबाद, मेरठ और गोरखपुर से संबंधित है, इसलिए इधर के सभी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहेंगे, इसलिए कुछ समय और बढ़ा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

3·20 तक यह चर्चा निर्धारित है, तब तक हम कोशिश करेंगे कि सभी माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बुनकरों की समस्या पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बुनकरों के सामने जो गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है और जिससे प्रभावित होकर पूरे प्रदेश के लाखों बुनकरों के लिए आज जिन्दा रहने का प्रश्न उपस्थित हो गया है और खासतौर से कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, आजमगढ़ व फैजाबाद आदि जैसे जनपद हैं, जहां बुनकरों की बहुतायत है जो हथकरघा और पावर लूम से कपड़ा बनाते हैं और जिससे वे अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। यह समस्या जो उत्पन्न हुई मान्यवर, एक तो सूत के दामों में भारी बढ़ोत्तरी और दूसरी इस सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है । इसी गलत नीति की वजह से मान्यवर, कई फर्जी सोसाइटियों ने जन्म लिया, लेकिन इन गलत सोसाइटियों की वजह से सही सोसाइटियां जो थीं, वह भी सब बन्द कर दी गयीं, जिससे और भी कई अहम समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं और सरकार से जो इन्हें सब्सीडी मिलती थी वह भी बंद हो गयी, इसलिए इस मामले में तुरन्त जांच कराकर फर्जी सहकारी समितियों को बंद कर असली समितियों को तुरन्त बहाल किया जाए ।

जहां तक यूपिका का ताल्लुक है, इस संबंध में भाई बुनियाद अंसारी साहब ने तमाम तथ्यों को आपके सामने, सदन के सामने रखा है और मैं इस संबंध में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे काफी लोगों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह सुझाव दूंगा कि इसमें हो रहे शोषण व फैले हुए समस्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी जांच कराई जाए और जो फर्जी लोग इसमें घुस आए हैं, उनको हटाया जाय और सही लोगों को रखा जाए ताकि इन सही लोगों का जो बिल्कुल काम काज ठप हो गया है, फिर उनको वही सुविधाएं मिल सकें और सस्ता सूत मिल सके जिस तरह से भी प्रयास हो, वह किया जाये, जिससे बुनकरों की जो रोटी रोजी का सवाल है, जो उनकी समस्या है, वह दूर हो सके ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मैं, आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अहम् मसले पर बोलने पर मुझे मौका दिया । हमारे साथी ने कहा कि कमीशन लिया है, अगर वह अपने आप में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

झांक कर देखें तो पता चल जायेगा कि वह कितना निराधार बोल रहे हैं । जहां तक बुनकरों की समस्या है, वह किसी न किसी कारण से है, रुई नहीं है इस कारण से भी यह समस्या है । जहां तक सरकार की नीति है और सरकार का विचार है, वह बिलकुल साफ है और जितना दर्द आप लोगों का बुनकरों के प्रति है, उससे कम हमको नहीं है । सरकार उस काम को कर रही है और सरकार के सामने जिम्मेदारी है और वह इस काम को जिम्मेदारी से पूरा करना चाहती है । यूपिका से मेरा संबंध है और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यूपिका के बारे में जो भी कहा गया है, वह सत्य से परे है और निराधार है । यूपिका में बुनकरों का शोषण नहीं हो रहा है । मैं कह रही हूं, जरा इस बात को देखें कि यूपिका के बारे में कहा गया कि 56 सोसाइटियां थीं जो फर्जी है और इसी सदन में कहा गया और सुना गया, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की गयी और मैंने जब निकल कर बाहर देखा तो पाया कि यूपिका में केवल 6 सोसाइटियां थीं 56 नहीं थी और सम्मानित सदस्य ने जो कहा है वह मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यूपिका के माध्यम से बुनकरों से मैंने रिश्ता जोड़ा है, बुनकरों के दर्द को जाना है और जितना कार्य किया गया है, उसके लिये इतिहास साक्षी है और सदन साक्षी होगा कि जितनी तकलीफ बुनकरों की सुनी गयी है, उतनी कभी पहले नहीं सुनी गयी ।

तीन साल पहले यूपिका की चर्चा सदन में नहीं होती थी, क्योंकि वह मरी पड़ी हुई थी और 22 और 24 सोसाइटियों पर यूपिका चल रही थी और अब जो लोग बुनकरों के प्रति दर्द दिखा रहे हैं, उन्होंने यूपिका को जानने की कोशिश नहीं की लेकिन हमने जब से यूपिका से रिश्ता जोड़ा है, तब से 350 से 400 सोसाइटियां कार्य कर रही हैं और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि इसी यूपिका के लिये घर-घर जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर और 3-4 जिलों की सोसाइटियों को बुलाकर काम किया है। अब बुनियाद हुसैन अंसारी जी उसके हमदर्द बन गये हैं, पता नहीं वह अबतक कहां थे? किसी भी सोसाइटी को लेकर वह नहीं आये । यूपिका बुनकरों के लिए हमदर्द है मैं कहना चाहती हूं कि वह सदन के बाहर यूपिका को झांकते तक नहीं हैं। (लाल बत्ती होने पर) अगर मैं बुनियाद हुसैन अंसारी जी का जवाब नहीं दूंगी तो बड़ा अन्याय हो जायेगा । यह इलजाम लगाया गया कि लेखराज मार्केट में शाम साढ़े चार लाख की खरीद की गयी और उसमें कमीशन लिया गया । अगर मैंने कमीशन खाया है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कमीशन न खाया हो । उसका कारपेट एरिया 561 वर्गफिट है और उसको साढ़े चार लाख में लिया गया है । जबकि सरकारी दुकानें इससे महंगी हैं । यूपिका के भुगतान के विषय में भी इन्होंने सदन को गलत सूचना दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आज यूपिका में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि आप पहले का इतिहास

उठाकर देखिये यूपिका के लिये, आपने कभी आवाज नहीं उठाई क्योंकि ये बुनकर इससे जुड़े हुये नहीं थे, ये लोग ठेकेदारों से जुड़े हुये थे.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, अब आप बैठें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

एक मिनट मुझे निवेदन करने का अवसर दें.

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, इस प्रदेश में खेती के बाद जो सबसे बड़ा उद्योग है वह हथकरघा उद्योग है। मान्यवर, गोरखपुर में बुनकरों की समस्या आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वहां पर बुनकरों ने आन्दोलन किया। उनके साथ जुर्म ढाया जा रहा है। पुलिस ने उनकी साइकिलें छीन ली हैं, उनकी जेबों से पैसा ले लिया है, उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा है। एक तरफ तो सरकार सूखा और प्राकृतिक आपदा की चर्चा करती है दूसरी ओर इन्होंने खुद बुनकरों की समस्या खड़ी की हुई है उनकी तरफ सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। एक तरफ तो 280 करोड़ रुपया रामगढ़ परियोजना के नाम पर, उस क्षेत्र के विकास के नाम पर खर्च किया जाता है, दूसरी तरफ बुनकरों को फायदा पहुंचाने की सोचती है। यदि यहां 280 करोड़ रुपया प्रदेश के बुनकरों पर खर्च कर दिया गया होता तो उनका भला हो जाता। यह 280 करोड़ रुपया बांट के रूप में मुख्य मंत्री के सहयोगियों और रिस्तेदारों में खर्च किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट में कटौती कर दी है। सन्डे मैगजीन में यह बात प्रकाशित हुई है कि मुख्य मंत्री जी का विमान उनका पैजामा लाने के लिये दिल्ली से लखनऊ जाता है और आता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, अब आप बैठें।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बड़हलगंज एक कस्बा है। वहां पर बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर कोई क्रय केन्द्र नहीं है और न बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने के लिये कोई व्यवस्था है। (व्यवधान) बड़हलगंज में जो कपड़ा तैयार होता है उसके लिये मेरी मांग है कि एक क्रय केन्द्र स्थापित किया जाय जिससे वहां के बुनकर अपना कपड़ा बेच सकें। इसके अलावा जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा है...

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं . . .

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होकर बोलने पर)

श्री नेकचन्द्र पाण्डेया–

मान्यवर, इनके व्यवस्था के प्रश्न पर साम्प्रदायिकता की लहर आ रही है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जो ठेकेदार बैठे हुये हैं मुसलमानों के, मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं . . . .

श्री अधिष्ठाता–

कोई सवाल जवाब का प्रश्न नहीं है ।

सूत के मूल्य में वृद्धि से संबंधित प्रस्तुत चर्चा में समय बढ़ाने का प्रस्ताव

*उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मैं यह देख रहा हूं कि इस विषय पर काफी माननीय सदस्य रुचि जाहिर कर रहे हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आधे घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस विषय पर चर्चा का समय आधा घन्टा और बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सूत के मूल्य में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि न किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमागत)

श्री मुहम्मद आजम खां–

हमारे दल से किसी को बुलवाया नहीं गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके ही दल ने इसे इनिशियेट किया है । ठीक है इधर से कोई खड़ा नहीं है, आप बोलें ।

***श्री मुहम्मद आजम खां–**

मान्यवर, यह सही है कि यह मुद्दा बहुत अहम है इस पर जितनी चर्चा हो वह कम है । लेकिन सच्चाई यह है कि एक तरफ यह सरकार कहती है कि हमारी नीति है कि हम गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, वह पेट भर सके, छत के नीचे रहे, कपड़ा पहन सके और एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजर कर सके । लेकिन सच्चाई यह है कि इस कांग्रेस सरकार ने जैसा कि बुनियाद साहब ने कहा खेती के बाद अगर कोई दूसरी सनत है तो वह बुनकर हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। हमारे सत्ता पक्ष के साथी ने कहा कि यह पोलिटिकल इश्यू बनाया है और एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्य ने तो कहा कि यह साम्प्रदायिक इश्यू बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह उनका सोचना बिल्कुल सही है यह पोलिटिकल इश्यू भी है और कम्यूनल इश्यू भी है । किसी खास निगाह से यह सरकार बुनकरों को देखती आई है । देश की आजादी में बुनकरों का खास रोल था जिसकी यह सरकार दुहाई देती है लेकिन यह वही सरकार है जिसने इन बुनकरों के जब अंगूठे काटे गये तो उस वक्त कोई आंदोलन उनके खिलाफ नहीं चलाये । यह कहा गया कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था । उसका कारण है क्योंकि दस्तकार गरीब वर्ग से जुड़े हुये हैं और कांग्रेस देश को आजाद करना चाहती है । लेकिन जब उस समय भी बुनकरों के अंगूठे काटे गये तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया। हमारा इल्जाम है कि सन् 47 के बाद भी जो बुनकरों के अपने को ठेकेदार कहते हैं उन्होंने उनका शोषण किया है वही यह सियासी पार्टी के लोग हैं जो उनका शोषण करते आये हैं ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

मान्यवर, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपको याद होगा जनता सरकार के समय किसानों को बीज पर सब्सिडी दी गयी खाद पर सब्सिडी दी गयी वह इसलिये दी गयी कि सरकार का इरादा किसानों को राहत देना था। हम कहते हैं कि आज उनको भी सब्सिडी दीजिये। आज जो मेहनत से कमाई करता है उसके माल को आप दूसरे मुल्कों को भेजते हैं। मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि हमारा देश गन्ना पैदा करे, हमारा देश चीनी बनाये और उसे वह 8 रु0 किलो चीनी मिले और दूसरे मुल्क में वह 14 आने में या 1 रुपये में दिया जाय । इसी तरह बुनकर कपड़ा बनाये और उसमें 'ए' ग्रेट कपड़ा दूसरे मुल्क के लोग पहनें और हमारे देश के रहने वालों को कपड़ा न मिले यह कहां का इंसाफ है । आज बुनकर भूखों मर रहा है उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है यह कहां तक ठीक है उसके कपड़े को बाहर भेजें । इसलिए जिस चीज की हमारे यहां कमी है उसे दूसरे देशों को न भेजा जाय सिर्फ फारन एक्सचेंज कमाने के नाम पर मेहनत और मजदूरी करने वालों को नजरअंदाज कर दें. ठीक नहीं है । अभी यूपिका में उधर बैठी हुई मोहतरमा कमीशन के नाम पर चौंक उठीं और उन्होंने कहा जब हमने देखा तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मैं कहना चाहता हूं चुहिया नहीं चूहा निकला होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 5 सौ लोगों की भर्ती की गयी जो उनके रिस्तेदारों और नातेदारों को रखा गया उनके संबंध में यों सफाई नहीं दी, हिम्मत होती तो उसकी सफाई देती ।

श्री अधिष्ठाता–

आप खत्म करें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

बुनकरों के बारे में माननीय गुप्ता जी ने जो व्यवस्था दी कि उनका कर्जा माफ होना चाहिये, मैं कहना चाहता हूं कि बुनकरों को सब्सिडी के तौर पर जैसे किसानों को जनता सरकार ने खाद और बीज में सब्सिडी दी थी उसी तरह इनको भी दी जानी चाहिए, उनको सस्ता सूत मुहया कराया जाय ।

श्री अकबर हुसैन धावर–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने 20 परसेंट छूट कृत्रिम धागे पर करने की बात कही। लेकिन दो सौ रुपया के0 जी0 पहले भी था आज भी है और बाना जो 170 रु0 था उस पर केवल 10 रु0 नहीं पड़ता है । वह जो 20 रु0 की छूट की बात है वह नहीं मिल रही है, उसका कोई लाभ बुनकर को नहीं मिल रहा है । केवल 10 रुपये का अंतर पड़ा है, 20 रुपये के बजाए । इसलिये बुनकर आज मारा गया है और छूट की रकम मंत्री जी खा रहे हैं । मैं बुनकरों के इस मसले को सरकार की एक साजिश समझता हूं जैसे अंग्रेजों ने दस्तकारों के अंगूठे इसलिये काटे थे कि मलमल का वह सामना नहीं कर सकते थे और अपने लंदन का माल यहां बिके, उसी तरह से यह पूंजीपतियों की सरकार की साजिश है कि पिछले 20 सालों से सूत के दाम बढ़ा रहे हैं और इससे बुनकर तबाह हो रहा है । मान्यवर, आज प्रदेश के लाखों बुनकर मौत के कगार पर खड़े हैं । मंत्री जी जहां से चुनकर आये हैं वहां के बुनकर और मेरे जनपद एवं मऊ आदि अनेक जगहों के बुनकर भूखों मर रहे हैं । इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आवाम के दिल की धड़कनें सुनें और उनकी समस्या को हल करें ।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, आज बुनकरों के मसले पर आपने इस चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, पिछले साल ही सूत के दाम में बढ़ोत्तरी के आसार शुरू हो गये थे। रुई की कमी की जो बात कही गयी है कि रुई कम पैदा हुई लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने रुई और सूत का निर्यात किया जिसके कारण इनके दामों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पिछले साल ही बुनकरों ने इस समस्या पर अपना रोजगार बंद किया, धरना दिया और प्रदर्शन किया लेकिन उसका सरकार पर कुछ असर नहीं हुआ । आज केन्द्र ने सब्सिडी दो रुपये के स्थान पर 2.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की है । मान्यवर, उ0 प्र0 सरकार से एक जोड़ा धोती पर जो सब्सिडी मिलती है वह इतनी कम है कि उनकी मजदूरी भी नहीं निकलती है । जो बढ़ोत्तरी हुई है वह इस समय बुनकरों को 5 रुपये मिले है । पहले 1.80 रुपये था और 1.50 रुपये था, सब्सिडी जो मिली है वह कुल मिलाकर 8.50 रुपये होता है । आज भी जो बुनकर माल तैयार करता है और कारपोरेशन को देता है ढाई-तीन रुपये लागत से कम मिलता है । मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि और दाम बढ़ायेंगे लेकिन आजतक नहीं बढ़ाया है जिससे बुनकरों की हालत खराब है और वह मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपने गांव और शहर को छोड़ रहे हैं । बुनकर आज तबाह हो रहा है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है ।

मान्यवर, आज सभी चर्चा करते हैं कि बुनकरों की हालत खराब है, यूपिका की चेयरमैन ने कहा कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है और राहत दी गयी लेकिन आज तक मैं कहता हूं कि वह राहत बुनकरों को नहीं मिली है । चेयरमैन और माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी, ए987 से अब तक का बुनकरों का पेमेन्ट नहीं मिला है । जो बुनकरों का माल, जो सोसाइटी का माल

बेचा गया है, उसका पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है और 13-13 महीने हो गये हैं। बुनकरों की जो समस्या है उस पर आज चर्चा हो रही है और सब लोग चिंतित हो गये हैं । उनका पैसा 14-14 महीने नहीं मिलेगा तो उनकी क्या हालत होगी, यह सोचने की बात है या इसका कोई जवाब इनके पास हो तो वह बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री इकबाल अहमद–

आप मुझको एक मिनट का समय और दे दें। जो बुनकर कारपोरेशन का माल तैयार करते हैं उनको 3-3 और 4-4 महीने तक पेमेन्ट नहीं होता है । यह भी कहा गया कि उनको कारोबारी ऋण दिया जाए लेकिन उसका जवाब नहीं मिला । (व्यवधान) गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिलती है । इसके बावजूद चर्चाएं काफी होती हैं, मैं मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह इस पर सोचें, बुनकरों को पैसा भुगतान करायें और जिस तरह से दूसरे प्रदेश की सरकारें अपने यहां के बुनकरों को सब्सीडाईज्ड रेट पर सूत सप्लाई करती हैं, वैसे ही वह भी व्यवस्था अपने यहां करें, जिससे उनको राहत मिले ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान, बुनकरों की समस्या की ओर न ले जाकर, अपने जनपद के बहादुरगंज, जूहाराबाद, मरदा, गंगौली, मुबारकपुर, कोपागंज और मऊनाथभंजन की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी कहा गया कि जो बुनकर धोती जोड़ा हथकरघा निगम को देते हैं, 13 महीने हो गये उनका पेमेन्ट अभी नहीं हुआ । जहां तक सस्ते दाम पर धागा मिलने की बात है, यह भी नहीं हो रहा है पिछली बार हमारे यहां बाढ़ आई थी, कोपागंज, मुबारकपुर और मरदा आदि क्षेत्रों के बुनकरों की सारी मशीनें या तो बाढ़ में बह गयीं या नष्ट हो गईं। इसके बावजूद उनको न कोई सब्सिडी मिली और न छूट मिली । भदोही में जो बुनकर मजदूर हैं, वह आज भुखमरी की कगार पर हैं । जो बड़े-बड़े व्यवसायी और मालिक हैं वह तो खूब फारेन करेंसी प्राप्त करके अपने-अपने आलीशान मकान बनवा रहे हैं, किन्तु जो कालीन मजदूर हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । वह अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं और खाने पीने तक की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने सस्ती रुई दिलाने की व्यवस्था करने की बात कही है उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि कृषि विभाग की सहायता से प्रदेश में कपास उद्योग की व्यवस्था की जाए ताकि रुई बुनकरों को सस्ते दाम पर मिल सके । 65 हजार बुनकरों की संख्या है जिन सहकारी बुनकर समितियों को ऋण दिया गया है वह फर्जी दिया गया है, उसकी जांच कराई गई, लेकिन चूंकि इसमें हथकरघा निगम के बड़े-बड़े अधिकारी और जिन बैंकों से फाइनेन्श किया गया है, के बड़े-बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे, उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप बुनकरों की समस्याओं का तत्काल सुलझान की व्यवस्था करें । साथ ही आप उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बिचौलियों को दूर करके सीधी व्यवस्था करायें, जो अधिकारी और कर्मचारी मिलकर उसकी दलाली करते हैं, आपको उस पर चेक लगानी चाहिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

आज बुनकरों के मसले पर एक अहम् चर्चा हो रही है और मंत्री जी भी बुनकर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी यह हिम्मत और जुर्रत नहीं है...

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सुझाव है, समय समाप्त होने वाला है, इसलिए सिर्फ सुझाव दीजिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

कि वह इस मसले पर दिल खोलकर बुनकरों की हिमायत कर सकें। बल्कि इनकी बुनकरों के प्रति जो पालिसी है वह बुनकरों और किसानों के खिलाफ है, लेकिन यह उसका समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि जो इस देश के बुनकर हैं, वह इस देश के रीढ़ की हड्डी हैं, किसानों के बाद यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी तादाद बुनकरों की है, जिन्होंने इस वक्त ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान को आजाद कराने के समय भी बहुत कुर्बानियां दी हैं और देश को आजाद कराने में उनका जो योगदान रहा है, वह एक बड़ी हैसियत रखता है। बुनकरों के साथ आज जो अत्याचार हो रहा है मान्यवर, न उनको सब्सिडी दी जा रही है और न कर्जे माफ किये जा रहे हैं। आज बुनकर इस हालत में पहुंच गये हैं कि वह रिक्शा चला रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। जो इस देश की एक खास सनत थी वह आज तबाह हो रही है। इस सनत को तबाह होने से रोकने के लिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह बुनकरों के साथ इंसाफ करें। उनके कर्जे माफ किये जायं और इस दस्तकारी, को बढ़ावा देने के लिये बुनकरों को रियायतें दी जायं।

*श्री रफीक अहमद उर्फ रफ्फन–

मान्यवर, यह जो बुनकरों का मामला चल रहा है यह काफी समय से चल रहा है और काफी गंभीर है। इस समस्या को सरकार को हल कर देना ही चाहिये। सूत के दामों में कमी होनी चाहिये। कानपुर के जो बुनकर हैं उन पर मुकदमें चल रहे हैं। मेरी मांग है कि उनको वापस लिया जाय। बुनकरों के नाम वारंट हैं जो छिपते फिर रहे हैं इसलिये उन मुकदमों को वापस लिया जाये। बुनकर इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वह हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर आजतक सरकार से जुड़े रहे हैं। इसलिये उन गरीब बुनकरों की तरफ सरकार ध्यान दे। अभी 15 दिन पहले की बात है मैं आजमगढ़ में कस्बे मुबारकपुर में गया था। वहां पर मैं बुनकर के यहां गया। वहां एक लड़का साड़ी बना रहा था। वह बहुत ही बेहतरीन साड़ी बना रहा था मैंने उससे पूछा कि कितनी मजदूरी मिलती है तो उसने बताया कि 14-15 रुपये मिलता है। कच्चा मकान था, छत पर टीन पड़ी हुयी थी और उसमें छेद थे। उसका करघा ऐसे था कि बड़े से बड़ा इंजीनियर भी उस करघे को नहीं बना सकता था। लेकिन ऐसे हुनरमंद बुनकर आज भूखे मर रहे हैं। आपका लेबर डिपार्टमेन्ट है तो यह देखता है कि गरीब मजदूरों को मजदूरी कम तो नहीं मिल रही है। ईंट के भट्ठे का मजदूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं । बेहतर से बेहतर साड़ी जिसके पहनने से खूबसूरती बढ़ती है उनके बनाने वाले बुनकरों की हालत खराब है । नोटों से तन नहीं ढकता है कपड़ा पहनने से ढकता है । ऐसे बुनकरों के तन पर कमीज भी साबुत नहीं है । तो बुनकरों की मजदूरी का ख्याल रखें और कानपुर के मजदूरों के खिलाफ जो मुकदमें चल रहे हैं उनको वापस लिया जाय ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से लेकर डेढ़ साल तक बुनकरों का पैसा बकाया है । मंत्री जी, आप सभी जिलाधीशों को निर्देशित करें कि जिनका बकाया है उनका विवरण मंगाया जाय और आप उसका भुगतान करवा दें। सूत के ऊपर छूट देने का निजी कर दें और कामकाज के लिये जो पैसा देने जा रहे हैं वह बुनकरों को दें। सचिव सूची बनाने जाते हैं तो जिस बुनकर से समझौता हो जाता है और लेनदेन तय हो जाता है उनका नाम लिस्ट पर आ जाता है इसको आप देखिए और सभी बुनकरों को कामकाज के लिए पैसा मिले रुई के निर्यात पर रोक लगायें । कर्जे के भुगतान के लिये 31 मार्च तक शासन ने जो समय दिया है उसको आप अनुदान के रूप में बदल दीजिये । इसी तरह से जितनी फर्जी बुनकर समितियां हैं उनको निरस्त कराइये। करघा, पावरलूम और मिलों के बीच एक सीमा रेखा निर्धारित कर बुनकरों को संरक्षण दीजिये । मैंने यह जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम बताया है सरकार को उस पर गौर करना चाहिये ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, बुनकरों के संबंध में राम सहाय कमेटी बैठी थी. उसकी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को मालूम होगी, वह आ गयी है । अगर वह रिपोर्ट लागू कर दें, तो बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा । यूपिका में बुनकरों का लाखों रुपया बकाया है और कमीशनखोरी की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी उसकी चेयरमैन हैं। ये अभी इस मामले में आपत्ति कर रही थी और बड़े तीखेपन से बोल रही थी, लेकिन वह यह नहीं बता पायीं कि कितना लाख रुपया यूपिका पर बुनकरों का बकाया है। मान्यवर, उनकी वसूली रोकनी पड़ेगी और सूत का दाम वर्ष 1986 के स्तर पर लाना पड़ेगा, तभी बुनकरों का कल्याण हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बाद में स्पष्टीकरण कर लीजिएगा । अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मैं दो-तीन बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा, श्रीमती प्रेमवती तिवारी के उत्तर में । यूपिका में बुनकरों का 5 करोड़ रुपया बाकी है जिसमें दो करोड़ रु0 दो वर्षों से बाकी है और यह क्यों बाकी है, इसलिए कि बुनकरों का माल बेच कर हमारी चेयरमैन महोदया, क्योंकि महिला हैं सुन्दरीकरण के ऊपर विश्वास करती हैं, इसलिए यूपिका के शो-रूम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया । मैं नहीं कहता कि चेयरमैन साहिबा ने रिश्वत ली है या बेइमानी की है या कमीशन लेती हैं। आप मंत्री जी मेरे साथ चलें केवल 10 मिनट लगेंगे, इंदिरानगर लखराज मार्केट में जहां पर यूपिका का शो-रूम है, उसके दाहिनी तरफ की दुकान 60 हजार रु0 की है आई

तरफ 60 हजार रु0 की है और बीच में दुकान साढ़े चार लाख रु0 की यूपिका ने ली है। इतनी महंगी दोनों, इस पदेज के पीछे क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जायगा। इससे इनकी ईमानदारी पर प्रश्नचिह्न लगता है मान्यवर, आप आज्ञा दें, मंत्री जी आइये चलिये मेरे साथ। जिस तरह से पहले राजा राज्य करते थे, रात में घोड़े पर बैठ कर जनता का दुःख-दर्द का पता लगाते थे, आपके पास कार है, चेयरमैन साहिबा को भी साथ ले चलिये। अलीगंज, कपूरथला काम्पलेक्स है, उसमें भी इनका शो-रूम है जिसका समय समाप्त हो रहा है, बिना समय बढ़ाये साढ़े 3 लाख रु0 फर्नीशिंग सुन्दरीकरण पर खर्च कर दिया। अभी यह पता नहीं है कि उसका समय बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन उसकी फर्नीशिंग पर साढ़े 3 चार लाख रु0 अनुचित खर्च कर दिया गया। इसी तरह चेयरमैन साहिबा ने लगभग 500 लोगों की भर्ती केवल एक विशेष बिरादरी के लोगों की तथा अपने रिश्तेदारों की की है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ दिन पहले मैंने एक मामला यूपिका का फर्जी बिलिंग के बारे में उठाया था, जिसमें मेरा आरोप है कि भारत सरकार से 2 करोड़ 38 लाख रु0 सब्सीडी का प्राप्त कर लिया और उसे गबन करने का काम चल रहा है। पहली किश्त 20 मार्च को 1 करोड़, 17 लाख की ली और इसका सदुपयोग किये बगैर दूसरी किश्त 29 मार्च को 1 करोड़ 21 लाख रु0 प्राप्त कर लिया। नियमानुसार पहले कपड़ा खरीदा जाता है, फिर कलेण्डरिंग होती है, फिर पैकिंग होती है और जब बिक्री हो जाती है, तब सब्सीडी मिलती है। भारत सरकार ने 20 मिलियन मीटर कपड़ा बनाने का लक्ष्य 87-88 का निर्धारित किया था और 15 मार्च तक केवल 5 मिलियन मीटर तैयार हुआ। अब 15 दिन में शेष कपड़ा नहीं तैयार करा पायेंगे। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी अभी घोषणा करें कि मार्च की खरीद के एकाउन्ट्स सील करा कर जांच करायेंगे और मंत्री जी अभी घोषणा करेंगे कि हैण्ड लूम और पावर लूम पर बनने वाले वस्त्र का जो सूत इस्तेमाल होता है, उस पर सेल्स टैक्स माफ कर दिया जायगा और सब्सीडाइज कमेटी का गठन होगा, बुनकर कौंसिल बनायेंगे जो बुनकरों के बारे में सही राय देगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं अगर उनमें हिम्मत है और बुनकरों का भला करना चाहते हैं, तो आज सिर्फ यही घोषणा कर दें कि जो राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट 1973-74 की है, उस पर अमलदरामद कल से किया जायेगा और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नुमाइशें लगाई जायंगी, जिसमें हथकरघा वस्त्र की बिक्री की जायगी। वर्ष 1977-78 में जनता सरकार में जनता धोती की खरीद शतप्रतिशत होती थी, अब नहीं अब कई महीनों बकाया करके खरीदी जाती है और नान कन्ट्रोल कपड़े का भुगतान पहले 70 प्रतिशत तुरन्त भुगतान और 30 प्रतिशत शेष 30 दिन में किया जाता था। अन्त में मैं मांग करता हूं कि सरकार मिनिंग करा कर रुई सरकारी व सहकारी मिलों को दी जाय और जो कानपुर में समितियों की जांच हो रही है, विजीलेंस की, उसे वापस करने की घोषणा करेंगे और जांच विजीलेंस से न करा कर विभाग द्वारा करायेंगे। साथ ही जो अधिकारी बुनकरों को अपमानित करते हैं या बेइज्जत करते हैं, या उत्पीड़ित करते हैं, ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे?

*उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अन्सारी)–

मान्यवर, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज इन बुनकरों की गम्भीर समस्याओं से सम्बन्धित चर्चा में भाग लिया और बहुमूल्य सुझाव दिया। मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने इसमें तो कोई शक नहीं है कि जरा रास्ते से हट कर चले गये, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव बड़े अच्छे आये हैं। मान्यवर, मैंने हर माननीय सदस्यों की बातों को लिखा है और जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, हमारी सरकार जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सकती है, अपने सीमित साधनों को देखते हुए वह मान्यवर, सरकार करेगी। वह मान्यवर, सब हम करेंगे। मान्यवर जहां तक हथकरघा उद्योग का ताल्लुक है, हथकरघा उद्योग हमारे देश में कोई नया उद्योग नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

क्या मुख्य मंत्री जी से मशविरा कर लिया है ?

श्री निसार अहमद अंसारी–

वेदों के जमाने से उसकी चर्चा, उसका वजूद में रहना हिन्दुस्तान में पाया जाता है। इसने राजा महाराजाओं के राज्यों के जमाने में तरक्की की, मुगलों के जमाने में तरक्की की लेकिन एक ऐसा दौर आया जब अंग्रेजों का शासन आया उन्होंने अपने देश के बने हुए कपड़ों को राइज कराने के लिए बुनकरों को तबाह बर्बाद किया, उनके अंगूठे काटे, उनके कारखानों को बर्बाद किया और जेरेशाया बदले हुए सनाअत में कोई सहारा नहीं मिला। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1920-21 में कांग्रेस ने खादी की तहरीर चलायी इस इंडस्ट्री के ऊपर से सनाअत किया। मान्यवर, खादी की तहरीर चलायी गयी और कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलायी और मैं यह भी बताऊं कि 1931 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यापक दौरा हिन्दुस्तान का किया था और यह प्रचार किया था कि चरखा कातो और खद्दर पहिरो। यह उनके वर्ड हैं और इस सनाअत को सहारा मिला। मान्यवर, कांग्रेस हुकूमत आजादी के बाद से आज तक इस उद्योग को बढ़ावा देने में लगी हुई है और यह कहना कि कांग्रेस की पालिसियों की वजह से यह सूत के दामों में वृद्धि हुई है, यह गलत है।

मान्यवर, आप यह देखें कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सन् 86 के स्तर का दाम लाया जाय। मान्यवर, यह क्या यह भी कह सकते हैं कि किसानों की जो रुई 86 में जिस दाम पर बिकती थी उसी पर जबरदस्ती किसानों से रुई ले ली जाय। मान्यवर, जब 3115 रु0 एक एन0 एन0 डी0 का दाम था तब 24 नम्बर सूत का दाम 85 रुपया था और आज सूखे के कारण रुई के उत्पादन में कमी आयी है। मैं पहले भी अपनी पूर्व बातों में इस बात को कह चुका हूं, वह कमी आने के साथ-साथ रुई के दामों में वृद्धि होती चली गयी और रुई के दाम जो हमारे पास सूचना है 7100 और 7300 के करीब दाम चल रहे हैं तो उसका असर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां आया, यह देखा जा रहा है। हमारी भारत सरकार इस बात पर बहुत ही गम्भीरता से विचार कर रही है, फाइनेंस मंत्रालय है, हम यहां मिलों को बन्द न हों, रुई हम बाहर से फारेन मंगायें और उसकी वजह से रुई के दाम यहां जल्दी से जल्दी गिरने की भी आशा है।

मान्यवर, एक बात को कहा गया कि सूत को सब्सीडाइज कर दिया गया मान्यवर, सूत आज भी हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में आज भी सूत हमारे पास बहुत काफी मात्रा में है और हमारी जरूरत से ज्यादा है, सूत की खपत कम हो गयी है। सूत के दाम रुई के कारण जो बढ़े, जो माल पूरी तैयार हो रहा है उसके दाम अहिस्ता-अहिस्ता बढ़ रहे हैं व्यापारियों और कृषिकों के [illegible] हैं जो माल की खरीद हो रही है उसमें 10 से 15 प्रतिशत की खरीददारी [illegible] हो चुकी है। जैसे जनता कलाथ इसमें इस समय इसमें करीब 17 हजार कुनबार लगे हुए हैं। जो नाके 34 को सम्पर्क किया जाता था तो वह साढ़े [illegible] हो रहा है। अभी कजलुल बारी बाहुरा ने अंदाजा दिया, मैं उसके लिये [illegible] बहुत [illegible]। वह हमारे यहां आ जाते और साथ में एक प्यारी चाय पी लें, मैं उनको बता दूंगा कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है जो मिल रहा है, वही दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, मंत्री महोदय की बात, [illegible] के बारे में बहुत जोरदार से कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि [illegible] और सात कम्पोजिट दोनों कपड़ों के दाम कारपोरेशन के जरिये से 29 फरवरी 1988 तक जो पूरा [illegible] माल बाकी है के चुकता किया जा चुका है। [illegible] कम्पोजिट की [illegible] होते हों या फिर कोई कपड़ा हो, उसका दाम दिया जा चुका है। दूसरे जो मार्के का [illegible] है, हम आशा करते हैं कि उसका भुगतान अप्रैल के आखिर तक हो जायेगा। जहां तक कृषिकों के पेमेंट का ताल्लुक है मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता कलाथ का जो पेमेंट है वह 29 फरवरी, 88 तक का पूरा का पूरा सब आना पाई से दिया जा चुका है और सोसाइटीज का जो माल कम्पोजिट का कपड़ा खरीदा है, उसका पूरा 1987 तक का पूरा पेमेंट किया जा चुका है। अब मान्यवर, उसके बाद दिसम्बर तक की जो खरीद है उस पर एक करोड़ [illegible] रुपये का [illegible] है जिसमें से 20 लाख रुपया दिया जा चुका है और 80 लाख रुपया अप्रैल में पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह माननीय सदस्य दिखाकर धमकी दे रहे हैं।

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, दरअसल सोसाइटीज के बारे में कहना चाहता हूं, मान्यवर, पांच मिनट का समय दे दें तो [illegible] सोसाइटीज [illegible] थी, [illegible] सोसाइटीज की डिपार्टमेंट इन्क्वायरी बोर्ड बन हुई थी, [illegible] मंत्री जी ने कह कर पहले विभागीय इन्क्वायरी की फिर [illegible] दिया था और विभागीय

इन्क्वायरी की बात की थी, तो आप अपनी जहानियत से पर्दा उठायें, सारे अपोजीशन ने हाउस में कह दिया, नेता विरोधी दल एवं मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि वह विजिलेंस इन्क्वायरी जारी रखेंगे कि नहीं और जब तक विजिलेंस इन्क्वायरी नहीं जारी रखेंगे तब तक हाउस नहीं चलने देंगे और हमारे मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि विजिलेंस इन्क्वायरी करायेंगे। खैर देर आये दुरुस्त आये। बहुत दिनों के बाद हमारे विपक्ष के भाइयों में यह हमदर्दी पैदा हुई कि बुनकरों के साथ कुछ हमदर्दी की जाय। मैं यह चाहूंगा कि अगर बुनियाद हुसैन साहब दोबारा लिखित दिलवा दें कि जो इन्क्वायरी मेट अप की गयी है, वह हटा ली जाय तो शासन उस पर जरूर विचार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा का समय समाप्त हुआ।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, सरकार बुनकरों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अकबर हुसैन बाबर सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी का भाषण हम सब लोगों ने ध्यान से सुना, लेकिन जो मुद्दे इधर के मा0 सदस्यों ने उठाये थे सबसिडी के बारे में, सूत के दाम सस्ते करने के बारे में, डिपो खोलने के बारे में और जो कर्जे हैं उनको माफ करके अनुदान के रूप में बदलने के बारे में, उनके बारे में मा0 मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए मा0 मंत्री जी ने भाषण कितनी ही उत्तेजना के साथ दिया हो और कितने ही सुलझे हुये शब्दों में दिया हो लेकिन सरकार की नीयत बुनकरों को किंचित राहत प्रदान करने की नहीं है। इसलिए सरकार की इस बुनकर विरोधी नीति के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मैं भी सरकार की इस बुनकर विरोधी नीति के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, सरकार राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है, इस फर्जी इन्क्वायरी के बारे में जो बिला वजह परेशान किया जा रहा है, उसके बारे में भी मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, न सबसिडी के बारे में कुछ कहा, इसलिए सरकार की इस बुनकर विरोधी नीति के कारण मैं अपने दल के साथ सदन का पूरी तरह से बहिष्कार करता हूं।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मनोहर लाल–

माननीय मंत्री जी ने बुनकरों की सहायता की कोई घोषणा नहीं की है, इनकी नीतियों के विरोध में अपने साथियों के साथ थोड़ी देर के लिये सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मनोहर लाल भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(मद संख्या-11 पुकारे जाने पर)

श्री मित्रसेन–

इन्होंने सूत के कम दाम लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहा, बुनकरों को राहत पहुंचाने के लिये कोई घोषणा नहीं की, इसके विरोध में, इनकी बुनकर विरोधी नीति के खिलाफ मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्रसेन भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

सरकार की बुनकर विरोधी पालिसी के खिलाफ सदन का हम भी बहिष्कार करते हैं।

(श्री फजलुल बारी तथा श्री हरिशंकर तिवारी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बुनकरों को तत्काल राहत व सहायता पहुंचाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की। मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह भी सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन का संकल्प (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरीश जी, इस पर आप पहले थोड़ा बोल चुके हैं, संक्षेप में अपनी बात पुनः जारी रखें।

(समय 3 बजकर 55 मिनट)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर इस संकल्प के पक्ष में कुछ बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसे 13 जुलाई, 1987 को इस सदन में प्रारम्भ किया जा चुका है। आपने अपनी पीठ से कहा था कि इस पर कुछ कह चुका हूं। मान्यवर बहुत ही थोड़े से शब्दों में जो निवेदन किया है, मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से मैंने जो बात रखी है, वह बड़ी साफ है। मैंने इस संकल्प में कहा है "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन कर मृतक के पुरुष वंश में जीवित व्यक्ति के साथ विधवा एवं विधवा माता को भी उत्तराधिकारी माना जाय। मान्यवर, अगर इसके शब्दों में कोई भ्रम हो तो इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं। जीवित व्यक्ति के साथ विधवा एवं विधवा माता- भूमिधर की

†दिनांक 13 जुलाई, 1987 की कार्यवाही से

विधवा और भूमिधर के जो पुत्र हैं, उनकी जो विधवा माता है। इसमें संकल्प देने का मेरा अभिप्राय यह था कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 171 में कहा गया- "किसी भूमिधर अथवा आसामी के मरने पर उसकी जोत जिस उत्तराधिकार के क्रम में लगेगी उसमें मृतक की विधवा एवं विधवा मां को उसी स्थिति में उत्तराधिकारी माना जायेगा जबकि उसके पुरुष वंश में कोई व्यक्ति जीवित न हो। मान्यवर, यह कैसा क्रूर अन्याय है। इस कानून के द्वारा नारी की क्या दशा बनेगी ? यदि पुरुष वंश में कोई व्यक्ति जीवित नहीं होगा तो उस विधवा को उस भूमि के उत्तराधिकार में कुछ अंश मिलेगा। मान्यवर, मैं गांव से चुनकर आता हूं, दो चार जाति बिरादरी के लोगों को छोड़ दीजिये। जिन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, दुखी कहते हैं, उन्हीं के बीच में से चुनकर आता हूं। अब चूंकि विधवा एवं विधवा माता का उसमें कोई हिस्सा नहीं है तो वह दो धोती और दो रोटी के लिये बेसहारा बन जाती है। ऐसी स्थिति में यह कानून उस नारी के साथ अन्याय करता है। इस नाते मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, इसमें संशोधन करके विधवा को भी उत्तराधिकार दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इसी के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद-1 का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें नारी और पुरुष को समान दर्जा दिया गया है और कहा गया है "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा"। मान्यवर, इस कानून के द्वारा संविधान की अवहेलना की गई है। यह कहना सत्य है कि नारी पुरुष में भिन्नता तो है, लेकिन भेद नहीं है। सृष्टि ने जो भिन्नता दी है, वह परस्पर की पूरकता है। लेकिन कानून ने इसको भेद का रूप दे दिया है, इसलिये मान्यवर, इसमें संशोधन किया जाना चाहिये। इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 171 में इसका उल्लेख किया गया है, उसी धारा की उपधारा-2 में स्पष्ट लिखा है कि "मृतक भूमिधर अथवा आसामी का पुत्र मर गया है, तो मृतक पुत्र के अंश की उत्तराधिकारिणी उसकी विधवा अर्थात मृतक भूमिधर आसामी की विधवा पुत्रवधू होगी"।

मान्यवर, यदि किसी भूमिधर अथवा आसामी मर गया है, तो उसकी विधवा उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भूमिधर अथवा आसामी का पुत्र मर जाये, तो उस पुत्र की विधवा उत्तराधिकारी हो जाती है। तो एक गृहस्वामिनी भूमिधर के मर जाने के बाद उसकी विधवा उत्तराधिकारी क्यों नहीं हो सकती। मान्यवर, इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मंत्री जी बड़े भावुक हैं और बहुत ग्रन्थ, वेद का उल्लेख करते हैं। मान्यवर, एक वाक्य मैं भी कहना चाहूंगा कि "वह कौन विधवा है जो एक दिन किसी गांव में जन्मी थी, वहीं पली थी, जब युवावस्था आई तो संसार की सृष्टि को बनाये रखने के लिये मां-बाप को छोड़कर अन्जान गांव चली आई और अन्जान आदमी के साथ हो गयी। जहां उसने सबको सुलाकर खुद सोया, सबको खिलाकर खुद खाया सबके सुख में अपने दुख को भूला दिया। वही विधवा आज उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, यह कानून का क्रूर अन्याय है। मान्यवर, यह संशोधन मैंने इस कारण प्रस्तुत किया कि जिस नारी ने जीवन भर लोगों को सुख देने के लिये खुद दुख उठाया, आज उसके पति के मरने के बाद उसको कुछ नहीं दिया जायेगा, इसलिये मैंने संशोधन

पेश किया । मान्यवर, दो-चार बातें मैंने संकल्प के समर्थन में पहले ही दी हैं, इसलिये उनका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इस संकल्प को स्वीकार कर लें। मान्यवर, हिन्दू स्त्री का अधिकार अधिनियम, 1937 में दिया हुआ है कि "सम्पत्ति पर पुत्र के साथ ही साथ मृतक की विधवा, विधवा पुत्रवधू और विधवा पोत्रवधू तक को सम्पत्ति में उत्तराधिकारी माना है। इसी प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने पुत्र के साथ मृतक की विधवा, विधवा पोत्रवधू, और विधवा पुत्रवधू के अतिरिक्त इस समूह में मृतक की पुत्री, पुत्र की पुत्री, पोत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री और माता तक को उत्तराधिकारी माना गया है"।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता विधेयक, 1980 जो कांग्रेस आई सरकार ने पेश किया, उसमें संशोधन इस रूप में दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता विधेयक 1980 जो 4 सितम्बर, 1980 को सदन में पेश किया गया, उसकी धारा 103 में कहा गया है "किसी पुरुष भूमिधर या आसामी की मृत्यु हो जाने पर उसके हित का न्यायगमन जिस उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार होगा, उसमें उसकी विधवा और पुत्र पौत्रादिक क्रम में पंजातीय वंशज, प्रतिशाखा के अनुसार समान अंशों में प्राप्त करेंगे"। मान्यवर, 17 सितम्बर 1980 को सरकार पक्ष से एक संशोधन प्रस्तुत हुआ, उसमें इस संकल्प को प्रस्तुत किया जा चुका था, परन्तु उस समय के तत्कालीन राजस्व मंत्री ने इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। प्रवर समिति ने एक फरवरी, 1983 को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दिया। प्रवर समिति ने बल्कि एक और जोड़ दिया, कि भूमिधर और आसामी के साथ पट्टेदार को भी जोड़ दिया । एक फरवरी, 1983 को यह यह सदन में पेश कर दिया गया अब तो उसे आप कैबिनेट में ले जायें और उसे स्वीकार कर अधिनियम बनाने इसमें आपको क्या आपत्ति है । मैंने अपने संकल्प के पक्ष में सारे उद्धरण इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत कर दिये हैं । उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है कि किसी भूमिधर, आसामी व पट्टेदार के मरने के बाद उसकी कृषि भूमि पर उसकी विधवा को उत्तराधिकारी होना चाहिए । आज प्रदेश में हजारों विधवायें परेशानी व बेसहारा की जिन्दगी गुजार रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जो संकल्प मैंने रखा है उसे सरकार स्वीकार करेगी ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैंने श्री हरीश जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना, जो संकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसे उन्होंने बहुत ही गम्भीरता से यहां पर रखा । किसी ने कहा है "ही इज एन अन अल्टरेबिल फूल. हू दिंक्स दैट लॉ इज अन अल्टरेबल ।" लॉ में परिवर्तन हो सकता है, आपने जो बात कही है उस पर चिन्तन किया जा सकता है। आपने कहा कि स्त्री और पुरुष का हक बराबर है। बेसिकली इसमें कोई मतभेद नहीं है । लेकिन साथ-साथ एक बात यह भी है कि "एवरी प्रिंसिपल कैरीड टू एक्सट्रीम बिकम्स फाल्स आफ दि एक्सट्रीम ।" किसी भी चीज को एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना चाहिए । जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, लॉ का ढांचा भी बदलता जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । टेनेन्सी का मकसद एक और है और एक बहुत लम्बा प्रकरण है । जमीन का बटवारा इस कदर न हो जाय, जिससे उस पर अन इकोनामिक होल्डिंग न हो जाय, जिससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा । 1937 के हिन्दू लॉ में तीन बातें हैं । पहला को-पार्शियनर, ज्वाइन्ट फैमली और एक्सक्लूसिव प्रापर्टी और भी बहुत सी बातें हैं । 1937 में पहली बार एक्ट आया और उसमें स्त्री को हक होगा ज्वाइन्ट फैमली प्रापर्टी में । 1952 में पहली बार प्रापर्टी ट्रान्सफर करने का अधिकार मिला है । इसीलिये जहां भी हक जाता है और जो हिन्दू सक्सेसन एक्ट है, 1956 में आया, उसमें पर्सनल प्रापर्टी में जैसे मकान है, टेनेन्सी के अलावा, उसमें सबको अधिकार दिया, विडो और नीचे तक के काफी लोगों को अधिकार दिया प्रापर्टी का । टेनेन्सी एक्ट का प्रश्न दूसरा है ।

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं धारा 171 में, जो सम्मानित सदस्य ने पढ़ा, "सबजेक्ट टु दि प्रोवीजन्स आफ सैक्शन 169" यानी अगर किसी ने "विल"-कर दिया है तो उसे छोड़ते हुए, कोई पुरुष यदि मरता है, तो इसमें आगे कहा गया है कि.....

श्री अधिष्ठाता–

आप अंग्रेजी तभी पढ़ सकते हैं जब हिन्दी अनुवाद तुरन्त कर दें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मैं हिन्दी में ही बता रहा हूं, मान्यवर ।

"विल" को छोड़ते हुए कोई पुरुष यदि मरता है तो उसके मरने पर उसकी सन्तान जायदाद पायगी और यदि कोई लड़का अपने पिता की जिन्दगी में मर गया है तो पिता की मृत्यु के बाद विधवा पतोहू भी जीवित लड़के के समान हक पायगी । पुरुष लाइन में समाप्त हो जाने पर कोई नहीं रह गया तो वहां मदर और विडो मादर को दिया । इसका मतलब यह है कि प्रापर्टी इतनी तेजी से तकसीम न हो जाय कि लोग बिना प्रापर्टी हो जायं । दूसरी बात यह है कि एक नेचुरल अफेक्शन जो पुत्र और माता में है, वह टूट न जाय । जहां प्रापर्टी का डिस्प्यूट हो जाता है तो मां और बेटे का टकराव हो जाता है । पर्सनल प्रापर्टी में राइट दिया है, टेनेन्सी में राइट नहीं दिया है । यह जो 171 में है, मेल लीनियल डिसैन्डेण्ट के रहते हुए अधिकार न दिया जाय विडो को, वह उचित है, अनुचित नहीं है । लॉ की प्रैक्टीकैबिलिटी और एप्लीकेशन कैसे हो यह देखने की बात है । जनरल व्यवहार में उसकी मकबूलियत क्या है । अगर उसका समाज पर असर अच्छा पड़ रहा है तो वह लॉ अच्छा है । यह जो धारा 171 में लिखा है, यह बात अच्छी है और इसका समाज पर अच्छा असर है बल्कि यह कहें कि समाज इसका वेलकम करता है । धारा 171 के आगे जो भी है इसमें जो प्राविजन है, उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । नहीं तो लिटीगेशन के मामले और बढ़ेंगे, लिटीगेशन को रोकने के लिये प्रापर्टी को बराबर तकसीम में रखने की बात कोई अच्छी नहीं है और इससे हम 21 वीं शताब्दी की ओर जो बढ़ रहे हैं, उसमें भी अवरोध उत्पन्न होगा ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने बताया कि वर्तमान कानून यथावत् रखा जाय, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 171 (1+3) लगायत 172, 173 और 174 व 175 भी डील करता है, यह 21 वीं शताब्दी में जाने के लिये बहुत अच्छी बात है। माननीय विधायक पुरानी सभ्यता को मानने वाले हैं, निश्चित रूप से मनु की शिक्षा में संशोधन नहीं चाहेंगे। लेकिन मनु भी दो तरह के हैं एक पुराने मनु और दूसरे वर्तमान मनु, वर्तमान मनु और पुराने मनु में कुछ सामंजस्य हो तभी तो हम 21वीं शताब्दी में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक विधवा है, माननीय सदस्य जानते हैं कि उसका पुत्र आपकी तरह लायक नहीं है कि वह अपनी मां को देवी मानें। पिता के मरने के बाद वह विधवा दानें-दानें को मोहताज हो जाय यह कहां का न्याय है? जिस तरह से हमारे इस्लाम में पर्सनल ला की बात कही जाती है, हम यह नहीं कहते हैं कि इसमें उस तरह से संशोधन किया जाय। उदाहरण के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि एक भावज है वह अपने छोटे देवर को पुत्र की ही भांति पालती है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर वह देवर लावारिस ही मर जाय तो वह विधवा तो टकटकाती फिरेगी? आपकी धारा 171 से लेकर 174 तक कहां ऐसा है कि उस टेनेन्सी प्रापर्टी में से उसकी विधवा भावाज को अपनी जीवनयापन की सहूलियत मिलेगी? जिस देवर को विधवा ने पुत्रवत पाला पोसा है उसकी प्रापर्टी को गांव सभा या स्टेट ले लेगी इसलिये यह संशोधन समयोचित है और यह 21वीं शताब्दी में ले जाने के योग्य है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, यह जो उत्तराधिकार की बात है इसके लिए हिन्दू सक्सेसन एक्ट है और टेनेन्सी एक्ट है और यह दोनों ही अलग-अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति के मर जाने के बाद उत्तराधिकार किसे मिले दूसरे टेनेन्सी का अधिकार किसको हो इसके लिये विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीके से टेनेन्सी लॉ में व्यवस्था है। हमारे उत्तर प्रदेश में जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम जब लाया गया तो इसके प्रारूप पर गम्भीरता के साथ विचार हुआ क्योंकि इसमें जमींदारी को खत्म करने का प्रश्न था। समीपस्थ उत्तराधिकार की व्यवस्था हमारे भूत पूर्व विद्वान साथियों, इस विधान सभा के सदस्यों ने रखी थी कि वास्तव में खून के रिश्ते के हिसाब से यह ठीक है। लेकिन जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में मां का नाम इस लिए नहीं रखा गया है क्योंकि वह परिवार से अलग हो जाती है और परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं और हमारा भूमि सुधार का जो आन्दोलन चल रहा है, उनमें भूमि सीमा अधिनियम (सीलिंग एक्ट) भी है तो इस प्रकार से हमारे भूमि सुधार आन्दोलन में एक गतिरोध उत्पन्न होता है और इसका सीलिंग एक्ट पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस व्यवस्था को नहीं रखा गया है, इसलिए नहीं की नारी के साथ पक्षपात करता था, ऐसा नहीं है, नारी को पूरा सम्मान दिया गया है इसीलिए हमारी दूसरी व्यवस्था में इस मन्शा की परिपूर्ति के लिए वास्तव में कई हाईकोर्ट की रूलिंग्स हुयी हैं, जिससे यह भी कहा गया है कि "टेनेन्सी लाज में जातीय कानून (पर्सनल) लागू नहीं होगा।

"पर्सनल ला इज नार एप्लीकेबिल इन दि टेनेन्सी एक्ट" इसलिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह संशोधन होने लायक नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं केवल दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा, अभी जो बातें सत्ता पक्ष से सामने आयी हैं, उससे काफी भ्रम पैदा हो गया है । 1956 और 1987 में जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और हिन्दू स्त्री के अधिकार दिए गये हैं, इन दोनों अधिनियम द्वारा कृषि भूमि के नियंत्रण एवं संचालन नहीं है, इसलिए प्रश्न यह उठता है कि उत्तर प्रदेश कृषि भूमि पर नियंत्रण जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, इस नाते मैंने यह संशोधन दिया है । चूंकि 1937 और 56 में विधवा स्त्री को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से कृषि भूमि में जो कमी थी, वह दूर हो जाए इस लिए यह संकल्प प्रस्तुत किया है और जहां तक रही बात कि वह विधवा कहीं कोई दूसरा विवाह कर ले और कहीं अन्यत्र चली जाए तो फिर उस जमीन का क्या होगा इसके लिए पुरुष पहले से ही चतुर था, उसने इसी जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 172 में प्राविधान कर रखा है कि फिर वह स्त्री उस भूमि के स्वामित्व से वंचित हो जायेगी, इसलिए इस बात का भी कोई खतरा नहीं रहा, इसीलिए मैंने सब बातों को देखते हुए इसे रखा है । वैसे मैं जानता हूं कि मैं विरोध पक्ष में हूं, शासन चाहेगा तो इसे बहुमत के बल पर गिरा देगा, . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यदि इसके गिर जाने का डर ही है तो इसे आप वापस भी ले सकते हैं । (हंसी)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी —

वैसे मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो कोई उपाय अवश्य निकल सकता है, इससे न केवल संकल्प की मंशा पूरी हो सकेगी अपितु विधवा के साथ हो रहे क्रूर अन्याय पर भी रोक लागेगी . . .

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

अत्यन्त सम्मानित सदस्य माननीय हरीश जी . . . . (व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

यह अत्यंत सम्मानित हैं तो मैं क्या बेवकूफ यहां बैठा हूं? (हंसी)

श्री गौरी शंकर—

आप तो मान्यवर, इस सदन के सर्वोपरि हैं, बल्कि प्रियतम भी हैं (हंसी)

तो मान्यवर बड़े ही संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही प्रबुद्ध तरीके से माननीय हरीश जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और उन्होंने स्वयं यह आशंका व्यक्त की है कि इनका संकल्प तो गिर ही जायेगा । यह तो जो संसदीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था में संकल्प का विरोध तो करना ही है, लेकिन साथ ही मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय हरीश जी आपका संकल्प तो गिर रहा है, लेकिन आपकी भावनाएं नहीं गिरने दी जायेंगी । जैसा कि आपने स्वयं आग्रह भी किया है उसको देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर चिन्तन तो पहले ही कर लिया था, आपने इस ओर मात्र उसकी याद दिलाई है । कोई नया विचार उनका नहीं

है । यह क्रेडिट तो उत्तर प्रदेश सरकार को है और कांग्रेस की सरकार को है । इस बात पर चिंतन किया गया है और आपको स्मरण होगा कि राजस्व कोड प्रस्तावित किया गया था और बाद में व्यपगत हो गया था । जिन तिथियों का उल्लेख हरीश जी ने किया है, उनमें फर्क है । वह एक्ट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन व्यपगत हो जाने के कारण वह आपके समक्ष नहीं है । आपने प्रस्ताव किया है कि जमींदारी विनाश अधिनियम में जो धारा 171 है उसमें संशोधन कर दिया जाये, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारी राजस्व विधि आ रही है, उसमें 26 राजस्व विधियां जो इस समय चल रही है, उनमें जो विषतायें हैं, उनको समाप्त करके आ रही है । अब तक जो जटिलतायें थीं, उनको समाप्त करके प्रक्रिया को सरल, सुबोध, सम्यक और प्रासंगिक बनाया जायेगा और जो आपकी भावना है, उसको भी उसमें समाहित कर लिया गया है । जिस बात को आपने सन्दर्भित किया है, उसको आपने देर से किया है और वर्तमान में वह प्रासंगिक नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर गहन चिंतन कर रही है और उसका प्रारूप हमारे समक्ष है और वह मामला किसी भी समय हमारे सामने आ सकता है ।

हम बहुत ही एडवान्स में जा चुके हैं और आप कई मीलों पीछे चिंतन कर रहे हैं । जब आप हमारी स्पीड के साथ चिंतन करेंगे तो लगेगा कि चिंतन हो रहा है । धारा 171 में किसी संशोधन की इस समय आवश्यकता नहीं है । राजस्व विधि में यह सारी बातें प्रस्तावित हैं और उस राजस्व विधि के बन जाने पर यह सारी की सारी बातें स्वतः समाप्त हो जायेंगी । इसलिए आपको इस संकल्प पर बल देने की आवश्यकता नहीं है । जो व्यवस्था इस समय है, उसमें अगर एक एकड़ जमीन होगी और 4 लड़के होंगे, तो सभी को 1/4 हिस्सा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्व विधि की स्थापना के बाद उसके चार लड़कों के साथ उसकी विधवा को भी जोड़ लिया गया है और उनका हिस्सा 1/5 प्रत्येक को मिलेगा, तो इस तरह की व्यवस्था हो जायेगी और आपकी व्यवस्था मजबूत हो जायेगी और फिर जो आप चिंतन कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रह जायेगी । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही उसको विधान सभा में प्रस्तुत करना चाहती है । इसलिए आप इस संकल्प को वापस ले लें, बल न दें आपकी भावनाओं का आदर किया जा चुका है और आगे जा चुके हैं । आप तो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और हम 21 वीं सदी के प्रवेश प्रवेश द्वार पर पहले से ही पहुंचने की घोषणा कर चुके हैं । इसलिए मैं अपने अत्यान्त प्रबुद्ध और सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री हरीश जी, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

जी नहीं । एक मिनट का मौका दें . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन

कर मृतक के पुरुष वंश में जीवित व्यक्ति के साथ विधवा एवं विधवा माता को भी उत्तराधिकारी माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुए क्षेत्र को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 13 जुलाई, 1987 को मैं इस संकल्प पर कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुये क्षेत्र को रोकने के लिये सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करे, चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, खारे पानी पर विचार करने से पूर्व यह विचार करना बहुत आवश्यक होगा कि मानव जीवन में पानी का बड़ा महत्व है और और यहां पर यह कहना भी उपयुक्त होगा कि जल ही जीवन है । जल के बिना न यह मानव शरीर बना है और इसमें भी जो पांच तत्व हैं उनमें से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तत्व जल का है । बाकी मानव जीवन के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं, कपड़ा धोने से लेकर कल कारखानें, उद्योग आदि ये सब पानी द्वारा ही बनते हैं । किसी भी अर्थ में पानी के बिना यह मानव जीवन नहीं चल सकता है । लेकिन यह बड़े दुख का विषय है कि हमारे प्रदेश और देश का यह पानी निरन्तर खारा होता चला जा रहा है और यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस पृथ्वी के धरातल पर कितना पानी है । यहां पानी की कमी नहीं है । अगर सागर, समुद्र, पहाड़, पर्वत, ऊंचीनीची जगह सब एक सी कर दी जाय तो इस पृथ्वी के धरातल पर पांच सौ मीटर पानी हो जायेगा । लेकिन हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जल नीति में खराबी होने के कारण या यों कहा जाय कि इनकी जल के विषय में कोई नीति नहीं है, हम अपने पानी को किस तरह से वितरित करेंगे किस प्रकार योजना बनाकर उसका उपयोग करेंगे, उससे अपने देश और प्रदेश को लाभान्वित करेंगे, इस प्रकार की कोई भी योजना इस देश और प्रदेश की सरकार के पास नहीं है ।

मान्यवर, वैज्ञानिक और औद्योगिक रिसर्च परिषद् की एक आख्या के अनुसार इस पृथ्वी के धरातल पर 97 प्रतिशत पानी समुद्रों में है, दो प्रतिशत पानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों में बर्फ के रूप में जमा है और एक प्रतिशत पानी इस पृथ्वी और आकाश के बीच में चक्कर काटता है जो जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है । वह पानी मानव जीवन के काम आता है और मानव जीवन में अवशोषित होता है और उससे हम अपना काम चलाते हैं । मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि इस एक प्रतिशत पानी में से 77 प्रतिशत पानी नदी और नालों द्वारा फिर सागर में चला जाता है और 23 प्रतिशत पानी जो भूमि के अन्दर अवशोषित होता है उसका बहुत कम अंश पानी 33

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 13 जुलाई, 1987 की कार्यवाही से ।

प्रतिशत नदी और नालों में रहता है । हमारे देश की जो सबसे बड़ी नदी गंगा है इसमें उसका कुल .001 प्रतिशत पानी है और वह भी प्रदूषित होता चला जा रहा है ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

हमारे प्रधान मंत्री जी ने 4 जनवरी, 85 को इस गंगा के प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए 260 करोड़ रुपये की घोषणा की थी लेकिन वह घोषणा धीरे-धीरे अब 80 करोड़ की हो गयी है । लेकिन दुख इस बात का है कि अपने प्रदेश के अन्दर जो पानी खारी होता चला जा रहा है, जो हमारी भूगर्भ जल सम्पदा है जो मीठे जल के श्रोत हैं वह खारे होते चले जा रहे हैं । गंगा का प्रदूषण दूर करने की जो बात है उसमें तो पानी मात्र 0001 परसेंट है । उसको साफ करने की जो बात है वह तो केवल चुनाव बायदों के लिए खर्च किया जा रहा है उसे जो वर्तमान में स्थिति है उसमें साफ नहीं कर सकेंगे क्योंकि गंगा में आप जल परिवहन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उस योजना के अन्तर्गत आप इलाहाबाद, कानपुर और बनारस में स्ट्रीमर चलाकर आवा-गमन की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो जब वहां स्ट्रीमर चलेंगे तो उससे पानी फिर गन्दा होगा ।

आपका प्रदेश राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है । वहां प्राकृतिक सम्पदा है, वहां खनिजों की चट्टानें हैं जो सांवरझील है उससे लगने वाले हमारे जो इलाके हैं उनमें पानी खारी होता चला जा रहा है । आगरा कमिश्नरी से लगने वाले जनपद एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ आदि का पानी खारा होता चला जा रहा है । माननीय मंत्री जी आपको इसका होश नहीं है । कुछ दिन पहले जो सर्वेक्षण हुआ था जिसमें प्रदेश के 51 जिले थे उसमें 42 जनपदों में पानी खारा पाया गया । वह जनपद केवल राज-स्थान से लगे हुए ही नहीं हैं बल्कि पूर्वी जनपद जिसमें फर्रुखाबाद, रायबरेली, उन्नाव, जौनपुर आदि हैं । जौनपुर जो आपका जिला है माननीय मंत्री जी जहां आप छोड़कर आये हैं वहां के गांव बादशाहपुर, मछली शहर, बादलपुर, महाराजगंज आदि गांवों का पानी खारा हो गया है । (लाल बत्ती होने पर) इसमें चर्चा अभी जारी रहनी चाहिए । तो मैं कह रहा था कि प्रदेश में खारे पानी का क्षेत्र बढ़ता ही चला जा रहा है । हमारे आगरा जनपद में खारे पानी की समस्या सबसे ज्यादा है वहां के 18 ब्लाकों में से 16 ब्लाक ऐसे हैं जहां पानी बिल्कुल खारा हो गया है जैसे अछनेरा, बरोली-अहीर, अकोला, बिछपुरी, फतेहगढ़, खैरेगढ़, अहीर, जगनेरा,, खादौली आदि ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है । वह पानी ऐसा है जो जमीन के अन्दर भी नहीं समाता है । यह जो खारे पानी की समस्या है यह हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा संकट है । इस खारे पानी के क्षेत्र में जितने नलकूप लगे हैं वह धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं क्योंकि लवण कण नलों में धीरे-धीरे जम जाते हैं और वह पानी के डिसचार्ज को रोक देते हैं जिससे राजकीय नलकूप खराब हो जाते हैं ।

29 जुलाई, 1985 को मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् में एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि कानपुर के 25 राजकीय नलकूप खारी पानी के कारण खराब हो गये हैं। इसी तरीके से खारी पानी के कारण प्रदेश के जो अनेक नलकूपों पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है वह बर्बाद हो रहा है और नलकूप खराब हो गए हैं । मैनपुरी में 29 में से 12 नलकूप खारी पानी के कारण खराब

हो गए हैं, 15 नलकूप पानी का स्ट्रेटा नीचा होने के कारण खराब हो गए हैं। इस प्रकार नलकूपों द्वारा जो सिंचाई हो रही है, यह सिंचाई का साधन खारे पानी के कारण धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है, इसलिए इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और इसको रोकें।

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खारा पानी है और वहां के 303 गांवों में से 268 गांवों का पानी खारा है। वहां 22 नलकूप लगे थे जिनमें 10 फेल हो गए हैं, 7 नलकूप फेल होने जा रहे हैं जिनके सुधार की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिए सुझाव है कि आप पी0 वी0 सी0 पाइप डालकर राजकीय नलकूपों को आप बनाएं। मंत्री जी बैठे हैं मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों को सुनकर खारे पानी की समस्या को दूर करेंगे।

मान्यवर, खारे पानी से अनेक बीमारियां फैलती हैं जिनको दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है। मेरे क्षेत्र के जथो गांव में 40 वर्ष में ही स्त्री-पुरुष दोनों की कमरें झुक जाती हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं यह सब खारा पानी पीने के कारण होता है। इसी तरह से फीलपांव और कंडकोप विविध की बीमारियां हो जाती हैं। फतेहपुर जिला में 70 प्रतिशत खारा पानी है। खागा तहसील में खारा पानी पीने के कारण महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। जो संतानें पैदा होती हैं वह अपंग पैदा होती हैं। बिंदकी तहसील में कुष्ठ रोग हो जाता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ खारा पानी से फसलें झुलस जाती हैं। दलहनें कम पैदा हो रही हैं, फलदार वृक्षों के लिए खारा पानी बहुत हानिकारक होता है। खारे पानी के कारण सूखे के समय में नलकूप खराब होने से देश और प्रदेश की पैदावार गिर गयी है और लोगों के भूखों मरने की स्थिति आ गयी है और रोग फैल रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि खारे पानी के कारण क्या हैं? खारा पानी प्रदेश में इसलिए बढ़ रहा है कि आपकी औद्योगिक नीति जो है उसके अनुसार आपने जो अनेकों कल कारखाने लगाये हैं उनके अन्दर जो रसायनिक अवशिष्ट हैं वह जमीन के अन्दर अवशोषित हो रहे हैं और मीठे पानी में वह मिलने के कारण मीठे पानी को खारा बनाते जा रहे हैं। मान्यवर, गंगा नदी, जमुना नदी एवं अन्य प्रदेश की नदियों का पानी प्रदूषित हो गया है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लम्बी है, इसके द्वारा पूरे प्रदेश का 20 करोड़ मानव और 21 करोड़ पशु अपना जीवन इस नदी से पाते हैं और विदेशी वैज्ञानिकों का यह मत था कि इस नदी में अपने अन्दर अपने प्रदूषण को शुद्ध करने की शक्ति और क्षमता थी।

विदेशों में इस नदी की तारीफ की जाती थी, लेकिन मानव ने इस नदी के पानी को प्रदूषित कर दिया। प्रदूषित कितना हुआ, इसमें 2 अरब 90 करोड़ घनमीटर गन्दगी प्रवाहित होती है। इसमें 300 टन लाखों की राख और इसमें 15 सौ टन अर्द्ध जली लाशें बहाई जाती हैं। इसके अलावा लाखों साधु महात्माओं और पशुओं की लाशों को बहा कर इसे गन्दा कर दिया जाता है। मंत्री जी इसको पढ़िए। जितनी प्रदेश में नदी हैं, उनके पास जितने जनपद हैं उनका पानी खारा होता चला

जा रहा है । मसलन यमुना नदी के आसपास के यह जनपद हैं जो पहले की अपेक्षा नये जांच के अनुसार अब अधिक खारा पानी से युक्त हो गए हैं । यह मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, फतेहपुर, कानपुर देहात हैं । गंगा नदी के पास के जो इस तरह के जनपद हैं वह बदायूं, एटा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर-देहात, उन्नाव, रायबरेली, मिर्जापुर, (गोमती शारदा नदी) आजमगढ़, बेतवा (हमीरपुर) बांदा, जालौन, झांसी, व ललितपुर हैं । इसी तरह गोमती के पास के जिले, लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर हैं। तो जो नदियों के किनारे या उसके पास के जनपद हैं, उनके आसपास का पानी खारा होता चला जा रहा है । उसको रोकने के लिए प्रकृति ने स्वयं इलाज किया था । नदियों में कच्छप, मगर और घड़ियाल आदि होते थे । लेकिन आज आपकी गंगा और यमुना में एक भी कछुवा नहीं मिलेगा, सब हापुड़ में बेचने के लिए भेज दिए गए हैं ।

इसके अलावा जितने गोंददार और दूधदार वृक्ष हैं उनका भी नितान्त अभाव पैदा कर दिया गया है, यह भी प्रदूषण को काफी मात्रा में दूर करते थे । पीपल, बरगद, नीम, बबूल आदि वृक्ष पहले यहां नदियों के किनारे बहुतायत से पाए जाते थे, जो प्रदूषण को दूर करते थे । यह पहले इन नदियों के किनारे पर लगे हुए थे, हमारे देश और प्रदेश में लगे हुए थे । पीपल के पेड़ को तो देवता का रूप दे दिया गया था और उसको जीवित रखने और बढ़ाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गयी थी कि उसे रोजाना नियमित रूप से पानी मिलता रहे । आपकी भारत सरकार ने वे पेड़ खत्म कर दिए और कछूवे खत्म कर दिए और परिणामतः आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है । यह पानी जब मीठे पानी में मिलता है तो उसको सारा खारी कर देता है । जिन रसायनिक खादों का आप प्रयोग कर रहे हैं—यूरिया खाद, पोटाश की खाद, एन0 पी0 के0 खाद आदि, जब यह जमीन में दी जाती हैं खाद के लिए और जब उसमें पानी दिया जाता है, तो यह जमीन के अन्दर अवशोषित होता है और यह पानी में मिलकर उसको खारा कर देती है । जो सतही प्रदूषण हो रहा है, जहां पर सीवर लाइनें पक्की नहीं की गई हैं, उनका पानी, मलयुक्त पानी भी रिस-रिस कर इस भूमि के शुद्ध और मीठे पानी को नष्ट करता जा रहा है । आपके प्रदेश सरकार की कोई नीति नहीं है और इतनी कम संख्या में जो मीठा पानी बनता है, वह धीरे-धीरे नष्ट होता चला जा रहा है ।

प्राचीनकाल में प्रकृति द्वारा भूमि का जो भूगर्भ जल था यह मीठा था, लेकिन मानव कुकर्म ने और प्रदेश सरकार ने जो उद्योग लगवा दिए, उनका विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण बह रहा है और सीवर लाइनों का जो दूषित पानी है, उसके प्रदूषित पानी से यह नीचे जल जा रहा है और अवशोषित होता जा रहा है और मीठे पानी को खारा करता चला जा रहा है ।

इन सब बातों के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसका निराकरण कैसे हो सकता है । इंगलैंड में टेम्स नदी और पश्चिम जर्मनी में राइन नदी का पानी बहुत खराब हो गया था । 1963 में वहां की सरकार ने इस पानी को साफ कर दिया । राइन नदी का पानी तो इतना खराब हो गया था कि उसमें तैरना पाप समझा जाता था । और उसमें नहाना आत्महत्या करने जैसा काम माना जाता था । लेकिन वहां की सरकार

ने नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका आदि देशों को मिलाकर एक आयोग बनाया और सबसे थोड़ा-थोड़ा योगदान करके वैज्ञानिकों की मदद से इन नदियों का प्रदूषण ठीक कर दिया । अभी तक हमारे देश ने जो इस संबंध में आयोग बनाया है उसके सदस्य भी नहीं बने हैं । आप करोड़ों रुपयों को खर्च करके गंगा के प्रदूषण को दूर कर रहे हैं लेकिन आप इस प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जल परिवहन के द्वारा फिर प्रदूषण बढ़ता जायेगा ।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका में एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि जो सतही प्रदूषण है उसको रोकने के लिए गड्ढे, टैंक आदि बनाये जायेंगे । इस उत्तर प्रदेश सरकार का शुरू-शुरू में जब दिमाग ठीक था तो गांवों में खाद आदि के गड्ढों को पक्का कराने का काम किया था जिसमें गंदा पानी भूमि में अवशोषित नहीं हो सकता था । लेकिन बाद में आप सत्ता के मद में सब बातें भूल गये और यह काम बंद हो गया । मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि सतही प्रदूषण को दूर करने के लिये गांव-गांव में खाद आदि के गड्ढों को पक्का करवा दीजिए विदेशों में यह नियम है कि वहां पर कोई कारखाना जब लगाया जाता है स्विटजरलैंड में कोई कारखाना लगाने से पहले वहां की सरकार जब इसको इजाजत देती है, जब उस कारखाने द्वारा प्रदूषण को रोकने का प्लांट पहले लगा लिया जाता है । लेकिन हमारी निकम्मी सरकार और जो इसका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वह प्रदूषण को दूर करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है । आगरा के प्रदूषण के संबंध में कई बार सवाल उठाये हैं लेकिन वहां पर अनेकों कारखाने चल रहे हैं और पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी मिल मालिकों से मिले हुए हैं और वह प्रदूषण को दूर करवाने के लिये कोई कार्य नहीं कर रहे । हमारे यहां एक पार्क लेदर फैक्टरी है जिसके कारण रुनकता ग्राम समूह पेयजल योजना का पानी खराब हो गया है । इसी तरह से तमाम कारखाने आगरा में हैं लेकिन प्रदूषण को दूर करवाने में बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है । आप इन अधिकारियों को निलम्बित कर दीजिए लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है । जब तक पानी का प्रदूषण दूर नहीं होगा और यह प्रदूषित पानी भूमिगत पानी में मिलता रहेगा तब तक जो दलहन की फसलें नष्ट होती जा रही हैं उनको नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका भाषण जारी रहेगा ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मुझे बोलने दीजिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, बदन सिंह का भाषण जारी रहेगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत गम्भीर प्रश्न उठाया है । लेकिन मैं आपके माध्यम से एक जानकारी चाहता हूं माननीय रघुबर दयाल वर्मा और माननीय राणा जी शायद इसका जवाब दे सके ।

मान्यवर, माननीया श्रीमती दीपा कौल जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था, उसका जवाब माननीय बदन सिंह ने दिया था और आज जब श्रीमती पद्मा सेठ जी यहां पर हैं तो भी उनके मुकाबले में बदन सिंह जी हैं । क्या ये महिला विशेषज्ञ हो गये हैं, जो माननीय बदन सिंह को महिलाओं के मुकाबले लगाया जाता है ?

(हंसी)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना सत्य नहीं है कि मैंने श्रीमती दीपा जी का उत्तर दिया था । मैंने तो श्रीमती प्रेमिला बद्धवार जी का उत्तर दिया था । मैं मान्यवर, महिला विशेषज्ञ नहीं हूं वह तो आप हैं, परन्तु मैं महिला मंत्रियों के द्वारा रखे हुए मामले का उत्तर देने में सक्षम हूं और महिलाओं में उत्पन्न सभी प्रदूषणों को दूर करने की क्षमता रखता हूं । लेकिन सरकार में आप बैठे हुए हैं, आप भी किसी का प्रदूषण दूर करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यहां पर जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इसको दूर करने का कोई उपाय कराया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह का भाषण जारी रहेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से चौथी और पांचवीं सूचना माननीय रघुबर दयाल वर्मा और श्री विजय सिंह राणा की, आगरा जनपद के जिला योजना कार्यालय के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुमोदित धनराशि में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, स्वीकार की गयी, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं ।

श्री दिनेश सिंह द्वारा सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाये जाने के संबंध में निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

आज अपराह्न लगभग 12-45 बजे जब श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा, फैजाबाद अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बोल रहे थे, दर्शक दीर्घा नं0 1 से एक व्यक्ति, जिसने अपने नाम पूछताछ पर दिनेश सिंह पुत्र श्री तेज राम सिंह, निवासी ए-54, इन्दिरा नगर कालोनी, आवास विकास परिषद्, रायबरेली बतलाया । अपने बैठने के स्थान से अचानक उठ खड़ा हुआ और "अखिलेश सिंह जिन्दाबाद" "पुलिस जुर्म बन्द करो" के नारे लगाये तथा साइक्लोस्टाइल किये हुए कुछ पर्चे सदन में फेंके । जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ । उक्त व्यक्ति को दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया और नारे लगाने से रोका तथा दीर्घा से हटा दिया । इस समय वह व्यक्ति मार्शल की अभिरक्षा में है। उक्त व्यक्ति के पास से 11 से 1 बजे की पाली की दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र संख्या 5100 प्राप्त हुआ, जो मा0 सदस्य श्री हृदय नारायण दीक्षित (उन्नाव) की संस्तुति पर जारी किया गया है। उक्त व्यक्ति के द्वारा फेंका गया पर्चा जो सदन

में प्राप्त हुआ, उसके पास से टीर्घा प्रवेश-पत्र तथा माननीय सदस्य श्री हृदय नरायन (उन्नाव) का मूल संस्तुति पत्र इस टिप्पणी के साथ संलग्न है ।

उपरोक्त व्यक्ति ने विशिष्ट दीर्घा से नारे लगा कर तथा पर्चे फेंक कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया है। यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है। इस समय वह व्यक्ति मार्शल की अभिरक्षा में है । ऐसे उछृंखल व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देना समीचीन न होगा । अतः यदि सदन सहमत हो तो उक्त व्यक्ति को आज के उपवेशन की समाप्ति तक मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय और इसे पर्याप्त दण्ड मानते हुए तदुपरान्त उसे छोड़ दिया जाय। इससे सदन सहमत है ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सदन के कार्य में यदि कोई व्यवधान डाले, तो वह सदन की अवमानना भी है। परन्तु जो समस्यायें लोगों को चिंतित कर रही हैं, उनके घर के लोगों को जेल में भर दिया, हत्या कर दी, उनके बारे में हमने यहां पर सवाल उठाया और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो क्या परेशान होकर उसके परिवार के लोग ऐसा नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो व्यवस्था आपने दी है, उस पर सदन की सहमति हासिल कर ली जाय ।

(सदन ने सहमति व्यक्त की)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत "मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्याविधि नियम" के नियम-1 के खण्ड (क) में संशोधन का संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत " मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्याविधि नियम" के नियम 1 के खण्ड (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची में क्रम संख्या–2 के सामने स्तम्भ 2, 3 और 4 में क्रमशः शब्द "शरणार्थी", अंक "16" और अंक "4" को निकाल दिया जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्याविधि नियम" के नियम-1 के खण्ड (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची में

क्रम संख्या–2 के सामने स्तम्भ 2, 3 और 4 में क्रमशः शब्द "शरणार्थी", अंक "16" और अंक "4" को निकाल दिया जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 4 अप्रैल, 1988 की अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1–दिनांक 7 एवं 12 अप्रैल, 1988 को सदन की बैठकें न हों और दिनांक 5, 6, 11, 25, 26, 27 एवं 28 अप्रैल, 1988 को उसकी बैठकें हों ।

2–सदन के दिनांक 5 अप्रैल, 1988 से 28 अप्रैल, 1988 तक के कार्य-क्रम को निम्न प्रकार से रखा जाय :

अप्रैल, 1988	
5 मंगलवार	1–लम्बित असरकारी विधेयक । 2–प्रदेश में चीनी मिलों में प्रति क्विंटल चीनी के उत्पादन लागत एवं गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य में विसंगति के सम्बन्ध में चर्चा–एक घंटा । 3–उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पर विचार एवं उसका पारण ।
6 बुधवार	1–असरकारी संकल्प । 2–जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किये जाने के संबंध में एक घंटे की चर्चा ।
7 गुरुवार 8 शुक्रवार 9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार	1–असरकारी संकल्प 2–अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन पर विचार–आधा घंटा ।
12 अप्रैल से 24 अप्रैल, 1988 तक	बैठक नहीं होगी ।
25 सोमवार	असरकारी विधेयक ।

26 मंगलवार

1–विधायी कार्य।

2–श्री रघुबर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा का निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"इस सदन की संस्तुति है कि प्रदेश में काश्तकारों के निजी नलकूपों को वर्षाकाल के माहों के बिजली के न्यूनतम चार्ज से मुक्त किया जाय।"

3–श्री लाल प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा का निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों को, जिनसे सामाजिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, प्रतिबन्धित किया जाय।"

27 बुधवार

1–असरकारी विधेयक ।

2–अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन, 1979 पर एक घंटे की चर्चा ।

28 गुरुवार

1–असरकारी दिवस ।

2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अक्सर पड़ने वाले सूखा और घाघरा, सरयू, गोमती और उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाले नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति का स्थायी समाधान हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो गठित होने के 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को दे दें।"

3–श्री राम सजीवन सिंह, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि पर्वतीय क्षेत्र की भांति बुन्देलखण्ड के पांच जिलों—बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर एवं जालौन के विकास हेतु विशेष अनुदान की भारी धनराशि स्वीकृत करके बढ़ रहे क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाये जायं ।"

4–प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या पर एक घंटे की चर्चा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्यमंत्रणा की सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है, यह सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद आगरा में थाना डौकी के ग्राम नूरपुर में श्री प्यारे लाल के मकान पर सशस्त्र डकैतों द्वारा की गई लूट के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार थाना डौकी के अन्तर्गत ग्राम नूरपुर में दिनांक 19/20 फरवरी, 1988 की रात्रि में करीब 11 बजे 14/15 सशस्त्र डकैतों ने श्री प्यारे लाल पुत्र बुद्धू निषाद के मकान पर हमला कर लूटपाट की। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बड़े साहस से तीन डकैतों- दूषा उर्फ दुशासन, सुरेश उर्फ महेश व ब्रह्मा उर्फ ब्रह्मदेव को मौके पर लाठी डण्डों से मार डाला। डकैतों से मुकाबला करते समय गांव के 6 आदमी घायल हो गये। 2 भैंसें भी घायल हुईं जिनमें एक की बाद में मृत्यु हो गई। डकैतों के कब्जे से एक रायफल, एक हाथ की बनी इकनाली 315 बोर की अद्धी, कपड़ा आदि बरामद हुये थे। रवी उर्फ छोटू पुत्र शिवचारन डकैत हाजिर अदालत हुआ तथा राधेश्याम पुत्र सरदार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पप्पू पुत्र गंगा सिंह, राधेश्याम पुत्र भवानी, तथा कोमल गड़रिया फरार हैं। इनकी तथा अन्य डकैतों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

शेरखा के ग्राम प्रधान श्री जुगेन्द्र सिंह की हत्या, जो दिनांक 4-10-87 को हुई थी, के अपराध में अभियुक्तगण दूषा उर्फ दुशासन एवं पप्पू पुत्रगण गंगा सिंह ठाकुर नि0– खेड़िया के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई। अभियुक्तगण रामस्वरूप व कुबेर सिंह दिनांक 13-10-87 को न्यायालय में हाजिर हुये। तत्पश्चात सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 3-11-87 को न्यायालय भेजा गया।

दिनांक 28-3-86 को अभियुक्तगण बनवासी पुत्र घूरेलाल व मुरारी पुत्र पूरन लाल ने अपने ही ग्राम के बल्ली सिंह पुत्र राम सिंह को कट्टों से फायर करके चोटें पहुंचाईं। इस अभियोग में प्रश्नगत गैंग प्रकाश में नहीं आया था। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दि0 12-4-86 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 20/21-6-87 की रात्रि में नगला हरसुख, थाना खंदौली में बंगाली सिंह की लड़की की शादी में बारात जनपद धौलपुर (राजस्थान) से आई थी। रात्रि में बारात के लोग जब नौटंकी देख रहे थे तो एक श्री गोविन्द राम की लाइसेन्सी रायफल मय कारतूस, जिसे उन्होंने एक चारपाई पर छोड़ दिया था, चोर चारपाई से उठा कर भागे। उनका पीछा करने पर बदमाशों ने फायर कर दिया। विवेचना से यह रायफल दूषा उर्फ दुशासन पुत्र गंगा सिंह द्वारा चोरी करना पाया गया। उसके विरुद्ध दं0प्र0सं0 की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और मफरूरी में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 10-11-87 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

यह कहना गलत है कि थाना खंदौली व बरहन की पुलिस का इस गिरोह से कोई समझौता था ।

अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती रही है। ग्राम नूरपुर में ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु एक सशस्त्र गार्ड व अस्थायी तौर पर 4 कान्स्टेबिल नागरिक पुलिस थाने से तैनात कर दिये गये हैं। यह कहना गलत है कि शेष डकैतों द्वारा ग्रामवासियों को धमकी दी जा रही है। ऐसा कोई प्रमाण-पत्र आदि भी ग्रामवासियों ने प्रस्तुत नहीं किया है। ग्राम नूरपुर के निवासियों में से कुछ उपयुक्त व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स दिए जाने तथा डकैतों को मारने वाले युवकों को पुरस्कृत करने एवं ग्राम नूरपुर से करीब डेढ़ कि0मी0 दूर ग्राम बरौली गूजर में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। किसी थानेदार द्वारा डकैतों को संरक्षण देने का आरोप सही नहीं पाया गया ।]

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक बात जो उन्होंने स्वयं इसमें मानी है कि 14-15 सशस्त्र डकैतों ने श्री प्यारेलाल के यहां डकैती डाली। मान्यवर, आप ध्यान दें। आपने यह स्वयं माना है कि 15-14 डकैतों ने डकैती डाली और मान्यवर, आप स्वयं इस बात को भी कह रहे हैं कि राधेश्याम डकैत को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेजा। यह दोनों बात सच हैं जो आपने स्वीकार की हैं और इसमें जो आप डकैत बता रहे हैं, उसमें आप देखें कि रती ने समर्पण कर दिया और राधेश्याम को पकड़ लिया राधेश्याम पुत्र भवानी फरार है। तो आपने उन 14-15 डकैतों में से केवल 5 के नाम देखें हैं। दूसरी बात यह कि जिस समय राधेश्याम को पुलिस ने खुद पकड़ा, डकैती डालने के तत्काल बाद पकड़ा गया। उसको एतमादपुर थाने में रात भर रखा और जेल भेज दिया। कुल 14-15 व्यक्तियों ने उन सभी डकैतों के नाम उससे क्यों नहीं पूछे गये। उसे जेल भेजने की जल्दी क्या थी? क्या केवल इसलिये जेल भेजने में जल्दी की कि ताकि पुलिस संरक्षण में पल रहे डकैती का पर्दाफास न हो जाय डकैती डाली। उस समय भी मेरा यही आरोप था और जो सूचना थी उसमें भी यह आरोप था कि राधेश्याम को पकड़ा और दिन भर थाने में रखा और बिना कोई सूचना के उसको जेल भेज दिया। 15 आदमियों की बात पुलिस ने स्वयं स्वीकार की है तो उनके नाम न आने का क्या कारण है? जब राधेश्याम को एट दि स्पाट पकड़ा हुआ दिखाया गया तो उससे उन 15 व्यक्तियों के नाम न जानने का क्या कारण है? इसका जवाब दे दें तो दूसरा सवाल पूछूं।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस डकैती की चर्चा कर रहे हैं उसमें 6 आदमी घायल हुए और 3 व्यक्ति मृत हुए। राधेश्याम गिरफ्तार हुआ और रवी अदालत में स्वयं हाजिर हो गया और 3 आदमी फरार हैं और बाकी डकैतों के बारे में जानकारी की जा रही है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यहां इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 14-15 आदमियों ने डकैती डाली। दूसरी बात इन्होंने स्वीकार की है कि रवी हाजिर हो गया, और राधेश्याम को एट दि स्पाट पकड़ा गया। तो रवी तो हाजिर हुआ और राधेश्याम डकैत पकड़कर थाने में रखा गया तो एक आदमी डकैती में पकड़ा गया तो उससे बाकी 14-15 व्यक्तियों के नाम न जाने का क्या कारण है ? केवल 5 ही आदमियों के नाम क्यों हैं। उन्हीं का नाम बार-बार क्यों आ रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप स्पष्ट सवाल पूछें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि आप अपना संरक्षण दें, इसमें 14 आदमियों की बात कही गयी और नाम दिये गये केवल 5 आदमियों के । हमारा कहना है कि जब 14-15 लोगों ने डकैती डाली और उसमें से एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया तो उससे 15 नाम न जानने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्भवतः इसमें मा0 सदस्य को कुछ भ्रम है। जो आदमी पकड़ा गया, उसने जो नाम बताए, पुलिस द्वारा उनकी जांच की गयी। उसने जो 5 नाम बताए उनको गिरफ्तार किया गया, एक खुद हाजिर हो गया और 3 फरार बताए गये। बाकी नाम उसने नहीं बताये हैं, लेकिन पुलिस उसका पता लगा रही है। गांवों वालों ने डकैतों से मुठभेड़ की, उस मुठभेड़ में गांव के तीन निवासी मारे गये। गांव वालों ने ही बताया कि लगभग 14-15 आदमी रहे होंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अब आगे सवाल क्या पूछूं। छोटा सा सवाल है माननीय राणा साहब का । राधेश्याम मौके पर पकड़ा गया, आपने स्वीकार कर लिया। स्टेटमेन्ट में भी आपने कहा कि 14-15 डकैत थे। माननीय राणा जी ने जब कार्यस्थगन का मामला यहां रखा था तो उन्होंने अपनी बात में कहा था कि 14-15 डकैत थे, 14-15 लोगों ने डकैती डाली, सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया । एक डकैत मौके पर पकड़ा गया, यह साफ जाहिर है कि उसने 14-15 लोगों के नाम जरूर बताये हैं राधेश्याम ने। आपके स्टेटमेन्ट से भी यह जाहिर होता है। अब इसमें 5 नाम दिये गये, बाकी दस नाम कैसे गायब हो गये। इसमें पुलिस दोषी है। पुलिस मिली हुई है डकैतों से । जिन पुलिस के अधिकारियों ने बाकी नामों को छिपाने की कोशिश की है, क्या उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि गांव वालों ने डकैतों से मुठभेड़ की । उन्हीं लोगों ने बताया कि उनकी तादाद 14-15 के लगभग रही होगी । राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया, रवि अदालत में हाजिर हो गया, तीन नाम जो बचे, वह फरार हैं । बाकी नाम उन्होंने बताये नहीं या तो पहचाना नहीं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप संरक्षण दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने अपने स्टेटमेंट की पहली लाइन में लिखा है प्राप्त सूचनानुसार, आपको गांव वालों ने सूचना दी उसके अनुसार यह है या विभाग की सूचना है? यह बता दें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि डकैतों की गांव वालों से मुठभेड़ हुई, गांव वालों ने ही बताया कि लगभग 14-15 आदमी रहे होंगे . . . .

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय गृह मंत्री जी एक मिनट जरा सा। मान्यवर, हम न माननीय गृह मंत्री जी से कोई बड़ा सवाल नहीं करना चाहते हैं। यह जो प्राप्त सूचनानुसार लिखा हुआ है, यह सूचना किसके आधार पर है? पुलिस के आधार पर है, गांव वालों की सूचना के आधार पर है, आपके डी0 एम0 एस0 एस0 पी0 की सूचना के आधार पर है? यह बता दें तो आगे प्रश्न किया जाय ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि गांव वालों ने ही सूचना दी कि डकैत लगभग 14-15 की तादाद में रहे होंगे, जिनसे उन्होंने मुठभेड़ की है।

श्री विजय सिंह राणा

मान्यवर, यह गांव वालों की सूचना को इस सदन में रखेंगे या अपने विभाग की सूचना को यहां पर रखेंगे ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

रवी उर्फ छोटू पुत्र शिवचरन यह हाजिर अदालत किस दिन हुआ तथा डकैती में यह शामिल था यह कब प्रकाश में आया? यदि इसका नाम प्रकाश में पहले आ गया हाजिर अदालत होने के बीच के अंतराल में उसके घर की कुर्की की गयी या नहीं ? दूसरे, इनमें मुठभेड़ में डकैतों से कुछ गांव वाले घायल हो गये । आप प्रशंसा पत्र देने या लाइसेंस देने की बात कब तक अपने विचार में रखेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह रवी किस दिन हाजिर अदालत हुआ, उसकी सूचना नहीं है । तीन आदमी फरार हैं। मान्यवर, इसमें जो और बाकी लोग हैं, उनके बारे में जानकारी पुलिस बराबर कर रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस डकैतों से मिली हुई है। सरकार ने स्टेटमेन्ट में ऐसा ही कुछ स्वीकार भी कर लिया है। चार संदर्भों में यह उत्तर है।

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी बैठें। माननीय गुप्त जी अपना प्रश्न कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो डकैत इस घटना में वांछित हैं, उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 19-20 फरवरी की घटना होने के बाद पुलिस ने उनको पकड़ने का क्या प्रयास किया है और सामान्य प्रक्रिया 82-83 जो की जाती है, उन तीनों के खिलाफ 82-83 की प्रक्रिया की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? और जो पुलिसकर्मी इन लोगों को पकड़ने में देर कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जिस किसी भी पुलिसकर्मी की ढिलाई पायी जायेगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि 82-83 की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी जबकि तीन सन्दर्भों में सरकार ने बड़ी तत्परता से कार्यवाही की है। अगर आप नहीं बता सकते तो हमारे सवाल पूछने का औचित्य क्या है? माननीय बदन सिंह जी भी इससे सहमत होंगे। मैं कहता हूं कि जब इस सवाल का जवाब न आ जाये, तब आगे कोई सवाल न पूछा जाये।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सूचना के आधार पर उन पर 82-83 की कार्यवाही नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में मैंने कहा है कि 82-83 की कार्यवाही जो नहीं की गयी है और उसके आगे जो कार्यवाही होनी चाहिये, जो अब तक नहीं की गयी है, उन सब पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीणों ने डकैतों से जो मुकाबला किया, उन गांव वालों के पास कोई हथियार नहीं था। केवल डन्डों से ही उन्होंने तीन डकैतों को मार डाला जो बहुत कुख्यात डकैत थे और जिन पर हत्याओं के काफी जुर्म हैं, उनसे ग्रामीणों ने रायफल छीन ली और उनकी एकनाली बन्दूक भी छीन ली। आप उन व्यक्तियों को, जिन्होंने डकैतों को मारा है, किस प्रकार से सम्मानित करेंगे तथा उनको हथियार देंगे या किसी अन्य प्रकार से सम्मानित करेंगे तथा उनकी भैंसों की कीमत न देने और उन्हें अब तक सम्मानित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, ग्रामवासियों ने साहस का परिचय दिया है और डकैतों को मार डाला। उनको पुरस्कृत करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। जो सरकारी नियम है, उसके मुताबिक उनको पुरस्कृत किया जायेगा। इसमें 5-5 हजार रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने के आदेश किये गये हैं। दूसरी बात यह कि उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये वहां पर गार्ड लगा दिये गये हैं और जैसा कि आपने पुलिस चौकी बनाने की बात कही है। इस संबंध में पुलिस चौकी का प्रस्ताव मांगा गया है और जिन प्रमुख व्यक्तियों ने डकैतों का मुकाबला किया है, उन लोगों को हथियार का लाइसेन्स देने के लिये उनके प्रार्थना-पत्र मंगाये गये हैं। इसके अलावा डकैतों को संरक्षण देने की जो बात यहां पर कही गयी है, इसकी जांच कराई जायेगी और जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे, उन्हें अवश्य दंडित किया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इसमें स्वयं थोड़ा सा विवेक लगायें और इजाजत दें। जो कार्यवाही यहां पर हो रही है, वह मुझे मालूम है और सभी को मालूम है। हम किसी बात को यहां पर पूछते हैं, वह इसीलिए कि सही तथ्य सामने आ जायें। यह जिस दिन डकैती पड़ी और इसमें डकैत मारे गये। यह पूरा 14-15 आदमियों का एक गिरोह था, जो पिछले 4 सालों से खदौली, बरहन, एतमादपुर आदि क्षेत्रों में सक्रिय था। इस गिरोह के ऊपर लगभग 50 हत्यायें, डकैती, लूट, राहजनी आदि के केस दर्ज हैं और 3 साल से हम बराबर यहां पर कहते रहे हैं कि यह डकैतों को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। हमने यह भी कहा था कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राणा जी मैं आपको भाषण करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप केवल प्रश्न कीजिए।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे प्रश्न करने दीजिए। हमारा खुला आरोप था कि पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। राधेश्याम को जब पकड़ा गया तो उसे 24 घण्टे थाने में रखा गया तो फिर उससे उन 15 लोगों के नामों को न जानने का क्या कारण है। दूसरा, हमारा यह आरोप था कि एत्मादपुर, खदौली, बरहन आदि थानों की जो पुलिस इन्हें संरक्षण दे रही है, इन अपराधियों के खिलाफ उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है और इस गिरोह के विरुद्ध थानों में कितने केश दर्ज हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह सही नहीं है कि पुलिस डकैतों को संरक्षण दे रही है। माननीय सदस्यों ने जिन 4 घटनाओं का उल्लेख किया है। 20/21 की रात्रि में नगला हरसुख में जो घटना हुई थी, जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया था वह मर गया था, शेष के खिलाफ मुकदमा दर्ज है 10-11-1987 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। 14-10-1987 की हत्या का जो मा0 सदस्य उल्लेख किया है उसमें भी 3-11-1987 को आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। जो-जो सूचनायें आपने दी हैं, उन पर कार्यवाही हुई है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, रवी उर्फ छोटू पुत्र शिवचरन, पप्पू पुत्र गंगा सिंह आदि जिन डकैतों के नाम दर्ज किये गये हैं, उनकी कुड़की न करने का क्या कारण है और उनके फरार होने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं । 83-84 में कुड़की की जो कार्यवाही नहीं की गई है, इसके लिए जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसकी जांच कराकर, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जांच किससे करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जिस अधिकारी से आप चाहेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

किसी डी0 आई0 जी0 को लखनऊ से आप भेजें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

ठीक है, डी0 आई0 जी0 से जांच करा ली जायेगी ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के संचालक मण्डल के सभापति/संचालक के पद पर सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किये जाने तथा फैजाबाद के केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के संचालक मण्डल में अनर्ह सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किये जाने एवं प्रदेश की सहकारी समितियों में 300 करोड़ रुपये से अधिक के गबन और घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

[शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-34 के अन्तर्गत प्रदेश के 22 जनपदों में नहीं बल्कि 19 जनपदों में 20 भण्डारों के संचालक मण्डल में सभापति/संचालक के पद पर भण्डारों में लगी शासकीय अंशपूंजी के आधार पर नियमानुसार सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। जनपद देवरिया में दो भण्डारों में नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । नाम निर्दिष्ट किये जाने की यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत नियमानुसार शासकीय धनराशि एवं सम्बन्धित केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के हित में की गयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–फैजाबाद के केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, फैजाबाद में दिनांक 18-2-88 को शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये सभापति श्री विश्वनाथ सिंह तथा दो संचालक श्री बालकृष्ण गोस्वामी एवं श्री सरदार महेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1965 के नियम–453 (1) (ङ) के अन्तर्गत अनर्ह होने के कारण जांचोपरान्त संचालक मण्डल से हटा दिया गया है। श्री विश्वनाथ सिंह, जिन्हें शासन द्वारा सभापति के पद पर नाम निर्दिष्ट किया गया था, के संबंध में उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68(1) के अंतर्गत जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

3–समस्त सहकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षा संगठन द्वारा करने पर दिनांक 30-6-87 तक अवशेष 1,65,840 आपत्तियों में 1,53,25,97,000 रु0 की धनराशि सन्निहित थी जिसमें अपहरण की धनराशि 39,95,87,000 रु0 मात्र है तथा शेष धनराशि वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त 1,53,25,97,000 रु0 की धनराशि में लगभग 11,30,10,000 रु0 केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से सम्बन्धित है।

वित्तीय अनियमितताओं के प्रकाश में आने के फलस्वरूप 1,604 सहकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सहकारी पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी और इनमें से 1,436 कर्मचारियों को दण्डित किया गया। अपहरण के मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही हेतु पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा (सह0) का वर्ष 1972 में सृजन किया गया था। इस शाखा द्वारा 31-12-86 तक 7,197 अभियोगों की विवेचना की गयी जिसमें से 6,213 अभियोग न्यायालय को निर्णय हेतु भेजे गये तथा 1,615 अभियोग न्यायालय द्वारा निर्णीत किये गये। इन 1,615 अभियोगों में से 1,082 मामलों में अभियुक्तों को दण्डित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि 1972 से दिसम्बर, 1986 तक 2,98,98,000 रु0 की अपहरित धनराशि अभियुक्तों से जमा करा ली गयी तथा वर्ष 1987 में 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 32 अभियुक्तों को सजा दी गयी तथा 81,802 रुपया आर्थिक दण्ड किया गया।

ज्ञातव्य है कि अधिकतर आडिट आपत्तियां प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं। उक्त के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में दो चीजें कही हैं। हमने नोटिस में कहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम नहीं उठाती, जिसके कारण कोआपरेटिव संस्थाओं में 300 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1 अरब 53 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये के गबन का मामला संज्ञान में आया है। 1 लाख 65 हजार 840 आपत्तियां आडिटर्स ने की हैं, वह किन-किन सोसाइटियों की हैं और कितनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जो आपने प्रश्न किया था, उसी के आधार पर यह बताया गया कि 30-6-87 तक इतनी आपत्तियां थीं जिसके अन्तर्गत इतनी धनराशि का नियमन था या धनराशि सन्निहित थी । उसके अन्दर जो अनियमितायें थीं उसका भी जवाब उत्तर में दे दिया गया है । लगभग 40 करोड़ रु0 की जो धनराशि है, वह अनियमितताओं के अन्तर्गत आती है, जिसके बारे में यह कार्यवाही और जांच हो रही है, जिसके बारे में अभी भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है । यह सम्पूर्ण रूप से सारी सहकारी संस्थाओं की जो अभी तक रिपोर्ट आयी है (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

संख्या बता दें ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

संख्या अभी उपलब्ध नहीं करा सकता । अब तक के सारे प्रकरण की जो फाइनान्सियल रिपोर्ट आयी है, उसका मूल रूप से उदाहरण आपके सामने रखा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

फैजाबाद में जो नामीनेशन हुए थे, उसके संबंध में विशेष रूप से यह सवाल पूछा था, माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है कि 28-11-87 को फैजाबाद के केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार का निरीक्षण क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 ने किया था और उसमें उनकी जानकारी में यह बात आ गयी थी कि जो पहले का संचालक मण्डल था उसके जमाने में करीब 10 लाख रु0 का गबन और अनियमितता हुई थी, जिस सम्बन्ध में इसे भंग कर दिया गया था । इस जानकारी के बावजूद 18-2-88 को उसी संचालक मण्डल के लोगों की पुनर्नियुक्ति कर दी गयी, अध्यक्ष ऐसे आदमी को बना दिया गया, जो माननीय मंत्री जी की पार्टी के तो जरूर हैं, लेकिन जिनके विरुद्ध सहकारिता कानून की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही भी विचाराधीन थी । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हीं व्यक्तियों को आपने नामित कर दिया जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे और संचालक मण्डल को आपकी ही सरकार ने भंग किया था । जब 7 मार्च को मामले की नोटिस दी और आपने वक्तव्य के लिये निर्देशित कर दिया, तब इन्होंने बाद में राज्यपाल महोदय से अधिसूचना जारी कराके 3 आदमियों को निकलवा दिया लेकिन 2 आदमी श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल और श्री राजीव लोचन, आज भी उसी संचालक मण्डल में हैं, जिनके खिलाफ 10 लाख रु0 की शिकायत थी । मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस तरह के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की सरकार की क्या विवशता है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ऐसी कोई विवशता नहीं है, जैसी माननीय तिवारी जी जानना चाहते हैं । यह सही है कि पहले पुराना संचालक मण्डल था, कुछ लोग प्रक्रिया में चयनित हो गये थे, जिनको हटा दिया गया है । (श्रीमती शारदा देवी को श्री गोपीनाथ दीक्षित के पास बैठकर बात करते हुए देखकर)

श्री जयदीप सिंह धरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्या कहीं गृहमंत्री जी को चूड़ियां तो नहीं पहना रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आज चूड़ियों का प्रश्न नहीं है, वे कुछ बात कर रही हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

चूड़ियां तो बरेली भेजी जा रही हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जाहिदी जी परेशान हैं कि उनको क्यों नहीं पहनाई जा रही हैं ?

(हंसी)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह तो सीतापुर से भेजी गयी हैं ।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सही है कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता में अध्यक्ष को नामांकित करने का अधिकार है । लेकिन इस नामांकन के संबंध में यह बात कहना चाहता हूं नामांकन प्रदेश के सभी जिलों से न होकर केवल 19 जिलों को ही चयनित करने का क्या कारण है ? चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी तब आपने यह नामांकन किये, यदि चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी तो आप उन पदों को रिक्त रखते और बाद में नामांकन करते ? आपने 19 जिलों को ही प्रभुत्व कायम रखने के लिये नामांकन में क्यों चयनित किया ? कार्यस्थगन के प्रस्ताव में मुख्य रूप से फैजाबाद तथा सीतापुर का नाम था। सीतापुर में जिस व्यक्ति को आपने सभापति के पद पर नामांकित किया है वह पहले से ही वहां प्रशासक था और उन्होंने समिति के सदस्यों की जो सूची बना कर दी थी, उनके द्वारा जो सूची में नामांकन किया गया था उसमें काफी गड़बड़ी पायी गयी थी । इस कारण से शासन की ओर से प्रथम सूचना भी पुलिस में दर्ज करायी गयी थी तो फिर ऐसे व्यक्ति का नामांकन किये जाने के पीछे क्या कारण थे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, ऐसी कोई मंशा नहीं थी जैसा कि मा0 गुप्ता जी ने कहा है । अंश पूंजी के आधार पर नामिनेट किया जाता है । सीतापुर के बारे में जो मा0 सदस्य ने कहा है, यह मेरे संज्ञान में नहीं है, इसको हम दिखवा लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंश पूंजी जिनकी लगी हुई है उनको नामांकित करना आवश्यक है । आज तक यह परम्परा रही है कि जैसे सहकारिता में चीनी मिलें भी आती हैं, उसमें सरकार ने अपने हितों को देखते हुए डाईरेक्टरों का नामांकन किया है । उसमें सभापति, उप सभापति चुनाव के मामले में अपना मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार की अंशपूंजी लगी हुई है, उसके हित के लिये करते है । तो सारी परम्पराओं को तोड़ कर सभापति के लिये किसी व्यक्ति का नामांकन किया जाना, इससे चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होती है । जो लोग नामांकित किये गये, कुछ लोग वर्षों से प्रशासक चले आ रहे हैं और जनता ने चुनाव में हरा दिये हैं तो इनको छोड़ कर क्या आपके पास कोई साफ सुथरी छवि के आदमी नहीं थे जिनको कि आप नामांकित कर सकते ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ऐसी बात नहीं है जैसा कि माननीय बरार साहेब ने कहा है । शासन अंश-पूंजी के आधार पर नामित करता है और यह उनका अधिकार होता है, उनको उनके अधिकार से वंचित रखना, यह कैसे किया जा सकता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ घोटाला होता है उससे आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं और सभी माननीय सदस्य भी परिचित हैं । दण्ड की प्रक्रिया में जो दण्ड हो सकता है उसे भी शिथिल कर दिया जाता है। हमारे समय के तीन पर्यवेक्षक थे जिनको टरमिनेट किया गया था और अब फिर वही बहाल हो कर हमारे सिर पर आ गये हैं । आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 1082 मामले में अभियुक्तों को दण्डित किया गया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी प्रक्रिया से इनको दण्डित किया गया है कहीं टरमिनेशन के बाद वह फिर तो नहीं ले लिये जायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

अलग-अलग व्यवस्थाओं में अलग-अलग दण्ड के प्राविधान हैं लोग जेल भी गये हैं, टरमिनेट भी हुए हैं और सस्पेण्ड भी लोग हुए हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

संख्या तो बता दें कि कितनों को दण्डित किया गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

1436 कर्मचारियों को दण्डित किया गया है, यदि इनकी सूची भी आप चाहेंगे तो वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

फिर तो सेवा में वापस नहीं ले लिये जायेंगे यह सब ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

यह तो एक प्रकार की प्रक्रिया है, दोष सिद्ध हो गये तो बाहर कर दिए गये नहीं सिद्ध हुए तो वापस भी आ सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले भी एक सवाल किया था, जिसका उत्तर मा0 मंत्री जी ने पूरे तौर पर नहीं दिया था और जो बात मैंने पहले कही थी, उस संबंध में मा0 मंत्री जी ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में होने के बाद भी सदन में कभी-कभी संज्ञान में बात नहीं ली जाती है। इसलिए मैं फिर अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो जानकारी मैंने दी है, अगर वह आरोप सत्य पाये जायें तो क्या संबंधित लोगों को बर्खास्त करने की कृपा करेंगे और दूसरी बात यह है कि नामांकन का अधिकार पूरा-पूरा सरकार को तो अवश्य है, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गयी उसके बाद नामांकन करने के क्या औचित्य है अगर नामांकन करना ही था तो पहले भी किया जा सकता था और अगर किसी प्रकार से यह संभव नहीं था तो उन स्थानों के पद रिक्त रखे जा सकते थे, ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मा0 गुप्त जी स्वतः जानते हैं कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, यह सारी चीजों को जानते हुए भी अनभिज्ञ बन रहे हैं। जो कार्य धारा की परिधि में है, उसी के अन्दर और उसी आधार पर यह किया गया है और जो अब आप जानकारी देने को कह रहे हैं, वह दे दीजिएगा, उसको दिखवा लेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि शासन को ऐसा करने के अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों के तहत यह किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह नामांकन क्या इसी 19 जिलों में किये गये हैं या प्रदेश के बाकी जिलों में भी किये गये हैं जहां चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी, यदि ऐसा नहीं तो फिर इन्हीं 19 जिलों में नामांकन करने का क्या औचित्य था। यदि 15-2-88 को जिन डायरेक्टर्स का नामांकन हो चुका था तो यह नामांकन चुनाव प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से पहले भी किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया गया और उन नामिनेट की जाने वाली जगहों को खाली क्यों नहीं रखा गया आदि बातों का उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, प्रतिनिधित्व तो अभी भी शासन के अधीन नामित करने का होता है, अगर वह चाहेंगे तो अभी भी ऐसी बात नहीं है (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, सरकार की नीतियां जनता के विरुद्ध हैं, इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सत्ता पक्ष के लोग अपने बहुमत के बल पर मनमानी करने पर अमादा हैं, इसलिए इसके विरोध में मैं एवं मेरा दल सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर यह जन-विरोधी सरकार सदैव अपनी मनमानी करने पर ही तुल गयी है, इसलिए इसके विरोध में मैं भी इस सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) भी सदन त्याग कर चले गये ।)

रनगवां बांध का फाटक बन्द कर देने से बांदा जनपद की केन नहर की सिंचाई व्यवस्था ठप्प हो जाने एवं अराजकतत्वों द्वारा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों एवं सुरक्षा पुलिसकर्मियों की पिटाई किये जाने के संबंध में वक्तव्य

*सिंचाई राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में मान्यवर,

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[सिंचाई मुख्यतः केन नहर प्रणाली द्वारा की जाती है । केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद में केन नदी पर निर्मित बरियारपुर वियर से निकलती है । बरियारपुर वियर के ऊपर केन नदी पर गंगा बांध तथा केन नदी की सहायक नदी बन्ने नदी पर रनगवां बांध स्थित है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में अब स्थित है। वर्षा ऋतु के उपरान्त केन नहर के चलाने हेतु पानी की आपूर्ति गंगऊ तथा रनगवां बांधों से की जाती है ।

केन नहर के शीर्ष का डिस्चार्ज 2500 क्यूसेक है, जिसके हेड रेग्यूलेटर में 3 दर हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से 2500 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश द्वारा लिये जाने के आधार पर नहर प्रणाली का पुनरोद्धार किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष अगस्त 1972 में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रियों के मध्य समझौता हुआ जिसके अनुसार 1 नवम्बर को रनगवां बांध पर जो पानी उपलब्ध होगा उसको उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच उपयोग किया जायेगा । वर्ष 1979 में रनगवां बांध से निकाली गई नहर से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से के पानी का उपयोग आरम्भ किया तभी से रनगवां बांध पर समय-समय पर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों अथवा अराजक तत्वों के द्वारा रनगवां बांध के संचालन में व्यवधान किया जाता रहा है तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा मारपीट की घटनायें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रनगवां बांध के रख-रखाव व संचालन आदि के कार्यों को करने में कठिनाई महसूस होती है । इन अराजक तत्वों द्वारा समय समय पर रनगवां बांध से पानी की आपूर्ति बन्द कर दिये जाने के कारण केन नहर के संचालन में भी व्यवधान होता है ।

इस वर्ष दिनांक 6-2-1988 में स्थानीय अराजक तत्वों द्वारा रनगवां बांध के फाटकों को बन्द कर केन नहर की जलापूर्ति बन्द करायी। सुरक्षा गार्डों की सहायता से इसको दिनांक 7-2-88 को खोला गया, जो पुन: बन्द करा दिए गये । दिनांक 9-2-88 को संबंधित सहायक अभियन्ता जो कार्यस्थल पर गये उनके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार किया गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट बमीठा थाने में कर दी गयी । दिनांक 13-2-88 को रात्रि में आयुक्त झांसी मण्डल ने कलेक्टर छतरपुर को टेलीफून पर स्थिति से अवगत कराया । दिनांक 16-2-88 को कलेक्टर छतरपुर ने आयुक्त झांसी मण्डल को बताया कि मामले में समुचित कार्यवाही करा दी गई है और कर्मचारियों की सुरक्षा का भी प्रबन्ध कर दिया गया है । इस प्रकार की पुनरावृति न हो इसके लिये भी आयुक्त सागर सम्भाग मध्य प्रदेश से अनुरोध कर लिया गया है । शासन स्तर से भी कलेक्टर छतरपुर मध्य प्रदेश से समुचित स्थायी व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है । काफी प्रयासों के बाद गेट दिनांक 17-2-88 को परगना अधिकारी छतरपुर की उपस्थिति में खोले गये तभी पानी चालू हो सका ।]

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के उपरांत केन नहर के चलाने हेतु पानी की आपूर्ति गंगऊ तथा रनगवां बांधों से की जाती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी कि केन रिवर बोर्ड का गठन किया जाये जो इस बात पर विचार करे कि कितना पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा और कितना पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा ? माननीय मंत्री जी इस बारे में आश्वासन दे दें ।

श्री सीताराम निषाद–

उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, उसी के अनुसार पानी दिया जाता था और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इस नहर के जरिये पानी देने की व्यवस्था की और इस के बारे में 1972 में समझौता किया गया था और माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि एक बोर्ड का गठन किया जाये जो इस विवाद को हल करे जो समझौता हुआ था, वह लागू नहीं हो रहा है और मंत्री जी ने इसको स्वीकार भी किया है कि समय-समय पर असमाजिक तत्व इसमें व्यवधान डालते हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों को पानी मिल नहीं पाता है, उनके विरुद्ध रिपोर्ट खिलाई जाती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस बारे में दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के वार्ता भी हुई थी, फिर भी उत्तर प्रदेश को पानी नहीं मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा असिंचित रह गया है, तो क्या आप पानी दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

जो समझौता हुआ है उसको लागू किया जायेगा और जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, गंगऊ से पानी दिया जाता है, पानी की कमी न पड़े और कोई विवाद न हो तो गंगऊ बांध का काम कब तक शुरु करवा देंगे।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, बृहद गंगऊ योजना जो बनायी गयी है, उसका केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उस पर कार्यवाही होगी।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। 6-2-1988 को वह बन्द हो गया और वह 17-2-1988 को खोला गया, तो 11 दिन प्रदेश का पानी का हिस्सा मारा गया, प्रदेश के किसानों को पानी मिल नहीं सका, क्या आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे कि दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधि उस रेगुलेटर पर वहां पर मौजूद रहें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, उसको निश्चित पानी मिले, इसकी व्यवस्था होगी।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 44 मिनट पर मंगलवार, अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
4 अप्रैल, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता 0प्र0सं0 16 का उत्तर पीछे पृ0 34 पर)

परिशिष्ट—1

मूल्यांकन हेतु प्रतिभागियों की उपलब्धि स्तर (मानक)

क—साक्षरता तथा अंक ज्ञान

क्रमांक	पढ़ना	लिखना	गणित	कोड अंक
1	2	3	4	5
1	सरल शब्द	सरल शब्द	1 से 100 तक गिनती पढ़ना।	1
2	सरल वाक्य	संयुक्ताक्षर वाले शब्द	1 से 100 तक गिनती लिखना।	2
3	संयुक्ताक्षर वाले शब्द	सरल वाक्य	जोड़	3
4	संयुक्ताक्षर शब्दों वाले वाक्य।	संयुक्ताक्षर शब्दों वाले वाक्य।	घटाना	4
5	समाचार परिच्छेद (25 शब्दों का)।	समाचार परिच्छेद (25 शब्दों का)।	गुणा	5
6	साधारण-पत्र (घरेलू)	साधारण पत्र (घरेलू)	भाग	6
7	व्यवहारिक पत्र, प्रार्थना-पत्र अथवा निर्देश।	वैयवहारिक पत्र व प्रपत्र भरना।	व्यवहारिक प्रश्न	7
8	कविता	वैयक्तिक सूचन	लिखित प्रश्न	8

ख—व्यवहारिक दक्षता एवं चेतना

9	जानकारी है	1
10	समझकर लाभ-हानि विवेचना करने लगे है ..	2
11	दैनिक जीवन में उपयोग करने लगे हैं ..	3
12	जो प्रतिभागी सामाचार परिच्छेद साधारण घरेलू पत्र पढ़ व लिख लेंगें तथा मौखिक व लिखित व्यवहारिक गणित के प्रश्न को हल कर लेगें वे सफल माने जावगें।	

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6ठे सोमवार के लिए निर्धारित श्री विष्णुदेव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–81 के उत्तरालेख्य का संलग्नक :

प्रा0पा0	विकास खण्ड	कार्यों की स्थिति		व्यय की गयी धनराशि खाद्यान्न सहित
		पूर्ण	प्रगति	
1	2	3	4	5
1––मैरोपुर ..	दोहरीघाट	पूर्ण	..	39,149.00
2––टेसूपार ..	,,	,,	..	31,494.50
3––नत्थूपुर ..	,,	,,	..	49,929.00
4––तिनहरी ..	फतेहपुर–मण्डाव	,,	..	40,377.50
5––गुरुम्हा ..	,,	..	प्रगति	40,801.50
6––विग्रहपुर ..	,,	..	..	7,551.50
7––खत्रीयार ..	घोसी	पूर्ण	..	54,889.50
8––सेमरी जमालपुर ..	..	..	..	55,467.50
9––केरमामहरुपुर ..	..	..	..	39,647.50
10––हाजीपुर ..	..	..	प्रगति	24,167.00
11––अम्बा ..	फतेहपुर मण्डाव	पूर्ण	..	25,496.50
12––गजियापुर ..	..	,,	..	52,191.00
13––लामी ..	दोहरीघाट	..	..	55,670.00
14––डुहिया–डिलिया ..	..	,,	..	50,649.00
			कुल योग ..	5,67,481.00

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0-90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

सूची 'क'

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के छठे सोमवार के लिए श्रीमती सुखदा मिश्र तथा श्री इन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के उत्तर में उल्लिखित सूची 'क':—

क्रम-सं	नाम	पद	हाईस्कूल	इण्टर	बी0ए0	एम0ए0
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राम आसरे यादव	प्रवक्ता	1964 एन0डी0 इण्टर कालेज, जलालपुर तृतीय श्रेणी	1969 एन0डी0 इण्टर कालेज, जलालपुर प्रथम श्रेणी	1975 अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वितीय श्रेणी	1979 कानपुर विश्वविद्यालय (सैन्य अध्ययन) द्वितीय श्रेणी
2	श्री अरुण कुमार त्रिपाठी	प्रवक्ता	1969 महात्मा गांधी इण्टर-कालेज, सुल्तानपुर। तृतीय श्रेणी।	1971 महानन्द सं0म0वि0 अमोव, जौनपुर। प्रथम श्रेणी।	1973 किसान डिग्री कालेज, बस्ती। द्वितीय श्रेणी।	1976 गोरखपुर विश्वविद्यालय, (सैन्य विज्ञान) द्वितीय श्रेणी।
3	श्री उमा शंकर यादव	प्रवक्ता	1972 श्री गयादीन जायसवाल उ0मा0वि0 खरासो, आजमगढ़। द्वितीय श्रेणी।	1975 डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़। प्रथम श्रेणी।	1977 डी0ए0वी0 पीजी कालेज, आजमगढ़। द्वितीय श्रेणी।	1979 डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर। द्वितीय श्रेणी।
4	नन्द लाल चौधरी	प्रवक्ता	1967 हो0मि0इण्टर कालेज, टाण्डा, फैजाबाद। श्रेणी तृतीय।	1969 हो0वि0 इण्टर कालेज, टाण्डा फैजाबाद। द्वितीय श्रेणी।	1973 के0एस0 साकेत महा-विद्यालय, फैजाबाद। द्वितीय श्रेणी।	1975 कानपुर विश्वविद्यालय सैन्य अध्ययन द्वितीय श्रेणी।

1	2	3	4	5	6	7
5	श्री हृदय नारायण सिंह	लिपिक	1978 बाबा बरुआ दास इ0 का0परूइय्या आश्रम, फैजाबाद। द्वितीय श्रेणी।	1980 बाबा बरुआ दास इं0 का0 परूइय्या आश्रम, फैजाबाद। तृतीय श्रेणी।	1983 बाबा बरुआ दास महा0 परूइय्या फैजाबाद। द्वितीय श्रेणी।	..
6	श्री हरदेव	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।	साक्षर			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0--102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर।)

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड धानी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 85--86 में स्वीकृत कार्यों की सूची जो 31-10-1987 को अपूर्ण थी:--

क्रम-सं	कार्य का नाम	प्रकृति	दूरी/मात्रा	लागत	अभिकरण द्वारा धन अवमुक्त किए जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	पी0डब्लू0 रोड से प्राइमरी पाठशाला तक ..	कच्चा सम्पर्क मार्ग	1.00 किमी0	0.20 लाख	21-11-85
2	पी0डब्लू0डी धानी रोड से अहिरौली तक ..	कच्चा मार्ग/पुलिया—1	1.30 कि0मी0	0.31 लाख	21-11-85
3	सनगद ग्राम सभा में ..	खड़ंजा	666 वर्ग मीटर	0.20 लाख	22-10-86
4	घघवा से कुर्डी मार्ग पर ..	पुलिया	3 अदद	0.40 लाख	22-2-86 (दो पूर्ण)
5	कुनवार बिहारी मार्ग पर ..	पुलिया	2 अदद	9.24 लाख	22-2-86 (एक पूर्ण)
6	मिरहिरिया ग्राम में ..	खड़ंजा	454 वर्ग मी0	0.15 लाख	23-3-86
7	बरइपार ग्राम में ..	खड़ंजा	151 वर्ग मी0	0.05 लाख	23-3-86
8	सिकन्दरजीतपुर ग्राम में ..	खड़ंजा	454 वर्ग मी0	0.15 लाख	17-5-86
9	ग्राम बैरिया में ..	खड़ंजा	303 वर्ग मी0	0.10 लाख	17-5-86
10	ग्राम पुरन्दपुर में ..	खड़ंजा	303 वर्ग मी0	0.10 लाख	17-5-86
11	बरगाहपुर टोला देवियापुर में ..	पुलिया	एक	0.15 लाख	17-5-86
12	धानी फरेन्दा-बहिरौली मार्ग पर ..	पुलिया	एक	0.08 लाख	17-5-86
13	खजुरगांवा से रिगौली बांध तक ..	कच्चा सम्पर्क मार्ग	1.00 कि0मी0	0.29 लाख	10-3-86
14	धानी फरेन्दा मार्ग से गोरमा ग्राम तक ..	कच्चा सम्पर्क मार्ग	1.00 कि0मी0	0.29 लाख	10-3-86
15	डुमरिया से खैराट ..	कच्चा सम्पर्क मार्ग	1.00 कि0मी0	0.29 लाख	10-3-86

पी0एस0यू0पी0--एल0 96 विधान सभा (150)---1988---8131

उत्तर प्रदेश विधान सभा

150 4 अक्टूबर 1988 अंक 7